खण्ड-258, अंक-4
गुरूवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1887
(5 अगस्त, 1965 ई0)

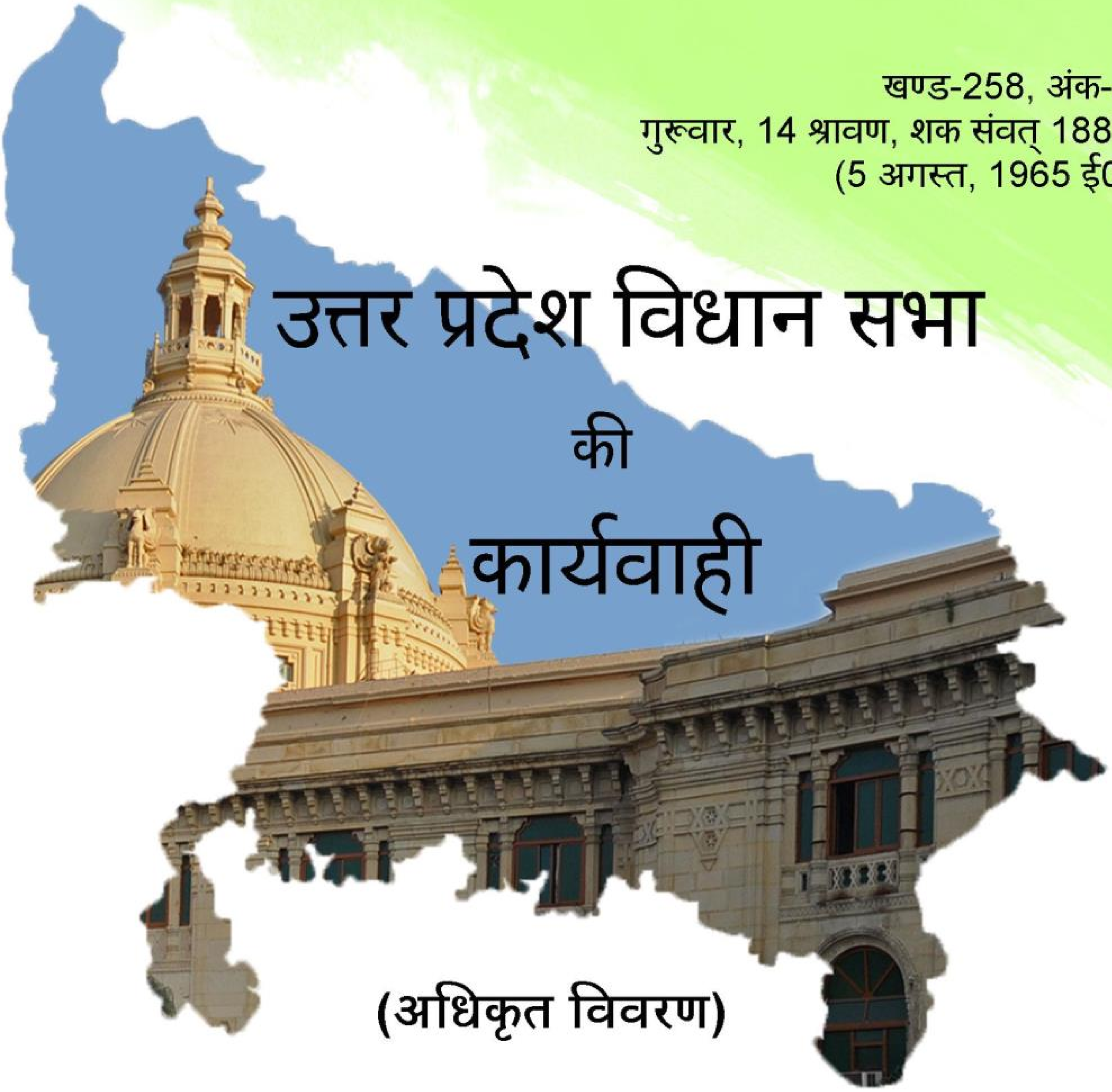

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 258 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ५ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७९

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंवईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया ,श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह ,श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जुल्फ़िक़ार अली खां, नवाबजादा सैयद
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज़ हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफ़ी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री

रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैवबार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामप्रकाश कौजिया, श्री
रामप्रनन्त पांडेय, श्री
रामप्रासरे वर्मा, श्री
रामकिंकर श्री,
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील ,श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिज़वी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री

शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
हीरालाल अग्रवाल, श्री

वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उप-मन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ५ अगस्त, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

लखनऊ में हरिजनों को छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब

*१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६४–६५ के शिक्षा वर्ष के लिए मंजूर दसवें तक के व दसमोत्तर कक्षाओं के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं लखनऊ के किन-किन विद्यालयों द्वारा अब तक न देने का क्या कारण है और किन-किन विद्यालयों ने कब दिया है ?

समाज कल्याण मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

लखनऊ के समस्त विद्यालयों द्वारा दसवीं तक व दशमोत्तर कक्षाओं के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति ३१–३–६५ तक दे दी गई थी।

प्रश्न नहीं उठता ।

†सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

*२--श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब हरिजन व पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा सुलभ बनाने के लिये उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है, तो फिर शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के माह दो माह बाद न देकर साल के अन्त में देने का मकसद क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

दशमोत्तर कक्षाओं तक की छात्रवृत्तियां सितम्बर मास के अन्त तक स्वीकृत कर दी जाती हैं। दसवीं कक्षा तक छात्रवृत्ति जिले की शिक्षा उप समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है और समिति की बैठक देर से होने के कारण स्वीकृति में विलम्ब हो जाता है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब हरिजनों को शिक्षा सुलभ बनाने के लिये छात्रवृत्ति दी जाती है और शिक्षा सत्र जुलाई में प्रारम्भ होता है तो साल के अन्त में परीक्षा के समय पर यह छात्रवृत्ति देने का मकसद क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह बता दिया गया है कि छात्रवृत्ति स्वीकार करने वाली जो समिति है यदि उस की बैठक दिसम्बर में हो तो छात्रवृत्ति पहले कैसे मिल सकती है? अगर समय से बैठक समाप्त हो जाय तो छात्रवृत्ति पहले और समय से मिल सकती है।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार--

माननीय मंत्री जी ने दूसरे प्रश्न के उत्तर में बतलाया कि सितम्बर के अन्त तक छात्रवृत्ति मंजूर कर दी जाती है इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सितम्बर तक संचालक महोदय और जिला समितियां छात्रवृत्ति मंजूर करती हैं तो फिर आठ-आठ महीने के बाद अप्रैल और मार्च तक यह छात्रवृत्ति क्यों दी जाती है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

अध्यक्ष महोदय, यह लखनऊ जिले का प्रश्न है। इस की मीटिंग में अध्यक्षता के लिए जिला परिषद् के अध्यक्ष हुआ करते हैं और उसमें हरिजन एम० एल० ए० और एम० पी० भी मेम्बर हुआ करते हैं। कमेटी यह निर्णय करती है कि किन-किन छात्रों को वजीफा मिले और उसके पश्चात् वजीफ़े छात्रों को वितरित किये जाते हैं। लखनऊ जिले में मीटिंग दिसम्बर के महीने में हुई। जो मेम्बर थे उनको चाहिये था कि मीटिंग शीघ्र से शीघ्र बुलाते। जहां तक शासन का प्रश्न है, शासन के द्वारा मई और जून के महीने में जिला परिषद् को डिस्ट्रिक्ट वाइज रुपया एलाट कर के भेज दिया जाता है प्रत्येक जिले में। माननीय सदस्य उस शिक्षा समिति के मेम्बर हुआ करते हैं और अगर वह जल्दी काम करें तो मैं समझता हूं कि हरिजनों को छात्रवृत्ति सितम्बर में ही बंट सकती है। मैं यह भी कहना उचित समझता हूं कि २२ जिलों में शासन की ओर से आदेश चले गये हैं कि इंटरमीडियेट और डिग्री क्लासेज को जिलों में ही डिसेंट्रलाइज कर दिया जाय। यह नयी नीति सरकार ने धारण की है और अब जो नये जिले हैं उन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी जाति के लड़कों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है इसलिये उन का नम्बर कम आता है? इस कारण क्या वे गरीबी के आधार पर उनके फार्म सीधे निदेशक के पास भिजवाने की व्यवस्था करायेंगे?

डाक्टर सीताराम---

बैकवर्ड क्लासेज का जहां तक संबंध है, गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो वजीफे पाते हैं उनके बारे में आय निर्धारित है और जो यू० पी० गवर्नमेंट की ओर से पाते हैं उसमें आय और मेरिट दोनों पर विचार किया जाता है। इन फार्म्स के बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से सचिव के द्वारा प्रत्येक इंसपेक्टर आफ स्कूल्स को प्रत्येक जिले में यह आदेश गये हैं कि हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के वजीफे में शीघ्रातिशीघ्र वितरण करने की व्यवस्था की जाय और इस तरह से यह व्यवस्था कर दी गई है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि छात्रवृत्ति जो मंजूर की जाती है और विद्यालयों के जरिये भेजी जाती है वह देर से मिलती है। उसमें लोग बीच में खा भी जाते हैं। तो कोई ऐसा प्रबन्ध सरकार करेगी कि डायरेक्ट उनके नाम से मनीआर्डर चला जाय और वह वजीफा पा सकें?

डाक्टर सीताराम---

इस तरह के सुझाव कई माननीय सदस्यों की ओर से मेरे पास आये थे। जो समिति माननीय आचार्य जुगलकिशोर की अध्यक्षता में बनायी गयी है उसकी रिपोर्ट शासन को आने वाली है वह मैं देखूं कि क्या रिपोर्ट है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

मूल प्रश्न के ऊपर जो उत्तर दिया था कि प्रश्न लखनऊ जिले से संबंधित है, पर पहला प्रश्न लखनऊ से संबंधित है और दूसरा सामान्य प्रकृति का है। लखनऊ में हरिजन कल्याण विभाग के यहां से जो छात्रवृत्तियां समस्त उत्तर प्रदेश को दी जाती हैं उसमें भी उतनी ही देर लगती है जितनी कि उन छात्रवृत्तियों में लगती है जहां कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने छात्रों को देते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये छात्रवृत्तियां सितम्बर, अक्तूबर तक मिल जायं और उस उद्देश्य की भी पूर्ति हो जाय जिस उद्देश्य के लिये विद्यार्थियों को दी जाती हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह प्रश्न लखनऊ जिले से ही संबंधित है और लखनऊ जिले में ही यह देखा गया है कि दशमोत्तर छात्रों को जो छात्र-वृत्तियां वितरित की जाती हैं उसमें होता यह है कि यहां से तो रुपया स्वीकृत होकर चला जाता है, लेकिन विद्यालयों द्वारा जो बिल कार्यालय में आते हैं वह बिल बाद से आते हैं। विलम्ब से आने पर भी शीघ्र ही प्रतिहस्ताक्षर करके पुनः वापस कर दिये जाते हैं। देखा यह गया है कि कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ में २४ बार छात्रवृत्ति वितरण की गयी। यानी वह प्राप्त कर लेते हैं, अपने लेखे में जमा कर देते हैं और फिर इच्छानुसार वितरण करते हैं, इसलिए छात्रवृत्तियों के प्राप्त करने में विलम्ब होता है। इसके लिए मंत्री जी ने बतलाया कि शिक्षा सचिव का जी० ओ० जा चुका है कि इंसपेक्टर आफ स्कूल्स द्वारा प्रत्येक प्रिंसिपल और प्रधान अध्यापक का ध्यान आकर्षित करें कि रुपया प्राप्त होते ही छात्रों को छात्रवृत्तियां वितरित कर दिया करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इस में दो-तीन सवाल पैदा होते हैं। सरकार जिला परिषदों के माध्यम से ८वीं क्लास और नीचे के क्लासों को स्कालर-शिप देती है। दूसरे नाइंथ, टेंथ के लड़कों को और इंटर-मिडिएट और ऊपर के क्लासों के हरिजन विद्यार्थियों को यहां से स्कालरशिप दिया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि हरिजन समाज कल्याण डायरेक्टर के यहां से जो दिया जाता है उसमें तो हजारों दरख्वास्तें होते हुए भी देर नहीं होती है, लेकिन जिला परिषदों द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह उन तक पहुंच नहीं पातीं, एक चौथाई भी लड़कों को मुश्किल से मिलती हैं तो क्या सरकार का ध्यान गया है कि आठवीं और आठवीं से नीचे की छात्र-वृत्तियां लड़कों तक पहुंच जायं इसके लिये उचित व्यवस्था की जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य जिला परिषदों में होने के कारण वे वहां जाते हैं। जिला परिषदों में एक शिक्षा समिति भी होती है जो छात्र वृत्तियों का वितरण करती है। माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे वहां जा कर जिला परिषद् से आग्रह करें कि वे यह काम जल्दी किया करें और बैठकें आदि उनकी शीघ्र हुआ करें।

श्री ऊदल—

मेरा सवाल अध्यक्ष महोदय दूसरा था, उसका उत्तर नहीं मिला। मैंने पूछा था कि जिला परिषदों को जो रुपया सरकार देती है इस काम के लिये, क्या सरकार इस तरह के कोई आदेश उनको देगी कि वे वह सब रुपया अवश्य खर्च किया करें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिला परिषदें समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत नहीं हैं, हम तो उनसे निवेदन ही कर सकते हैं, आदेश नहीं दे सकती।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

जो वजीफे देर से मिलते हैं उसका एक कारण यह भी है कि कमेटी का आकार बहुत बड़ा है और अक्सर उस की बैठक कोरम आदि के अभाव में नहीं हो पाती जिसके कारण बड़ी देर हो जाती है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस कमेटी के कलेवर को छोटा करने पर विचार करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रामअधार कन्नौजिया (जिला बहराइच)—

इस बात को देखते हुए कि जिला परिषदों द्वारा इन रुपयों का वितरण ठीक से तथा समय से नहीं हो पाता, क्या माननीय मंत्री जी इस रुपये को हरिजन कल्याण विभाग द्वारा ही वितरित कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

इसी के लिये यह समिति बनायी गयी है वैसे यह प्रश्न भी विचाराधीन है।

सतर्कता आयोग के अध्यक्ष पद से श्री जियाराम के हटाने पर आपत्ति

*३—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को किसी दूसरे पद पर स्थानान्तरित किया जा रहा है ?

*४—क्या यह सही है कि सरकार ने सदन में यह घोषणा की थी कि उक्त पद पर कोई निष्पक्ष अधिकारी ही रखा जायगा और उसी के अनुसार इन अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति हुई थी ? यदि हां, तो उन्हें अब क्यों स्थानान्तरित किया जा रहा है ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

श्री एम० लाल, २ नवम्बर, १९६४ तक सतर्कता आयोग के अध्यक्ष रहे। उसके बाद वह राजस्व परिषद् वापस चले गये। तब से श्री अहमद मिर्जा, जो आयोग के सदस्य हैं, चेयरमैन का काम कर रहे हैं। श्री अहमद मिर्जा एक बहुत सीनियर अधिकारी हैं और मौजूदा इन्तजाम में कोई तब्दीली करने का इस समय सवाल नहीं पैदा होता।

श्री रतीपाल—

श्रीमन्, सतर्कता आयोग का जब विधेयक पेश हुआ उसमें माननीय मंत्री जी ने श्री जियाराम, डी० आई० जी० को बड़ा ईमानदार समझा था और उसका समर्थन हमारे कमलासिंह जी ने भी किया था। श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि श्री जियाराम, डी० आई० जी० का इस सतर्कता आयोग में न रहने का क्या कारण है ? और उनके हटाने का क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हटा देने का सवाल कहां है ? आपने सवाल किया था अध्यक्ष के बारे में, वहां मिर्जा साहब काम कर रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्री जियाराम जी के साथ निष्पक्षता तथा और कई विशेषण लगे हुये थे तो श्री जियाराम जी को ही क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

आप थोड़ी भूल करते हैं। अहमद मिर्जा साहब एक जज हैं। डायरेक्टर, विजिलैन्स दूसरी चीज है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया की यह ख्वाहिश थी कि कोई जज इसका काम करें। ऐसा जज जो सीनियर जज हो और जो हाई कोर्ट का जज बन सके। इसलिये उन्हीं को रखने का विचार है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह तबादला इसलिये हुआ कि किन्हीं मामलों में सरकार ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और उन्होंने उसे विफल कर दिया और इसलिये सरकार ने यह कदम उठाया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो बात आप कह रहे हैं वह सत्य से बहुत दूर है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

सत्य के निकट वाली बात आप बतायें तो हम भी जान जायं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष के साथ, डायरेक्टर को जो आई० जी० का पद दिया गया है उसकी अध्यक्ष से पटती नहीं थी कि वे एक दूसरे के सबार्डिनेट रह सकें। क्या यही कारण है कि आई० जी० के स्थान पर डी० आई० जी० रखा गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इनमें से कोई बात ऐसी नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना उचित समझते हैं जिसमें जज होने की योग्यता हो तो क्या जो मिर्जा साहब की नियुक्ति हुई है उनके सामने जज होने का भी प्रलोभन है ? क्या इसी दृष्टि से उन्हें नियुक्त किया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

ऐसी कोई सूचना तो मेरे पास नहीं है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, विजिलैन्स कमीशन के भूतपूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं, वे इसलिये हटे कि सरकार ने इस कमीशन के अधिकार से गजटेड अफसरों को निकाल दिया और इस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया । सरकार ने उस पर उन्हें हटने को मजबूर किया । क्या यह सही बात है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह बात सत्य से बहुत दूर है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी जैसा कि उन्होंने कहा कि मुबद्दीलाल छुट्टी पर चले गये इसलिये दूसरी नियुक्ति उनके स्थान पर हुई । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उनके छुट्टी पर से आने के बाद उन्हें दुबारा उस पद पर नियुक्त करेगी या नहीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

वे बोर्ड आव रेवेन्यू में चले गये हैं । मिर्जा साहब काम करते रहेंगे ।

श्री रतीपाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि डायरेक्टर का पद कमिश्नर रैंक का होता है और जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वह डिस्ट्रिक्ट लेविल का अफसर होता है ? क्या इसीलिये श्री जियाराम ने जज साहब की अध्यक्षता में न रहने से इन्कार कर दिया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जो मेम्बर या अध्यक्ष हैं वे दूसरे लोग होते हैं डायरेक्टर विजिलैन्स का उससे कोई मतलब नहीं है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

जियाराम जो डी० आई० जी थे, और उनका जो लेटर आफ रेजिग्नेशन है, उसको क्या माननीय मंत्री जी सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह एक कान्फीडेन्शियल डाकुमेन्ट है, इसलिये जनहित की दृष्टि में रखते हुये इसे सदन की मेज पर नहीं रक्खा जा सकता ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

इसका साफ उत्तर नहीं हुआ, श्रीमन् ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लेने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र--

सतर्कता आयोग में अध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदमी ईमानदार था तो वह जियाराम जी थे.... (शोर)

श्री अध्यक्ष--

काशीनाथ जी, अगर किसी प्रश्न के उत्तर से आपको सन्तोष न होता हो तो उसके लिये हमारी नियमावली में प्राविधान है लेकिन यह कि पांच मिनट से ज्यादा एक प्रश्न को दें यह ठीक नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

अभी १४ मिनट आपने दिये हैं एक प्रश्न को।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन, एक प्रार्थना है--माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर वह जनहित में नहीं है तो नहीं रखा जायगा....

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उसका रखना जनहित में नहीं है यह मैंने कहा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सतर्कता आयोग से संबंधित कोई अधिकारी कोई बात रखता है तो वह जनहित में है या नहीं इसका निर्णय सरकार ही कर लेगी, उचित नहीं है क्योंकि जो चीजें सरकार के खिलाफ जाती हैं उन्हें वह लाने नहीं देते हैं, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस चीज को देखें और निर्णय करें।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, क्या चीज जनहित में है क्या नहीं है, क्या चीज गोपनीय है क्या नहीं है इसका निश्चय तो केवल सरकार ही कर सकती है इसलिये कि प्रदेश का प्रबन्ध संबंधी या शासन संबंधी ज्ञान उन्हीं को हो सकता है।... (व्यवधान) निश्चित रूप से मेरा मत यह है कि गोपनीय और जनहित के विषय में केवल सरकार ही निश्चय कर सकती है और सरकार अगर नहीं पेश करना चाहती तो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं लेकिन उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। (शोर) मैं मजबूर नहीं कर सकता।

अनेक सदस्य--

आप मजबूर कर सकते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं उसकी एक रूलिंग पेश करूंगा कि जनहित में है या नहीं, यह निर्णय करने का आपको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये कृपा करके। जहां तक कि गोपनीयता और जनहित का प्रश्न है उसके संबंध में कोई भी नियम आप हमें बतला दें जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष यह तय करता हो। तब मैं विचार करूंगा अन्यथा यह मेरा निश्चित मत है कि सरकार गोपनीयता के आधार पर या जनहित के आधार पर किसी भी...(व्यवधान) आप नियम को देख लें और जो यहां पर निर्णय हो चुके हैं उनको देख लें, अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सरकार को किसी भी कागज को पेश करने के लिये या सदन के पटल पर रखने के लिये मजबूर नहीं कर सकता। (शोर) मेरा निर्णय हो चुका। अब आप बैठ जाइए। (व्यवधान) माननीय नेता विरोधी दल, जो निर्णय हो चुका उसके ऊपर विवाद नहीं हो सकता।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं दूसरी बात कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप बाद में कह लीजियेगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

यह बात सही है कि अगर वह चीज गोपनीय है या जनहित में नहीं है तो सदन की मेज पर न रखी जाय यह मैं भी मानता हूं । लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि अगर कोई चीज जनहित में है कि उसको सदन की मेज पर रखा जाय तो कौन इसका निर्णय करेगा ? अगर सरकार ही निर्णय करेगी जो कि उससे अफेक्टेड हैं तो.....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके जो साहित्य इस संबंध में है उसका अध्ययन कर लीजिये और फिर उसको मेरे सामने रखिये । जो अभी तक मैंने पढ़ा है उस से मेरा मत यह है कि इसका निर्णय केवल सरकार ही ले सकती है कि कोई चीज जनहित में है या नहीं है । स्पीकर को या संबंधित व्यक्ति को या समुदाय को स्वयं निर्णय करने का अधिकार नहीं है, उसके ऊपर मुझे अपील नहीं हो सकती । निर्णय मैं कर सकता हूं या सरकार कर सकती है । इस संबंध में कृपा करके देख लें, अध्ययन कर लें और मुझे दिखला दें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैं दिखलाऊंगा (शोर)

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपा करके बैठें ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप कृपा करके सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

दीपनारायणसिंह जी आप, कृपा करके बैठ जाइये ।

श्री दीपनारायणसिंह--

आप सुन लें कि मैं क्या कह रहा हूं फिर चाहे आप रिजेक्ट कर दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न मैंने निर्णय कर दिया वह समाप्त हो गया ।

श्री दीपनारायणसिंह--

क्या आप और सरकार इस सदन से ऊपर हैं क्योंकि आपके और इस सरकार के निर्णय सदन द्वारा खंडित किये जाते रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप फिर वही बहस करने लगे । आप नेता विरोधी दल को समझा दीजिये कि जनहित में क्या है और क्या नहीं है । अब वह समाप्त हो गया ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, अध्यक्ष को अधिकार है कि सरकार को बाध्य करे कि जो उत्तर वह दे वह तथ्य से परे न हो ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सत्य क्या है और सत्य क्या नहीं है । यह प्रश्न माननीय दूबे जी ने मेरे सामने रखा है । आपकी सूचना के अनुसार जो आप कह रहे हैं आप समझते हैं कि वह सही है । इसी तरह जो उनकी सूचना है उसके अनुसार जो वह कह रहे हैं वह सही है । अब कौन-सा सत्य है यह बात अदालत में तय हो सकती है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ३१० की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें है कि सदन की मेज पर कौन-कौन कागज रखे जा सकते हैं । इसमें स्पष्ट लिखा है कि सदन की मेज पर कोई पत्र या लेख्य अध्यक्ष के आदेश या प्राधिकार के बिना नहीं रखा जायगा । इसका अर्थ यह है कि जब तक अध्यक्ष उसे देख न लें तब तक नहीं रखा जायगा । यह आपको नेगेटिव पावर देता है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप इस संकलन १५ के निर्णय पढ़ लें । सन् ३७ से ३९ तक और ४७ से ५० तक श्री पुरुषोत्तमदास टंडन जी के निर्णय पढ़ लें । आपको मालूम हो जायगा कि स्पीकर किसी भी अवस्था में सरकार को बाध्य नहीं कर सकता कि वह सदन की मेज पर कोई कागज रखे ।

[५ अगस्त, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बुन्देलखण्ड में उद्योग

*१--श्री विजयसिंह (जिला जालौन) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड को १९६१ से १९६४ के अन्त तक कितने उद्योगों के लिये अनुदान दिया और कौन-कौन से उद्योग खोले ?

गृह उप-मंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

कुल १७ प्रकार के उद्योगों के लिये अनुदान दिया गया जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । उसमें उल्लखित सब उद्योग खोले गये ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३७ पर)

श्री विजयसिंह--

क्या सरकार वहां कोई बड़ा उद्योग खोलने पर विचार करेगी जिससे वहां के हजारों लोगों को रोजगार मिल सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

उद्योग अधिकतर अपने आप खोले जाते हैं । वहां के रहनेवाले खोलने के लिये तैयार हों तो जो सरकार सब जगह सहायता देती है वहां भी देगी ।

श्री विजयसिंह--

क्या किसी भी उद्योग को चलाने के लिये सरकार की ओर से कोई कदम उठाया गया जिससे वहां के लोगों को प्रेरणा मिले कि वे भी उद्योग प्रारम्भ करें ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

सरकार ने वहां अनुदान दिये हैं । झांसी जिले में ८३ हजार रुपया, जालौन में ५६ हजार रुपया ७९ यूनिटों को और हमीरपुर में ६१ यूनिटों को ६२ हजार रुपया दिया गया । वहां रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया प्रोजेक्ट भी खोल दिया गया है ।

श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)--

क्या बुन्देलखंड में उद्योग न खुलने का कारण यह है कि वहां कानपुर के दुगुने और तिगुने रेट पर बिजली दी जाती है और कानपुर से इसलिये कम्पटीशन नहीं हो पाता है ? सरकार बिजली का रेट कम करेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

बिजली के रेट की मुझे सूचना नहीं है ।

श्री उग्रसेन--

बुन्देलखंड के जिलों में जो अनुदान छोटे-छोटे उद्योगों के लिये दिये गये वे कितने प्रतिशत काम में लाये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

सब अनुदान इस्तेमाल हो गये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

जो अनुदान अभी बताये उनमें कोई नये उद्योग के लिये भी दिया गया है या सब पुराने उद्योगों को ही दिये गये हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

ऋण हर वर्ष जिले और प्रान्त के लेविल पर दिये जाते हैं । जितने प्रार्थना-पत्र आते हैं सब पर विचार करके निर्णय लिये जाते हैं ।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)--

क्या सरकार कानपुर और बुन्देलखंड में बिजली के रेट में समानता लाने पर विचार करेगी ताकि लोग बुन्देलखंड में उद्योग खोल सकें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

शारदा और गंगा की बिजली के जो रेट सारे प्रान्त में हैं वही बुन्देलखंड में भी हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

जो रा-मैटीरियल बुन्देलखंड में मिलते हैं उनसे कोई उद्योग चलाने पर भी सरकार ने ध्यान दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इस तरफ सरकार का हमेशा ध्यान रहता है । छोटे उद्योग स्थानीय लोग ही खोलते हैं । बड़ा उद्योग खोलने का सरकार का इस समय कोई इरादा नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव--

जिनके लिये अनुदान दिये गये हैं वे कौन से उद्योग हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह सूची दे दी गई है । इसमें १७ विभिन्न उद्योग हैं । इससे ज्यादा कोई जानकारी चाहिये, तो नोटिस की जरूरत है ।

श्री कमलासिंह यादव--

जिन्होंने काम शुरु नहीं किया, मैं उनके लिये पूछना चाहता हूं। जिन उद्योगों के लिये अनुदान दिया गया उनमें से कितने उद्योग ऐसे हैं जो आज तक शुरु नहीं किये गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने यह कहा कि जिन उद्योगों को अनुदान दिया गया है, उनमें वह इस्तेमाल हो चुका है।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, मंत्री जी से पूछ लिया जाय कि उनका "इस्तेमाल" शब्द के क्या तात्पर्य है।

श्री विजयसिंह--

श्रीमन्, किसी उद्योग को प्रारम्भ करने के लिये पूंजी लगानी पड़ती है तब सरकार अनुदान देती है। बुन्देलखंड एक गरीब क्षेत्र है, वहां छोटे मोटे उद्योग भी नहीं हैं। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जो फैक्टरियां खोली जाती हैं उनमें से कोई एक फैक्ट्री बुन्देलखंड के चार जिलों में से किसी एक जिले के लिये देने की कृपा करेंगे, जिससे वहां के लोगों की गरीबी दूर हो सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यदि माननीय सदस्य कोई ऐसा सुझाव देंगे तो हम उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

कोआर्डीनेशन आफ डिपार्टमेंट्स

*२--श्री कमलासिंह यादव--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि परस्पर निर्भर विभाग (कोआर्डिनेशन आफ डिपार्टमेन्ट्स) के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

मंत्रि परिषद् की एक उप समिति है जो कृषि उत्पादन कार्यक्रम के समन्वय का कार्य करती है।

कृषि उत्पादन से संबंधित विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों में समन्वय लाने के लिये एक कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास विभाग की रचना सचिवालय में की गई है और एक नया पद आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास स्वीकृत हुआ है। इस विभाग के अन्तर्गत कृषि, सहकारिता, गन्ना विकास, लघु सिंचाई, पशु पालन, मत्स्य, सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज विभाग आ जाते हैं। आयुक्त एवं सचिव कृषि उत्पादन, इन सभी विभागों के सचिव भी हैं और विभागों के विभागाध्यक्षों के काम को देखने व उन्हें आदेश देने का भी उन्हें अधिकार है।

जिला व विकास खंड स्तर पर समन्वय का कार्य जिला परिषद् एवं क्षेत्र समिति द्वारा होता है। उन जिलों में जहां सघन कृषि कार्य-क्रम चल रहा है कृषि उत्पादन समिति से जिलाधीश को भी संबद्ध किया गया है।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस प्रकार से हर विभाग के विभागाध्यक्ष को काम देखने का अधिकार दिया गया है, क्या वैसा अधिकार जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों को भी दिया गया है कि वह काम देख सकें और जो कमी हो उसके बारे में आदेश दे सकें ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों को सेक्शन ३९ और सेक्शन ९५ के अन्तर्गत अधिकार दिये गये हैं। ३९ में उन कर्मचारियों के प्रति अधिकार दिये गये हैं जो क्षेत्र समितियों और जिला

परिषदों के अंग हैं और ९५ में अन्य अधिकारियों के प्रति अधिकार दिये गये हैं कि अगर वे उनसे कोई सलाह मांगेंगे तो उन अधिकारियों को वह सलाह और सहायता देनी होगी। वहां का चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर जो है उसके मातहत, जिला स्तर के विकास और नियोजन के कार्य से संबंधित सभी कर्मचारी हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एक आयुक्त की नियुक्ति इस संबंध में करने पर भी जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों के कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ? जब बिजली होती है तो पानी नहीं होता और पानी होता है तो बिजली नहीं होती। कहीं खाद नहीं है। इस प्रकार जो पुरानी स्थिति थी वही अब भी मौजूद है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

माननीय सदस्य अगर हमारे जी० ओ० को देख लेते तो उनको मालूम हो जाता कि कितना समन्वय रखा गया है। जिला के विभागाध्यक्ष, चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर, जिला रीश और कमिश्नर जो इस ऐक्ट की प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है उनको सालाना रिमार्क देने का अधिकार है। हर अधिकारी उनके अन्डर में रह कर काम करता है।

श्री कमलासिंह यादव--

मेरा सवाल दूसरा है, मैंने मंत्री जी से कहा कि रिआर्गेनाइजेशन सचिवालय में किया गया उससे यहां की जो जिला परिषद् और क्षेत्र समिति हैं उन में वहीं पुरानी हालत आज भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि क्या यही स्थिति आज भी कायम है जब कि इस तरह का रिआर्गेनाइजेशन हो चुका है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जिला परिषद् और डिस्ट्रक्ट बोर्ड में तो अन्तर है. . . . .

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि जो वर्तमान आप की पद्धति है वह भी असन्तोषप्रद है, तो उस के सम्बन्ध में आप जांच करायेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

अगर वह किसी विशेष जिला परिषद् के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहेंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं पटेल आयोग वाले जिलों के बारे में कहता हूं आप उन की रिपोर्ट मंगा लें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि विभिन्न विभागों में लगभग समन्वय लाने के लिये कृषि आयुक्त की नियुक्ति की गई है जो सहकारिता, लघु सिंचाई और कृषि आदि के कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन की दृष्टि से जो कोआर्डिनेशन का काम अपनाया गया है उस के आयुक्त का कोई समन्वय कृषि से नहीं रह गया है और जिन की जानकारी कृषि की है ही नहीं उन को प्रधान बनाने का औचित्य क्या है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

शायद मैनेजर सिंह जी का विचार यह है कि कृषि वही जानते हैं जो हल चलाते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि वह हल चलाना नहीं जानते और जो काम वह कर रहे हैं वह सन्तोषजनक कर रहे हैं और कोआर्डिनेटेड तरीके से अच्छा काम हुआ है, लेकिन फिर भी आप उन से बात भी कर सकते हैं और अगर खामी है तो आप सुझाव दे सकते हैं और उन की बिना पर इम्प्रूव करने की कोशिश की जायगी ।

श्री शिवसम्पति शर्मा--

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पिछली बार व्यवस्था थी कि जिले के अफसर ही जिला परिषद् की मीटिंग से सम्बद्ध होते थे और वही जवाब भी देते थे, लेकिन अब उनके न आने से बहुत दिक्कत होती है, क्या मंत्री जी इस व्यवस्था को फिर से तब्दील करने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

वह जो प्लानिंग कमेटी बनी थी वह तो अन्तरिम जिला परिषद् में मर्ज हो गई और अब वह जिला परिषद् के सदस्य रह ही नहीं सकते, तो समितियों के अध्यक्ष ही उत्तर देंगे और अधिकारी तो केवल असेस करने के लिये ही मौजूद रहेंगे ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जो समन्वय किया गया है वह जिला स्तर पर अभी तक प्रभावकारी नहीं हो पाया है, आज डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की हालत यह है कि वह चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर, डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के मातहत अपने कर्मचारियों को, आफिस के बाबुओं को ससपेंड तक नहीं कर सकता, ऐसे ही ए० डी० ओ०, कृषि और सहकारिता उनके मातहत हैं, उनके भी आर्डर आते हैं, डी० पी० ओ० की भी चलती है और इस कोआर्डिनेशन में वह स्वयं अपनी स्थिति नहीं जानते कि किसके आर्डर मानें किसके न मानें । क्या मंत्री जी इस पर फिर से विचार करेंगे कि समन्वय कमेटी से जो आर्डर जांय वे सही तरीके से लागू हो सकें और कर्मचारी सुचारु रूप से उनका पालन कर सकें ?

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, यह काम कोआर्डिनेशन का है, इस में सारे विभाग मर्ज नहीं हो रहे हैं, हो यह रहा है कि जो ३-४ विभाग हैं उनके ऊपर जो अफसरान हैं वे अपनी पालिसी बनाने की कोशिश करते हैं । जो कर्मचारी जिस विभाग में हैं उनसे ही संबंध रखते हैं । वहां से उनकी इंट्री वगैरह भी हुआ करती हैं । अगर माननीय सदस्य की समझ में यह आजाय तो कोई दिक्कत नहीं होगी ।

बाराबंकी जिले में हरिजनों को सहायता

*३--श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद में हरिजनों को किस-किस पद में कितना-कितना धन किस-किस वर्ष का ३१ दिसम्बर, १९६४ ई० तक बांटा नहीं जा सका ?

डाक्टर सीताराम--

३१ दिसम्बर, १९६४ तक प्राप्त अनुदानों में केवल १२,००० रुपये हरिजन गृह उद्योग प्रान्तीय योजना, (समिति) तथा १२,००० रुपये गृह उद्योग विमुक्त जाति हेतु केन्द्रीय योजना (समिति) हेतु, बांटना शेष है ।

झांसी जिले में उद्योग ऋण की वसूली

*४—श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी) तथा श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में उद्योग ऋण लिये हुये कितने लोग नियमित रूप से रुपया अदा कर रहे हैं और कितने डिफाल्टर्स हैं तथा उनके रुपये की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

१३ इकाइयां नियमित रूप से रुपया अदा कर रही हैं और २१६ इकाइयां डिफाल्टर्स हैं। डिफाल्टर्स के विरुद्ध एक मुश्त वसूलयाबी की कार्यवाही की गई।

श्री कृष्णचन्द—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो माननीय मंत्री जी ने १३ और २१६ इकाईयों को बताया है उनमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने धन का उपयोग करके उद्योग प्रारम्भ कर दिये हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जो १३ इकाइयां हैं, उनके मालिकों ने धन का उपयोग भी किया है और रुपये की अदायगी भी ठीक समय पर की है।

श्रीमती बेनीबाई—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २१६ जो इकाइयां हैं, उनसे बकाया धन की एकमुश्त रकम वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? उनमें से कितनी इकाइयों से एक मुश्त रकम वसूल हो गयी है ताकि रुपये का सदुपयोग हो सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

लोन जो दिये जाते हैं, वे ३ तरह के होते हैं। एक तो वे लोन हैं जो फाइनेन्शियल कार्पोरेशन ने दिये हैं, एक वे लोन हैं जो हेडक्वार्टर (लखनऊ) ने दिये हैं और तीसरे प्रकार का लोन वह है जो डिस्ट्रिक्ट लेविल पर दिया हुआ है। माननीय सदस्य जैसे चाहें उसी का विवरण दे दूं।

अनेक सदस्य —

हम सब चाहते हैं।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

२३२ पार्टियों में से ३१ पार्टियों से ७८,७७० रुपया वसूल हो गया है। १३ पार्टीज ऐसी हैं जिनसे ७८,१४२.८१ रुपया बकाया है। उन्होंने हाई कोर्ट में रिट कर दिया है और हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। ३०२ हजार रुपये बाकी हैं उसके वसूल करने के लिये कोशिश करते हैं।

श्री कृष्णचन्द—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रुपया बकाया है, इसकी वसूलयाबी के लिये कब से कार्यवाही सरकार ने प्रारम्भ की है और उसके फलस्वरूप कितनी निश्चित धन राशि सरकार ने वसूल कर ली है और कितनी बाकी पड़ी है ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, सवाल इतना बड़ा है। इसमें जिस दिन से ऋण योजना चली है उस दिन से आजतक का सवाल पूछा है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अग्रिम ऋण की वसूलयाबी करने में सारे सूबे में एक ही नीति रही है और क्या बड़े-बड़े उद्योगपतियों से भी इसी नीति से रुपया वसूल किया जा रहा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इसमें ढीलढाल का क्या प्रश्न है ? जिस पार्टी से रुपया वसूल हो सका है वसूल कर लिया गया है । शेष ने हाई कोर्ट में रिट कर दिये हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष---

फिर पूछ लीजियेगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी ---

बहुत से जिलों में उद्योग के लिये ऋण दिया गया है । उनमें से बहुतों ने उद्योग शुरू भी नहीं किया है तो उनसे वसूलयाबी का तो प्रश्न ही नहीं उठता । क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ३ माह या ६ माह के पश्चात् उनके पास कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आया करे जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि जिन्होंने रुपया लिया है, उसका कितना हिस्सा उपयोग किया है, कितना वसूल हुआ ताकि रुपया वसूल हो सके ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिससे वसूली का प्रयास किया जा सके ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

हमारी व्यवस्था यह है कि जिनको ऋण दिया जाता है हमारे पास उसकी रिपोर्ट आती है कि उनसे कितने परसेन्ट वसूल किया गया है और कितने परसेन्ट वसूल नहीं हो सका । इस प्रकार की रिपोर्ट हर मास कलेक्टर्स से आती है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

मेरा प्रश्न यह था स्पष्टया कि जो वसूली के संबंध में आपकी झांसी डिवीजन में नीति है वही क्या सारे सूबे में चल रही है ? और दूसरा प्रश्न यह था कि क्या यही नीति बड़े-बड़े उद्योगपतियों को जो बड़ी-बड़ी राशियां दी हैं उनसे वसूल करने में चल रही हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, वसूलयाबी की नीति जिलेवार नहीं हो सकती है । सब प्रान्त के लिये एक सी है ।

श्री कृष्णचन्द---

श्रीमन्, मैंने यह प्रश्न किया था कि यह जो कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है इसके परिणाम-स्वरूप अभी तक कितना रुपया वसूल हो गया है और कितना रुपया अभी बाकी पड़ा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ७८,७७० रुपया वसूल हो चुका है और २१ पार्टीज से ५० हजार रुपया वसूल हो चुका है और ७८,१४२ रुपया रिट को सबजेक्ट हैं जिसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है । बाकी का ३ लाख २ हजार रुपया बाकी है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि यह रुपया अधिकतर सन् १९६१ से बाकी पड़ा है और आज तक आपके अनेक प्रयत्न करने पर भी जिला स्तर के अधिकारी उसको किसी न किसी रूप में सिफारिशें पहुंचने पर उनको मोहलत दे देते हैं, तो आप स्पष्ट आदेश देंगे कि जो रु० १९६१ से बकाया है जो १ आना रुपया ब्याज पर दिया हुआ है, उसकी शीघ्र वसूलयाबी की जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

कर्जे की वसूलयाबी २ साल बाद शुरू होती है। तो १९६१-६२ में जो लोन दिया गया वह १९६४-६५ तक लागू होगा उससे पहले तो वसूलयाबी कर नहीं सकते।

देवरिया जिले में उद्योग ऋण की अदायगी

*५--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला के उद्योग विभाग से १९५७ से १९६४ तक जिन-जिन को कर्जा दिया गया उनमें किस-किस ने काम शुरू कर दिया और किस-किस ने काम शुरू नहीं किया, और क्यों तथा क्या उसने ऋण की अदायगी करा ली गई है ?

वांछित †सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

झांसी जिले में हरिजन कूप

*६--श्रीमती बेनीबाई--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में सन् १९६२, १९६३, १९६४ में प्रत्येक ब्लाक में कितने हरिजन कुयें बनाये गये हैं ? उनमें से कितने पूरे हो चुके हैं और कितने अधूरे पड़े हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४३८ पर)।

श्रीमती बेनीबाई--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १९६२ में ११५, १९६३ में ५८ और १९६४ में ११७ कुएं अधूरे पड़े हुए हैं तो यह किन कारणों से अधूरे पड़े हुए हैं और कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अधूरे रहने के कारण तो कई हैं। कुछ तो यह हैं कि जो २५ प्रतिशत प्रार्थी को स्वयं देना पड़ता है वह निर्धन होने के कारण अपनी तरफ से लगाने वाला रुपया नहीं लगा पाता है। और ग्राम सभा को जो २५ फीसदी देने के लिये बाध्य किया जाता है वह नहीं दे पाती है। इसके अलावा जो प्रार्थी रुपया लेते हैं अगर पहली किस्त के बाउचर्स समय पर नहीं दे पाते हैं तो उनको दूसरी किस्त मिलने में विलम्ब होता है। तीसरी बात यह है कि झांसी जिले में खुदाई में पत्थर आ जाते हैं जिससे कूएं की खुदाई में विलम्ब होता है और जमीन भी नहीं मिलती है। यही कारण हैं।

श्रीमती बेनीबाई--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिला लेविल पर ऐसी शिकायत की गयी है कि बाउचर्स पहुंच जाने के बाद भी उनको रुपया नहीं दिया जाता है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जहां यह कार्यवाहियां पूरी हो जाती हैं वहां रुपया तुरन्त दे दिया जाता है। विलम्ब होने का कोई आज तक हमको तो पत्र मिला नहीं।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

जैसी कि हरिजनों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था की जटिल समस्या है और तीसरी योजना समाप्त हो रही है लेकिन अभी भी यह समस्या बाकी है तो क्या सरकार ने इस पीने के पानी की व्यवस्था को ठीक ढंग से करने के लिये कोई सर्वे कराया है? यदि हां, तो हरिजनों के कितने कूएं बनवाने की व्यवस्था है। यदि नहीं, तो सर्वे करा कर कूओं की निश्चित संख्या तय करने की कृपा करेंगी?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इस प्रश्न का संबंध तो झांसी जिले से है। झांसी जिले में सर्वे होने के बाद और आवश्यकता अनुभव होने के तुरन्त बाद सन् ६१ से लेकर सन् ६४ तक की योजना बनी और प्रतिवर्ष एक निर्धारित संख्या के आधार पर कुएं निर्मित कराने के बारे में कार्य आरम्भ हुआ। जितने बन गये हैं वे भी सूची में दे दिये गये हैं और जितने नहीं बने हैं वे भी बतला दिये गये हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

मंत्री जी ने बतलाया कि २५ प्रतिशत हरिजनों द्वारा न दिये जाने के कारण हरिजनों के कुएं नहीं बन पाये तो क्या सरकार हरिजनों के लिये उनके निर्धन होने के कारण दान के रूप में सहायता देने हेतु जो २५ प्रतिशत का प्रतिबन्ध है उसे भी हटा लेगी?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

निर्धनता के कारण ही ७५ प्रतिश रुपया दिया जाता है सरकार के द्वारा और २५ प्रतिशत लिया जाता है। उसमें श्रम और धन दोनों शामिल हैं। धन न दे सकें तो परिश्रम कर लें।

श्री अध्यक्ष--

२५ प्रतिशत भी आप दान स्वरूप दे दें इसके लिये आप तैयार हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इसके लिये सरकार तैयार नहीं है।

श्री रामआसरे वर्मा--

क्या सरकार इस बात का पता लगाने का प्रयास करेगी कि विकास खंडों के अधिकारी और विकास खंडों के प्रमुख जितना कोटा है सीमेंट का उसे ब्लैक से बेच देते हैं और हरिजनों से कह देते हैं कि रुपया नहीं आया है, अगले वर्ष दिया जायगा?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य अगर लिख कर देंगे तो अवश्य उसकी जांच कराई जायगी।

झांसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार पुलिस कर्मचारी

*७--श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या गृह मंत्री का ध्यान मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के विधान सभा में दिये गये उस वक्तव्य की ओर गया है जो फरवरी के द्वितीय सप्ताह के अखबारों में छपा है कि उत्तर प्रदेश के बहुत से पुलिस डकैती करते हुये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पकड़े गये हैं? यदि हां, तो जांच कर बतायेंगे कि उनके नाम क्या हैं? और उनकी गिरफ्तारियां कब-कब तथा किन धाराओं में हुई हैं?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई कर्मचारी डकैती करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा घटनास्थल पर नहीं पकड़ा गया। झांसी पुलिस के कुछ कर्मचारी जो झांसी जिले में हुई डकैती के सम्बन्ध में झांसी पुलिस द्वारा पकड़े गये, सन् १९६४ में जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) में हुई दो डकैतियों में भी मतलूब पाये गये। पकड़े गये पुलिस कर्मचारियों के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न है।

इन्हीं पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध प्रदेश की पुलिस द्वारा भी मुकदमे चलाये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४३९ पर)

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि झांसी जिले के अन्तर्गत जो पुलिस कर्मचारी डकैती में पकड़े गये हैं वे किन किन स्थानों की डकैतियों में पकड़े गये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

एक अभियोग नं० २१५ ललितपुर की डकैती में, दूसरे थाना बबीना (जिला झांसी) की डकैती में, तीसरे बबीना (जिला झांसी) की डकैती में, चौथे बबीना (जिला झांसी) की डकैती में पांचवें बड़ागांव (जिला झांसी) की डकैती में, छठा टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) की डकैती में, सातवें टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) की डकैती में और आठवें सदर थाना (जिला झांसी) की डकैती में पकड़े गये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जो पुलिस कांस्टेबिल पकड़े गये थे उन पर जो मुकदमा चलाया गया उस मुकदमे में कोई सजा हो चुकी है और यदि हां, तो कितने दिन की सजा हुई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मुकदमा चालान करके कचेहरी गया हुआ है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

झांसी पुलिस लाइन के आर्म्ड गार्ड के सिपाही पकड़े गये और उनमें मिलीटरी के सिपाही भी सम्मिलित हैं लेकिन मिलिटरी ने अपने सिपाही थाने पर भेजने से मना कर दिया है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने के लिये की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, दो सिपाही मिलिटरी के हैं। उनकी शिनाख्त सही नहीं हो पाई। ऐसी बात नहीं है कि मिलिटरी ने मना कर दिया।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया विधान सभा में, उसको अखबार वालों ने छापा और माननीय प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि सरकार ने पूरी जानकारी की है कि इस प्रकार का बयान उन्होंने क्यों दिया ? जो बयान उन्होंने दिया है वह सही है या गलत ? सरकार ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री से पूछा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह पूछ लीजिये कि इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, जानकारी प्राप्त कर ली है।

नोट—तारांकित प्रश्न ७ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

देवरिया जिलें में नलकूप

*८--श्री कैलाश (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में पटेल आयोग द्वारा सन् १९६४ व ६५ में कितने नलकूप लगाये जायेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

देवरिया जिले में १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में ११३ राजकीय नलकूप निर्मित होने थे। उनमें से मार्च, १९६५ तक ८९ नलकूपों की बोरिंग पूरी हो चुकी थी और ५ पर बोरिंग हो रही थी। शेष १९ नलकूपों के लिये स्थान निर्धारण आदि किया जा रहा है।

*९--श्री कैलाश--

उपरोक्त जिले की सलेमपुर तहसील में विकास खण्ड भटनी, भाटपाररानी, बनकटा तथा सलेमपुर में प्रत्येक विकास खण्ड में कितने नलकूप तथा किन-किन जगहों पर लगाये जायेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४४० पर)

गोंडा जिले में उद्योग

*१०--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में, प्रथम व द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन उद्योग चल रहे हैं और भविष्य में कौन उद्योग सरकार लगाने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजना के अन्तर्गत चल रहे उद्योग धंधों की सूची परिशिष्ट 'क' पर दी गई है। भविष्य में गोंडा जिले में सार्वजनिक क्षेत्र में कोई उद्योग लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४४१ पर)

*११--श्री गंगाप्रसाद--

[२-८-६५ को प्र० सं० ३४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

गोंडा जिलें में उद्योग ऋण

*१२--श्री गंगाप्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के किन-किन उद्योगों में कितना धन सन् १९६१ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६४ तक किन-किन को कर्ज दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित †सूचना संलग्न सूची, में सदन की मेज पर रख दी गई है।

---

† छापी नहीं गई।

डकैती तथा हत्या के अभियोग में छात्र

*१३—श्री रघुबीर (जिला गाजीपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २२ फरवरी, १९६५ के स्वतन्त्र भारत अखबार में दिनांक २१ फरवरी, १९६५ के उत्तर प्रदेश छात्रों द्वारा डकैतियां, हत्यायें काफी संख्या में करने का आरोप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा लगाया गया है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

जी हां, दिनांक २२-२-६५ के "स्वतन्त्र भारत" अखबार में एक समाचार छपा था कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने प्रश्न में उल्लिखित आशय का वक्तव्य दिया था। अभी तक यह ज्ञात नहीं हो सका है कि उक्त समाचार में निर्दिष्ट अधिकारी कौन था।

*१४—श्री रघुबीर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गृह विभाग द्वारा छात्रों का गिरोह पकड़ा गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां और उनके द्वारा उपरोक्त कार्य करने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

किसी विशेष गिरोह के पकड़े जाने की सूचना नहीं है। जो छात्र १९६४ में तथा १९६५ में (३० जून को डकैती व हत्या के मामलों से संबंधित पाये गये उनके बारे में सूचना संलग्न तालिका में दी) हुई है। छात्रों ने यह अपराध धनाभाव, उच्छृंखल प्रवृत्ति तथा पुरानी रंजिश के कारण किये।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४४२ पर)

हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मिश्रपुर को सहायता

*१५—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मिश्रपुर, पोस्ट महाराजगंज को पावर लूम के लिये सरकार ने कितना ऋण तथा सहायता दी है और उसका कैसे उपयोग हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(अ) हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० मिश्रपुर, आजमगढ़ को पावरलूम के लिए यूपिका द्वारा शासन के स्वीकृत धन से दी गई आर्थिक सहायता का विवरण निम्न प्रकार है :—

		रु०
क—ऋण—पावरलूम खरीदने के लिए		४,०००
पावरलूम कनेक्शन के लिए ..	..	२,४००
ख—अनुदान-पावर कनेक्शन के लिए..	..	८००
		४३,२००

(ब) ऋण व अनुदान जो शासन द्वारा उपरोक्त समिति को दिया गया :

क—ऋण—पावरलूम का भवन निर्माण के लिए	..	१५,०००
ख—अनुदान—वर्कशाप ग्रान्ट ..	..	३,०००
		१८,०००
कुल टोटल	..	६१,२००

उपरोक्त धन ऊपर दी गई मदों में ही उपयोग किया गया।

*१६—श्री उमाशंकर—

क्या मुख्य मंत्री जी उल्लिखित सोसाइटी के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की एक सूची मय भत्ते के मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चूंकि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत सहकारी समितियां, जिला उद्योग अधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (करघा) तथा क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय में सदस्यों की सूची व पते प्रस्तुत करने के लिए वाध्य हो अतएव सूची उक्त अधिकारियों के कार्यालयों में उपलब्ध न होकर समिति के ही रेकार्ड में मिल सकती है। फिर सदस्यों की संख्या के आये दिन घटते बढ़ते रहने तथा भत्ते बदलते रहने के कारण सही रेकार्ड रखना सहज नहीं है। समिति के कागजात सी० आई० डी० के पास हैं। जहां तक जानकारी हासिल हो सकी उसमें पदाधिकारियों के नाम निम्न-लिखित हैं :—

१—श्री मुहम्मद सिद्दीक	सभापति
२—श्री अब्बास अली	उप सभापति
३—श्री अब्दुल अजीज	आनरेरी सेक्रेटरी
४—श्री मोहम्मद याकूब	कोषाध्यक्ष
५—श्री मुहम्मद इलियास	सदस्य कार्यकारिणी समिति
६—श्री अब्दुल रज्जाक	”
७—श्री शमसुद्दीन	”
८—श्री अब्दुल रशीद	”
९—श्री अब्दुल गफूर	”
१०—श्री अब्दुल रहमान	”

उपरोक्त पदाधिकारियों के पते व सदस्यों के नाम व पते उपलब्ध नहीं हो सके क्योंकि संबंधित कागजात सी० आई० डी० के पास हैं।

*१७—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि उल्लिखित पावरलूम को कोई व्यापारी किराये पर चला रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन अनुदान का अवशेष धन

*१८—श्री मंगल देव (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सही है कि हरिजनों के अनुदान की धनराशि १९६१–६२, १९६३–६४, के खर्चे करने से काफी बच गई ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां। ५६,१६,९८६ रुपया बचा। यह रुपया सीमेंट, लोहा ईंट आदि की कमी के कारण अभी व्यय नहीं हो पाया।

देवरिया जिले में औद्योगिक विकास

*१९--श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री कैलाश--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में किन-किन विकास खंडों में उद्योग की योजना चल रही है और इस उद्योग योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास के लिये क्या विशेष सुविधायें दी जातीं हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित सूचना संलग्न† परिशिष्ठ 'क' पर दी हुई है।

*२०--श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री कैलाश--

उपरोक्त जिले के सन् १९६२ से १९६४ तक उद्योग के लिये किन-किन विकास खंडों में कितना-कितना रुपया दिया गया है और उसमें किस-किस ने कार्य शुरू किया है और किस-किस ने कार्य शुरू नहीं किया है ? कार्य शुरू न करने का कारण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित सूचना † संलग्न परिशिष्ट 'ख', 'ग' तथा 'घ' में दी गई है।

*२१--श्री कल्पनाथ सिंह, श्री कैलाश--

क्या उपरोक्त जिले के विकास खंडों में भाटपाररानी, बनकटा में हल्दी व रुई की पैदावार अधिक होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह हल्दी की मिल और हैन्डलूम का कपड़ा बनाने का कार्य शुरू करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कासगंज में घंटाघर पर राष्ट्र ध्वज फहराने की मांग

*२२--श्री शारदाभक्त सिंह (जिला हरदोई), श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर) श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २६ जनवरी, को गणतन्त्र दिवस पर नागरिकों की जो अपील जिलाधीश, एटा के द्वारा प्रसारित की गई उस पर राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर कांग्रेस पार्टी का झंडा छापा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

२६ जनवरी को जिले में गणतंत्र दिवस के कार्य-क्रम का एक पैम्फ्लेट जिलाधीश की एक अपील के साथ वितरण हेतु एक स्थानीय प्रेस में छपवाया गया था; जिस समय यह पेम्फ्लेट छपकर आया तो उसमें राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर गलती से कांग्रेस पार्टी का झंडा छपा था। इस पैम्फ्लेट की कुछ प्रतियां बंट भी चुकी थीं। परन्तु जैसे ही इस ओर ध्यान गया बाकी प्रतियों का वितरण रोक दिया गया और दुबारा सही पैम्फ्लेट छापा गया और वितरण किया गया।

---

† छापी नहीं गई।

*२३--श्री शारदाभक्तसिंह, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री टम्बेश्वरप्रसाद, श्री हरीशकुमार गंगवार तथा श्री दयाराम शाक्य--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि कासगंज, जिला एटा में घंटाघर पर राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने हेतु कासगंज के नागरिकों ने अत्यधिक प्रयास किया तथा जिलाधीश एटा से भी इस सम्बन्ध में व्यवस्था हेतु मिले ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, इस प्रकार की मांग कासगंज नगर की जनसंघ शाखा की ओर से की गई थी और कुछ व्यक्ति इस सम्बन्ध में जिलाधीश एटा से मिले भी थे। जहां तक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है जिलाधीश ने अनौपचारिक रूप से संबंधित कांग्रेस के नेताओं से बाचीत की और कासगंज की कांग्रेस कमेटी ने २५ जनबरी को यह प्रस्ताव पास किया कि २६ जनवरी को इस घंटाघर पर कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ-साथ राष्ट्रीय ध्वज को भी फहराने की व्यवस्था की जाय। चूंकि वह पोल जिस पर कि कांग्रेस का झंडा फहराया जाता है, ८० फीट ऊंचा है इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिये पोल ८० फीट से अधिक ऊंचा होना चाहिए। कांग्रेस कमेटी की तरफ से अध्यक्ष नगरपालिका से प्रार्थना की गई कि वह तुरन्त लगभग ८५ फीट लम्बे बांस (पोल) का प्रबन्ध कर दें। किन्तु वह इसका प्रबन्ध नहीं कर सके। इसलिये २६ जनवरी, १९६५ को सदा की भांति घंटाघर पर केवल कांग्रेस पार्टी का ही झंडा फहराया गया। सरकार का मत है कि सार्वजनिक इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज ही फराया जाना चाहिये। जांच करने के उपरान्त यह पाया गया है कि घंटाघर एक सार्वजनिक इमारत है। अतएव इस पर किसी अन्य पार्टी का ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिये। जिलाधीश, एटा से इस बात का ध्यान रखने के लिये कहा गया है कि भविष्य में इस घंटाघर पर कांग्रेस पार्टी का ध्वज नहीं फहराया जाना चाहिये।

मिर्जापुर जिले में एग्रो-इंडस्ट्रियल योजना

*२४--श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी (मिर्जापुर) के बभनी, म्योरपुर तथा दुद्धी विकास खंडों के अन्तर्गत २२ ग्रामों में एग्रो-इण्डस्ट्रियल कार्य-क्रम चलाने की योजना सरकार की थी ? यदि हां, तो उस योजना के अन्तर्गत अभी कौन-कौन से कार्य हुए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, । इस योजना के अन्तर्गत उक्त विकास खंडों के ग्रामों में बुनाई, कताई, बढ़ईगीरी, अखाद्य तेल, साबुन तथा बीड़ी के उद्योग प्रारम्भ किये गये। दो औद्योगिक सहकारी समितियों का पंजीकरण हो चुका हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गये हैं तथा प्रशिक्षार्थियों को अनुदान देकर यंत्र भी खरीदवाये गये हैं। कुछ क्षेत्रों में यातायात की कठिनाई, क्षेत्र के पिछड़ेपन तथा वहां के निवासियों में दिलचस्पी कम होने तथा उत्पादन के साधनों के अभाव के कारण उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी है।

*२५--श्री रामप्यारे--

क्या मुख्य मंत्री इस क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए इस योजना को तत्काल कार्यान्वित करने का आदेश प्रदान करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

आदेश दिये जा चुके हैं।

हथ करघा वस्त्र उत्पादन तथा लघु सिंचाई योजना

*श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)

क्या मुख्य मंत्री दिनांक ११ फरवरी, १९६५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि हैन्डलूम के कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिये किन-किन जिलों में कहां-कहां किन-किन एजेन्सियों द्वारा कौन-कौन कार्य किये जा रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

हथ करघा वस्त्र के उत्पादन को बढ़ाने का कार्य करघा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है । यह कार्य चारों जिले, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गाजीपुर मे हो रहा है । वर्ष १९६४-६५ में जिलों की कारोबारों पूंजी के लिये सहकारी समितियों को ऋण देने के लिये १७.८८ लाख रुपया स्वीकृत किया गया था, इसके अतिरिक्त बुनकर सहकारी समितियों को ७६,३२० रु० हिस्सा पूंजी ऋण तथा नमूने खरीदने के लिये ३, ९०० रुपया अनुदान के रूप में दिया गया था ।

*२७--श्री मैनेजरसिंह तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत किन-किन जिलों में कितने कितने नल कूप और पक्के कुओं का निर्माण चालू वर्ष में हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

१९६४-६५ में चारों जिलों में ६१२४ पक्के कुओं तथा २९६ निजी नलकूपों का निर्माण हुआ । इनके अतिरिक्त १५० राजकीय नलकूप की बोरिंग की गई ।

*२८--श्री मैनेजरसिंह तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक पक्के कुएं के निर्माण में सरकार की ओर से कितनी बोरी सीमेंट प्रदान की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कुएं के निर्माण के लिये प्रदेश के प्रत्येक भाग में सीमेंन्ट की मात्रा एक सी नही होती है । वह कूप के व्यास तथा पानी के चुआन पर निर्भर होती है। वैसे सामान्य रूप से १६ से १८ बोरी सीमेंट प्रति कूप का औसत आता है ।

आजमगढ़ जिलें में चतुरीराम को नलकूप निर्माणार्थ धन

*२९--श्री खयालीराम (जिला लखनऊ) तथा श्री मंगलदेव--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ के श्री चतुरीराम, परसरामपुर ब्लाक मुहम्मदपुर को नवीन कूप निर्माण के लिये हरिजन अनुदान से ४९५ रु० स्वीकृत, दिनांक ७ जून, १९५२ में हुआ था ? यदि हां, तो क्या नवीन कूप निर्माण हुआ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां, । नवीन कूप का निर्माण नहीं हुआ ।

*३०--श्री खयालीराम तथा श्री मंगलदेव--

क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के प्रधान ने ईंट और सीमेंट की परमिट अपने नाम से करा लिया था और सब रुपया हड़प लिया था ?

डाक्टर सीताराम--

जी हां । इस विषय में जांच की जा रही है ।

*३१—श्री खयालीराम तथा मंगलदेव—

क्या यह सही है कि आज तक कूप निर्माण संपन्न नहीं हुआ ?

श्री डाक्टर सीताराम—

जी हां ।

जालौन जिलें में होम गार्ड्स ट्रेनिंग कैंप

*३२—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले में फरवरी मास, १९६५ से होम गार्ड ट्रेनिग कैम्प चल रहा है ? यदि हां, तो सरकार उस कैम्प पर कितना रुपया प्रति व्यक्ति खर्चा कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जालौन जिले में फरवरी, १९६५ में होम गार्ड्स की दो देहाती कम्पनियों का एक सम्मिलित शिविर आयोजित किया गया और उसमें खर्चा निर्धारित दर के अनुसार २ रुपया प्रति व्यक्ति प्रति दिन के अन्दर ही किया गया ।

बस्ती जिले में अपराध

*३३—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी से दिसम्बर सन् १९६४ में बस्ती जिले में कितनी चोरी, डकैती तथा कत्ल किन-किन थानों में हुये ? इसमें कितनी कितनी बढ़ोत्तरी इसके पूर्व दो वर्षों के अनुपात में हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका "क" तथा "ख" में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ ४४३-४४४ पर)

*३४—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त जिले में पुलिस द्वारा चलाये गये उपरोक्त वर्ष के केसेज में कितने प्रतिशत सजायाब हुये ?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका "ग" में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ ४४४ पर) ।

उद्योग निदेशालय के अनिर्णीत प्रत्यावेदन

*३५—श्री मोहनलाल अहिरवार (जिला हमीरपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश निदेशालय के अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रत्यावेदन सरकार के पास बहुत अर्से से अनिर्णीत पड़े हुए हैं ? यदि हां, वह प्रत्यावेदन किन-किन अधिकारियों के हैं और कितने-कितने अर्से से अनिर्णीत पड़े हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय के अधीनस्थ कर्मचारियों के १६ प्रत्यावेदन सरकार के पास अब तक अनिर्णीत पड़े हुए हैं । प्रत्यावेदन की तिथि एवं प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों का विवरण संलग्न† तालिका में दिया गया है ।

---

†छपी नहीं गई ।

*३६—श्री मोहनलाल अहिरवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रत्यावेदनों पर अभी तक निर्णय न लिये जाने का क्या कारण है और इन प्रत्यावेदनों पर कब तक निर्णय लिये जाने की आशा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हर प्रश्न का उत्तर †संलग्न तालिका में प्रत्येक प्रत्यावेदन के नाम के सम्मुख स्तम्भ ४ तथा ५ के अन्तर्गत दिया गया है ।

बरेली में इंजीनियरिंग कालेज की भूमि

*३७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली में कोई इंजीनियरिंग कालेज खोलने हेतु नगर के अन्दर उदयपुर खास की आबादी योग्य कई एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने के लिये कोई प्रस्ताव जिलाधीश बरेली ने भेजा है ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

जिलाधीश बरेली ने चार स्थानों के प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें से एक में उदयपुर खास की भूमि भी सम्मिलित है ।

*३८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उपरोक्त स्थान की भूमि अधिग्रहण कर लेने से नगर निवासियों को मकान बनाने में बहुत दिक्कत हो जायेगी जिन्होंने हजारों प्लाट खरीद रखे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी और स्थान पर इंजीनियरिंग कालेज हेतु भूमि अधिग्रहण करेगी जिससे भवनों की कमी की समस्या उत्पन्न न हो ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अभी बरेली में इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने का मामला केन्द्रीय व राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

गुन्नौर थाने में प्यारे लाल के कत्ल की रिपोर्ट

*३९—श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—

प्रश्न १२३ के उत्तर से सम्बन्धित क्या पुलिस मंत्री को इस बात की जानकारी है कि अभियुक्त सुरोमल का हाथ इस अभियोग के कराने में था और इस सम्बन्ध में थाना इंचार्ज, गुन्नौर, ने धारा १६४ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत कुछ गवाहों के बयान एस० डी० एम०, गुनौर के यहां कराये लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस घटना के सम्बन्ध में सूरोमल का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है और न जांच से उनका अपराध में सम्मिलित होना पाया गया ।

यह सही है कि कुछ गवाहों के बयान धारा १६४ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत एस० डी०एम० गुनौर के समक्ष लिये गए थे परन्तु कानूनी दृष्टि के मुकदमा कमजोर होने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगाई गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है ।

---

†छापी नहीं गई ।

नवाबगंज सहकारी गन्ना समिति

*४०—श्री शान्ति चन्द्र शुक्ल (जिला गोन्डा), श्री ईश्वर शरण (जिला गोंडा), श्री विष्णुप्रताप-सिंह (जिला गोंडा) श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवाबगंज (गोंडा) कोआपरेटिव केन यूनियन की वार्षिक आम सभा ५ मई, सन् १९६३ के पश्चात अभी तक नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

नवागंज सहकारी गन्ना समिति लि०, नवाबगंज की वार्षिक साधारण सभा दिनांक ५-५-६३ के पश्चात नही हो सकी है क्योंकि समिति के संचालक मंडल द्वारा वर्ष ६३–६४ एवं ६४–६५ के वार्षिक साधारण सभा की कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकी ।

*४१—श्री शान्ति चन्द्र शुक्ल, श्री ईश्वर शरण, श्री विष्णुप्रताप सिंह, श्री गंगा प्रसाद तथा श्री सूरज लाल गुप्त वकील—

क्या सरकार बतानें की कृपा करेगी कि ५ मई, १९६३ को उक्त यूनियन की बैठक में कितने तथा कौन-कौन प्रस्ताव पारित हुए हैं ? उक्त पारित प्रस्तावों में कितने कार्यान्वित किये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—

उक्त यूनियन की दिनांक ५–५–६३ की वार्षिक साधारण सभा के कुल ८ प्रस्ताव पारित किये गये तथा सभी प्रस्तावों पर निर्णयानुसार कार्यवाही की गई । प्रस्तावों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ज' पृष्ठ ४४५–४४८ पर)

उझानी पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

*४२—श्री उल्फत सिंह यादव—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामजी दास, उपाध्यक्ष, पब्लिक कैरियर आपरेटर्स सोसाइटी, बदायूं का कोई शिकायती-पत्र, श्री उल्फत सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा अग्रसारित बदायूं जिले के थाने उझानी की पुलिस के विरूद्ध सरकार को दिनांक १७ अगस्त, १९६४ को मिला ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी तथा बतायेगी कि उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सदस्य महोदय के पत्र दिनांक १७–८–६४ के साथ श्री रामजी दास, उपाध्यक्ष पब्लिक कैरियर आपरेटर्स सोसाइटी, बदायूं का कोई शिकायती पत्र तो नहीं वरन् सोसाइटी द्वारा की गई सभा में पारित प्रस्ताव की एक प्रति जिसमें उझानी पुलिस के विरूद्ध अत्याचार की शिकायतें थीं, प्राप्त हुआ था । प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है ।

प्रस्ताव में अंकित तथ्यों के बारे में सी०आई०डी० द्वारा जांच किए जाने के आदेश दिए गए । जांच से पता चला कि प्रस्ताव में उल्लिखित मुख्य आरोपों के बारे में मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है । अतः आगे कोई जांच नहीं की गई ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४४९ पर)

*४३—श्री उल्फत सिंह यादव—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ अगस्त, १९६५ को बदायूं जिले की उझानी पुलिस को मोटर आपरेटर्स तथा पुलिस के बीच संघर्ष की सूचना किसके द्वारा मिली और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

मोटर आपरेटर्स तथा पुलिस के बीच संघर्ष की कोई सूचना उझानी पुलिस को नहीं मिली। ट्रक युनियन के सदस्यों तथा कुछ दूसरे ट्रक ड्राइवरों व क्लीनरों के बीच संघर्ष होने की रिपोर्ट १२-८-६४ को श्री रामेश्वर प्रसाद वैश्य, पुत्र श्री फूल चन्द वैश्य, निवासी मुहल्ला साहू कारा उझानी को थी। इस मामले में एक मुकदमा भा० दं० विधान की धारा १४८/३०७/४४४/३२३/३७९ के अन्तर्गत कायम किया गया। ४ अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोग-पत्र ३-९-६४ को न्यायालय में प्रेषित किया गया। वे न्यायालय द्वारा छूट गये।

सतर्कता अधिष्ठान के विचाराधीन सिंचाई उद्योगशाला, झांसी से संबंधित शिकायतें

*४४--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सतर्कता पुलिस के समक्ष जब से उसका गठन हुआ मार्च, सन् १९६५ तक कितने मामले जांच हेतु दिये गये व कितने मामलों में कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सतर्कता अधिष्ठान को मार्च, १९६५ तक ६९ मामले भेजे गए थे। इनमें से पांच मामलों में अधिष्ठान ने मार्च, ६५ तक कार्यवाही पूरी कर ली थी।

*४५--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि माताटीला बांध व सिंचाई उद्योगशाला झांसी से सम्बन्धित लाखों रुपयों के गोलमाल के मामलों की जांच भी सतर्कता पुलिस को दी गई है? यदि हां, तो जांच अभी तक न होने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सिंचाई उद्योगशाला, झांसी से सम्बन्धित शिकायतें, माताटीला डैम से सम्बन्धित शिकायतों के साथ ही जांच हेतु भेजी गई हैं। इन शिकायतों में जांच जारी है। चूंकि शिकायतों की संख्य अधिक है, जांच में कुछ और समय लगने की सम्भावना है। इससे अधिक कहना जनहित में न होगा।

राज काज में हिन्दी का प्रयोग

*४६--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला स्तर पर जो भी सूचनायें विधायकों या अन्य लोगों को दी जा रही हैं, वह आज भी अंग्रेजी भाषा में ही है और यहां तक कि मंत्रियों के दौरे के कार्य-क्रम भी? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जांच करने पर विदित हुआ कि जिलों में विधायकों को भेजे जाने वाले पत्र आदि सामान्यतया हिन्दी में जाते हैं, पर कहीं कहीं विशेष परिस्थितियों में कुछ अंग्रेजी में भी भेजे गये हैं।

*४७--श्री कल्पनाथसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हिन्दी में काम करने के लिये जिला अधिकारियों को आदेश गया है या नहीं ? यदि गया है, तो वह क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेटों को फिर से आदेश भेज दिये गये हैं जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये आगे नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४५० पर।)

*४८-४९--श्री कल्पनाथ सिंह--

[१ ले शुक्रवार के लिये प्र० सं० ९२-९३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, मिर्जापुर का उत्पादन तथा कानपुर जिले मे सीमेंट वितरण

*५०--श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, मिर्जापुर में सीमेंट तैयार होने का प्रतिमाह औसत क्या है तथा दूसरी योजना की अपेक्षा तीसरी योजनान्तर्गत कितना अधिक उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

चुर्क सीमेंट फैक्टरी मिर्जापुर में १९६४-६५ के वित्तीय वर्ष में सीमेंन्ट उत्पादन का प्रति माह औसत ३४,२३३ मेट्रिक टन था ।

वर्तमान सीमेंन्ट फैक्टरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता २,३४,००० मैट्रिक टन थी तथा द्वितीय योजनान्तर्गत में उत्पादन को दुगना करने की योजना सम्मिलित की गई थी । फरवरी, १९६३ से फैक्टरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर ४,७८,००० मैट्रिक टन हो गई ।

*५१--श्री मुरलीधर कुरील--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट का कितना उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है ? उसमें से कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेशों में सरकारी वगैर-सरकारी निर्माण हेतु वितरित कर सकेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सरकार ने मिर्जापुर जिले में डल्ला नामक स्थान पर ८ करोड़ रुपये की लागत से एक और नई सीमेंट फैक्टरी के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है तथा उसके निर्माण हेतु कार्य का आरम्भ भी हो गया है । उक्त नई सीमेंन्ट फैक्टरी की वार्षिक उत्पादन क्षमता ४,००,००० मैट्रिक टन होगी और आशा है कि चौथी पंच वर्षीय योजना काल में वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के मध्य से उसमें उत्पादन का कार्य आरम्भ हो जायेगा । नई सीमेंट फैक्टरी की उत्पादन क्षमता को चौथी पंचवर्षीय योजना काल में ही बढ़ाने का भी प्रस्ताव है । जहां तक सरकारी व गैर सरकारी निर्माण हेतु प्रदेश में सीमेंट के वितरण का प्रश्न है, वह एस० टी० सी० (S. T. C.) द्वारा किया जायगा जो प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार की नीति पर निर्भर होगा ।

*५२--श्री मुरलीधर कुरील--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले व नगर को पिछले पांच वर्षों में कितना सीमेन्ट प्रतिवर्ष सरकारी तथा गैर-सरकारी निर्माण कार्यों में अलग-अलग दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

विस्तृत विवरण संलग्न है ।

कानपुर शहर के स्टाकिस्टों को सरवराह किये गये सीमेन्ट के कुछ भाग का प्रयोग सरकारी निर्माण कार्यों में भी संभवतः किया गया है जिसका पूर्ण विवरण एकत्रित किया जा रहा है ?

(देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४५१ पर)

सहारनपुर जिले में पुलिस इंसपेक्टर

*५३--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर में पुलिस के ऐसे इन्स्पेक्टर कौन-कौन हैं जो कि उसी थाने या कोतवाली में ३ वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

कोई नहीं ।

फर्रुखाबाद जिले में उद्योग ऋण की अदायगी

*५४--श्री दयाराम शाक्य--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद नगर मे अप्रैल, १९५४ से दिसम्बर १९६२ तक जितने लोगों को जिला औद्योगिक विभाग द्वारा ऋण दिया गया था उसमें से कितने व्यक्तियों ने अब तक एक भी किस्त की अदायगी नहीं की तथा सरकार ने उनसे, ऋण की रकम की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की ?

*५५--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त व्यक्तियों पर कितना-कितना रुपया बकाया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सचिवालय के कैडर्स में कमी

*५६--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या राज्य सरकार के सचिवालय में काम करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों में से दस प्रतिशत छटनी करने का जो इरादा सरकार ने किया है उसके संबंध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि छटनी का आधार क्या होगा, छटनी क्यों की जा रही है तथा जो कर्मचारी निकाले जायंगे क्या सरकार उन्हें किसी अन्य स्थान पर लगाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सचिवालय में मिनिस्टीरियल सर्विस के विभिन्न संवर्गों (cadres) में १० प्रतिशत कमी, प्रवर वर्ग सहायकों द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य के परिमाण में वृद्धि (increase in form of work) तथा प्रशासकीय व्यय में कमी की आवश्यकता के फलस्वरुप की जा रही है। इस कमी के कारण किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जायगा ।

*५७--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या आपात कालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार छटनी करने का इरादा स्थगित करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रश्न नहीं उठता ।

*५८--श्री कृष्णानन्द (जिला गाजीपुर)--

[२रे शुक्रवार के लिये प्रश्न २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

पटेल समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*५९--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि पटेल समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करने की ओर उनमें संबंधित समस्त धनराशि देने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार ने अपने ऊपर ले ली है ? यदि हां, इस संबंध में अभी तक केन्द्रीय सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं। पटेल कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने जो केन्द्रीय सहायता पूरी पंचवर्षीय योजना के लिये दी थी उसके अतिरिक्त ४.५० करोड़ रुपए और दिये हैं। इन चार जिलों में तृतीय पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त व्यय लगभग ८·५० करोड़ का होने का अनुमान है। चौथी पंचवर्षीय योजना की स्थिति अभी निश्चित नहीं है और यह तय होना है कि केन्द्रीय सरकार किस हद तक इन चार जिलों के व्यय की जिम्मेदारी लेगी।

भोजीपुरा थाने का निर्माण-कार्य

*६०--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में भोजीपुरा स्थित पुलिस थाना, भोजीपुरा स्टेशन पर बनाने की योजना को अब तक कार्यान्वित न करने के कारण क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

पुलिस थाना भोजी-पुरा का निर्माण कार्य, वर्तमान संकटकालीन स्थिति में स्थगित कर दिया गया है।

बुलन्दशहर जिले में हरीजनों को सहायता

*६१--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र सयाना, जिला बुलन्दशहर व विधान सभा क्षेत्र, सैदपुर, जिला गाजीपुर में सन् १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५ में हरिजनों को हरिजन कल्याण विभाग की ओर से किस-किस किस्म को कितनी-कितनी सहायता दी गई ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मिर्जापुर जिले में कांस्टेबिल के विरुद्ध आरोप

*६२--श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

क्या गृह मंत्री का ध्यान मिर्जापुर से प्रकाशित जनता साप्ताहिक के वर्ष १८, अंक ३४, दिनांक ८ अप्रैल, १९६५ के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित इस समाचार पर कि 'शराब पिला कर सिपाही द्वारा महिला की इज्जत पर डाका, की ओर गया है ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, उक्त समाचार में कांस्टेबिल के विरुद्ध लगाया गया यह आरोप कि उसने एक स्त्री को बलात् शराब पिलाकर उसका शीलभंग किया, जांच से प्रमाणित नहीं हुआ। इतना अवश्य पाया गया कि कांस्टेबिल का स्त्री से अवैध संबंध है और इसके संबंध में उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का मामला विचाराधीन है।

गांव सराय शेख लाड के श्री अम्बिका प्रसाद को उद्योग ऋण

*६३--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या मुख्य मंत्री २९ अप्रैल, १९६५ के तारांकित प्रश्न ११७ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगी कि गांव सरांय शेख लाड के श्री अम्बिका प्रसाद को ९,००० रु० का ऋण सन् १९६४ में दिया गया है जबकि इनको अधिक अन्न उपजाओं फन्ड से सन् १९५७-५८ में अम्बिका देहुई के नाम से (सरांय शेख लाड) ७५० ०. १९५८-५९ में अम्बिका मरुई के

नाम से ७५० रु०, वर्ष १९६० में अम्बिका पान्डेय मरुई के नाम पम्पिंग सेट हेतु २,५०० रु० ऋण का दिया गया है और जिस कार्य के लिये दिया गया वह नहीं हुआ और आज तक पुराने रुपये का पूरा भुगतान नहीं हुआ ? उक्त परिस्थिति में क्या उन्हें ९,००० रु० दिया गया और किस अधिकारी ने देने हेतु सिफारिश की थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सन् ५७–५८ व ५८–५९ में अधिक अन्न उपजाओं फन्ड से दिये गये ऋणों तथा १९६० में पंपिंग सेट के लिये दिये गये ऋण का संबंध इस विभाग से न था। अतः इस विभाग को उनका पता न था। सहायक विकास अधिकारी, पिन्डरा ब्लाक ने सिफारिश की थी।

बाराबंकी मालखाने की बंदूकों का नीलाम

*६४—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोन्डा)—

क्या गृह मंत्री बताने कीकृपा करेंगे कि क्या बाराबंकी में अप्रैल, १९६५ में मालखाने की बन्दूकें नीलाम की गईं ? यदि हां तो किस समय नीलामी हुई और किसको किसको कितने कितने मूल्य पर बन्दूकें दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, यह नीलाम ३० अप्रैल, १९६५ को लगभग ढाई बजे दिन में हुआ। जिन व्यक्तियों को जिस मूल्य पर बन्दूकें बेची गई, उनका विवरण नीचे दिया हुआ है।

नाम	बन्दूक किस प्रकार की थी	मूल्य जिस पर बन्दूकें बेची गईं
१—श्री नत्था लाल ..	१२ बोर एक नाली कारतूसी बन्दूक	७६५
२—श्री फसीहउद्दीन ..	,, ,,	३३५
३—श्री मुहम्मद रईसखां ..	,, ,,	४१०
४—श्री आलेरसूल ..	,, ,,	३४०
५—श्री चमलाल ..	,, ,,	५२५

जिलाधीश अल्मोड़ा की कथित वार्निंग

*६५—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनधिकृत जमीन पर कब्जा व लूटपाट के सिलसिले में गृह (बी–१) विभाग के आदेशों का जिलाधीश, अल्मोड़ा ने अपने दिनांक १२ मार्च, १९६४ के पत्र संख्या २३३४-एस० टी० ६३—११ में क्या उत्तर शासन को दिया और क्या कार्यवाही वास्तव में की ?

*६६—श्री गंगा प्रसाद वर्मा—

क्या यह सही है कि जिलाधीश के उपरोक्त पत्र से संबंधित वार्निंग जिला कर्मचारियों ने संबंधित अपराधियों से मिलकर बिना वार्निंग अपराधियों को दिये ही फाड़ डाली है ?

*६७—श्री गंगा प्रसाद वर्मा—

इस वार्निंग के जारी न किये जाने की प्रथम सूचना कब सरकार ने जिलाधीश को दी और किस दिन वार्निंग फाड़ी गयी जिस प्रकार शासन के आदेशों के बाद तीन अपराधियों को जिलाधीश ने वार्निंग दी उसी प्रकार शेष व्यक्तियों को भी वार्निंग क्यों नहीं दी ? और कब तक इन आदेशों का पालन किया जायगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

*६५—६७ में मांगी गई सूचना लोक हित में देना उचित नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में उद्योग ऋण की अदायगी

*६८—श्री उमाशंकर—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगी कि आजमगढ़ जिले में किन-किन लोगों से उद्योग चलाने के लिये दिये गये अनुदान अथवा ऋण वापस लेने की कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो उनके नाम व पते क्या हैं जिन्होंने ऋण अथवा अनुदान लेकर उद्योग नहीं चलाया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४५२–४५५ पर)

कानपुर क्षेत्र में हरिजन पुलिस सब-इंसपेक्टरों की सेवा समाप्ति तथा श्री चन्द्रपाल सिंह, सर्किल इंसपेक्टर की बहाली

*६९—श्री रघुबीरसहाय कैथवार—

८ अप्रैल, १९६५ के तारांकित प्रश्न ४५ के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रेंज के श्री किशन सिंह, श्री मोती राम, श्री करण सिंह, श्री मिट्ठन लाल व अन्य बहुत से हरिजन सब-इन्सपेक्टर भी पिछले ५ साल के ही बर्खास्त किये गये हैं ? यदि हां, तो बर्खास्तगी की सूची में उन सब के नाम न देने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सर्वश्री किशन सिंह, मोती राम, करण सिंह, मिठ्ठन लाल बर्खास्त नहीं किये गये थे, केवल इनकी सेवायें समाप्त की गई थी जो बर्खास्तगी की सीमा में नहीं आता है इसी-लिये इनके नाम बर्खास्तगी की सूची में नहीं दिये गये थे ।

*७०—श्री रघुबीरसहाय कैथवार—

उक्त दिनांक ८ अप्रैल, १९६५ के प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री को पता है कि सब-इन्स्पेक्टरों व इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति व बर्खास्तगी का अधिकार केवल आई० जी पुलिस को है और श्री चन्द्रपाल सिंह, सर्किल इन्स्पेक्टर, झांसी को डी० आई० जी०, कानपुर ने आई० जी० द्वारा अधिकार देने पर बर्खास्त किया है ? यदि हां, तो क्या आई० जी० को अपील सुनने का अधिकार है ? और यदि नहीं, तो उनके निर्णय का अधिकार क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति का अधिकार केवल डी० आई० जी० को ही है। इंस्पेक्टरों की नियुक्ति सीधे नहीं होती। उनका चुनाव पुलिस रेगुलेशन्स के पैरा ४३६ व ४३८ के

अनुसार होती है। सब-इंस्पेक्टरों तथा इंस्पेक्टरों की बर्खास्तगी डी० आई० जी० तथा आई० जी० पी० दोनों ही कर सकते हैं। अतः श्री चन्द्रपाल सिंह की बर्खास्तगी के लिये डी० आई० जी० को आई० जी० पी० द्वारा अधिकार दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आई० जी० पी० को अपील सुनने का अधिकार है।

*७१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त दिनांक ८ अप्रैल, १९६५ के प्रश्न संख्या ४६ के ही उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि क्या आई० जी० पुलिस ने अपने दिनांक २ मार्च, १९६५ के निर्णय द्वारा क्या उक्त सर्किल इन्स्पेक्टर को पूर्णतः बहाल किया है? यदि नहीं, तो उसके पूर्व स्थान पर पुनः नियुक्त करने का तात्पर्य क्या है और अब क्या कार्यवाही करने का आदेश हुआ है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

आई० जी० पुलिस ने अपने निर्णय द्वारा सर्किल इंस्पेक्टर श्री चन्द्रपाल सिंह को बहाल कर दिया और उन्हें बर्खास्तगी की अवधि में पूरा वेतन देने के आदेश भी किये। श्री चन्द्र पाल सिंह को, विभागीय कार्यवाही में नियम की त्रुटि (Procedural irregularity) होने के कारण बहाल किया गया, और आई० जी० पी० ने डी० आई० जी०, कानपुर से पुनः सही प्रकार से कार्यवाही पूरी करने को कहा है।

पुलिस थानों के लिए मिट्टी का तेल

*७२—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में विशेषकर जिला गाजीपुर, बुलन्दशहर में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के ऐसे पुलिस थानों में जिनमें कि बिजली नहीं है, रोशनी की व्यवस्था के लिये प्रतिमास कितने कितने रुपये का सरकार की ओर से लालटेन जलाने के लिये मिट्टी का तेल दिया जाता है और क्या उतनी धनराशि से रोशनी की जा सकती है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रदेश में बिना बिजली के प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के पुलिस थानों में लालटेन जलाने के लिये मिट्टी का तेल खरीदने के हेतु निम्नलिखित धनराशि स्वीकृति है :

	रु० प्रतिमास
१—प्रथम श्रेणी के शहर का थाना	१२
२—प्रथम श्रेणी के गांव का थाना	८
३—द्वितीय श्रेणी का थाना	६
४—तृतीय श्रेण का थाना	४

यह दरें जिला गाजीपुर और बुलन्दशहर में भी लागू हैं।

मिट्टी के तेल के दाम बढ़ जाने के कारण कठिनाई अवश्य पड़ती होगी और इसी कारण उपरोक्त धनराशि की दर में वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

*७३—श्री कमला सिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो धनराशि मिट्टी के तेल के लिये व्यय की जाती है वह कौन से सन् से बिला किसी परिवर्तन के अब तक दी जा रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सन् १८५४ से।

श्री मुमताज हुसैन, अध्यक्ष, उपभोक्ता सहकारी समिति, मुरादाबाद पर मुकदमा

*७४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी वार्ड नम्बर ५, मुरादाबाद के सदर, श्री मुमताज हुसैन के खिलाफ, दिनांक १९ फरवरी, १९६४ को ४,००० रुपये के गबन की रिपोर्ट हुई है जिसकी जांच श्री प्रहलाद सिंह, एस० आई० ने की और रजिस्टरों से गबन साबित हुआ बावजूद इसके आज तक सदर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक १९-२-६४ को तो नहीं, बल्कि १८-२-६५ को थाना कोतवाली मुरादाबाद में श्री मुमताज हुसैन, अध्यक्ष, उपभोक्ता सहकारी समिति, क्षेत्र संख्या ५, मुरादाबाद तथा अन्य के विरुद्ध अभियोग अंकित हुए थे जिसमें उपभोक्ता समिति के ४,००० रु० के गबन का उल्लेख था। इस मामले में सब-इन्सपेक्टर, श्री प्रहलाद सिंह ने जांच की। जांच के दौरान एक वादी ने सूचित किया कि इन्हीं अभियोगों का एक इस्तगासा उसने अदालत में दायर कर दिया है और पुलिस द्वारा जांच रोक दी जाय। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण इस संबंध में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

डाइरेक्टर, कौंसिल आफ स्पोर्ट्स, श्री तेजस्वी प्रसाद भल्ला की योग्यता

*७५—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश कौंसिल आफ स्पोर्ट्स के वर्तमान डायरेक्टर की खेलों में क्या योग्यता रही है ? क्या उन्होंने कभी किसी जिले, प्रान्त अथवा विश्वविद्यालय स्तर पर किसी खेल में, किसी टीम के खिलाड़ी के रूप में प्रतिनिधित्व किया है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद् के वर्तमान डायरेक्टर, श्री तेजस्वीप्रसाद भल्ला प्रदेश में खेले जाने वाले लगभग सभी खेलों की योग्यता रखते हैं। अपने शिक्षण काल में मल्ल युद्ध और लाठी की लड़ाई में विशेष योग्यता प्राप्त की थी तथा कालेज से पिलो फाइटिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उस समय विद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर इनकी प्रतियोगितायें नहीं होती थीं।

पुलिस सेवा काल में इन्होंने मल्ल युद्ध, हाकी और रस्साकशी की टोलियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया था जिसके फलस्वरूप जिला पुलिस की हाकी टीम जिला जालौन एवं गाजीपुर में फाइनल तक पहुंची तथा रस्साकशी की टीम प्रान्त के स्तर तक पहुंची थी। साथ ही इन्होंने जिला पुलिस की कितनी ही क्रीड़ा तथा दंगल प्रतियोगिता का संगठन किया एवं रेन्ज तथा प्रान्तीय स्तर पर पुलिस की प्रतियोगिताओं में किसी न किसी कार्याधिकारी के रूप में भाग लिया। उन्हें खेल-कूद में अब भी विशेष रुचि है।

*७६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यदि किया है तो किस वर्ष में और किस स्तर पर ? क्या उनके पास कोई शारीरिक शिक्षा एवं व्यायाम का प्रमाण-पत्र भी है ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न ७५ के उत्तर में स्थिति स्पष्ट हो जाती है। श्री भल्ला का भत्ता निरीक्षक पुलिस, पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड का अध्यक्ष इत्यादि होना ही उनकी शारीरिक शिक्षा एवं व्यायाम के प्रमाण हैं।

हैण्डीक्राफ्ट्स शो रूम, अमीनाबाद के कर्मचारियों के मैनेजर को पत्र

*७७—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स शो रूम, अमीनाबाद के कितने कर्मचारियों ने दिनांक ६ अगस्त, १९६२ तथा दिनांक १३ अगस्त, १९६२ को दूकान में शार्टेज तथा नौकरी आश्वासन के संबंध में स्पेशल मैनेजर, हैन्डीक्राफ्ट्स को अलग-अलग कितने पत्र दिये थे तथा उस पर क्या कार्यवाही अब तक हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स शो रूम, अमीनाबाद के एक कर्मचारी ने दिनांक ६-८-६२ और १३-८-६२ को दूकान में शार्टेज तथा नौकरी आश्वासन के संबंध में स्पेशल मैनेजर, हैन्डीक्राफ्ट्स को तीन पत्र प्रेषित किये थे जिनका उत्तर उस कर्मचारी को १७-९-६२ को दे दिया गया था ।

रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर जिले में रेलवे टेलीफोन के तार काटने की घटनायें

*७८—चौधरी रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में सन् १९६४ से ६५ फरवरी तक कितने रेलवे टेलीफोन के तार काटने में कितने व्यक्तियों का चालान किया गया ? उनमें कितने व्यक्ति छूट गये और कितनों को सजा हो गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जनवरी, १९६४ से फरवरी, १९६५ तक इन जिलों में रेलवे टेलीफोन के तार काटने की कुल ३२ घटनायें घटीं । कुल ५ व्यक्तियों का चालान किया गया और उनमें से एक व्यक्ति को सजा हुई । ४ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

टीन का कोटा

*७९—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मार्च, १९६४ से अक्तूबर, १९६४ तक कुल कितना टीन का कोटा उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ और साथ ही साथ नवम्बर, १९६४ से फरवरी, १९६५ तक कितना टीन मिला और दोनों किस्तों में कितने-कितने परमिट जारी किये गये और अलग-अलग उन दोनों किस्तों के माल की कीमत क्या मुकर्रर हुई थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुरादाबाद जिले में उद्योगों के लाइसेंस

*८०—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में पिछले दो साल में (पहली जनवरी, १९६३ से ३१ दिसम्बर १९६४ तक) किन-किन उद्योगों के लाइसेन्स सरकार ने किस-किसको दिये और उन उद्योगों के लगाने के लिये कितना-कितना कर्जा दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कम्युनिस्टों की कथित पुस्तक 'एक उपाय'

*८१—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि प्रदेश के कम्युनिस्टों में गुरिल्ला युद्ध संबंधी कोई पुस्तक प्रचारित एवं प्रसारित की जा रही है और पुस्तक का नाम 'एक उपाय' है तथा वह अंग्रेजी तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं में गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा देने के लिये रखी गई है ? यदि हां, तो वास्तविकता क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं। सूचना प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

गोंडा जिले में श्री सैयद अफजल सईद द्वारा अपराधों की जांच

*८२—श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री सैयद सी० ओ० पुलिस जब से गोंडा नियुक्त हुये तब से कितने केसों की उन्होंने जांच की उनमें कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी तथा कितनों पर मुकदमा चला ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री सैयद अफजल सईद, उप-पुलिस अधीक्षक ने जिला गोंडा में अपनी नियुक्ति की अवधि में ३ मामलों की जांच (इन्वेस्टिगेशन) की, जिनमें से २ में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी तथा १ में मुकदमा चला।

*८३—श्री सुखदेवप्रसाद—

(अ) क्या यह सत्य है कि श्री त्रिपाठी, भूतपूर्व कोतवाल गोंडा ने श्री सीताराम हरिजन को मारते-मारते मार डाला जिसकी जांच उक्त सी० ओ० ने की ?

(ब) तुलसीपुर पुलिस दरोगा के विरुद्ध जांच उक्त अधिकारी को दी गई जिसके संबंध में अब तक कुछ भी नहीं हुआ ?

(स) इसी माह (मई, १९५६) के अन्दर भगवनपुर, थाना ललिया में श्री कामता प्रसाद ब्राह्मण को कुछ लोगों ने मार डाला, जिसकी जांच उक्त अधिकारी ने की परन्तु अब तक कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

भूतपूर्व कोतवाल, गोंडा श्री त्रिपाठी के विरुद्ध लगाये गये इस आशय के आरोप की जांच श्री सईद, उप पुलिस अधीक्षक, ने की थी।

(ब) तुलसीपुर की पुलिस के विरुद्ध एक शिकायत की जांच श्री सईद ने की थी किन्तु शिकायत सही नहीं पाई गई अतः किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(स) इस हत्या के मामले की जांच श्री सईद ने भी की थी। जांच के फलस्वरूप ४ व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं।

लखनऊ में रामायण की कथा में विघ्न डालने वालों की गिरफ्तारी

*८४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि लखनऊ के यासीनगंज नामक मुहल्ले में मोहर्रम के दिनों में कुछ लोगों ने जानबूझ कर रामायण की कथा जो कि कई दिनों पूर्व से चल रही थी। विघ्न डालने का प्रयास किया ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस आशय की सूचना थाना सहादतगंज में प्राप्त हुई थी। पुलिस ने जांच के उपरान्त कुछ गिरफ्तारियां कीं और दो मामले १०७/११७ जा० फौ० तथा १५३/१५३-ए० भा० दं० वि० के अन्तर्गत चालान किये। चूंकि मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं अतः कोई अन्य सूचना देना सम्भव नहीं है।

*८५--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के सआदतगंज नामक मुहल्ले में मुहर्रम के दिन असरा के समय कुछ लोगों ने शांति भंग करने का प्रयास किया जिससे कुछ लोग गिरफ्तार भी किये गये? यदि हां, तो कौन-कौन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं। इस प्रकार की न तो कोई घटना ही हुई और न ही कोई गिरफ्तारी हुई।

*८६--श्री राजेन्द्रसिंह--

[हटा दिया गया।]

*८७--श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)--

२९ अप्रैल, १९६५ के प्र० सं० १०७ के जवाब से संबंधित क्या मुख्य मंत्री को मालुम है कि बाजपुर, बागपत और सरसावा चीनी मिलों में जबकि ओवरहेड चार्जेज एक हैं, तो एक टन चीनी की लागत में फर्क क्यों है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

१९६४-६५ सीजन में निर्दिष्ट सहकारी चीनी मिलों में एक टन चीनी तैयार करने की अनुमानित लागत में फर्क होने का मुख्य कारण उनकी रिकवरी आदि में अंतर है।

*८८--श्री जयगोपाल--

क्या सरकार उपर्युक्त के संबंध में कृपया बतायेगी कि सरसावा शुगर मिल का प्रति टन व्यय सबसे कम होने का क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्राप्त सूचनानुसार सरसावा मिल द्वारा एक टन चीनी तैयार करने की लागत में केन्द्रीय एक्साइज ड्यूटी सम्मिलित नहीं की गई थी। इस मिल के प्रति मैट्रिक टन व्यय केन्द्रीय एक्साइज ड्यूटी सम्मिलित करने के बाद रु० १,२२३.५० होगा।

बुलन्दशहर जिले में अपराध

*८९--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में जनवरी, १९६५ से अब तक कितने कत्ल, डकैती के वाकयात हुये जिनमें से पुलिस ने कितनों में अपनी अन्तिम रिपोर्ट लगायी?

श्री हरगोविन्दसिंह--

बुलन्दशहर में १ जनवरी से १३ जुलाई, ६५ तक की अवधि में कुल ५८ कत्ल व ३७ डकैती के वाकयात हुये। इनमें से १० कत्ल तथा ६ डकैती के मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी , मिर्जापुर, जिला आजमगढ़ की जांच

*९०—श्री उमाशंकर—

क्या मुख्य मंत्री वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मिर्जापुर, जिला आजमगढ़ के कारबार तथा उसकी क्या शिकायतें हैं उसकी जांच करवा रही है और जांच करने में किन कठिनाइयों के कारण इतनी देर हो रही है, इसका एक पूरा विवरण मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

समिति के मामलों की जांच सी० आई० डी० कर रही है। समस्त कागजात उसी के अधिकार में होने के कारण विभागीय जांच नहीं हो पा रही है। देरी का यही कारण है।

*९१—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि उक्त सोसाइटी के ही सदस्यों ने एक (हैन्डलूम) हथकरघा उद्योग के लिये भी सरकार से ऋण तथा अनुदान लिया है जिसके हिसाब-किताब तथा सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग की जांच सी० आई० डी० के सुपुर्द है ? यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पिछले ५ वर्षों में समिति को जो ऋण तथा अनुदान दिया गया है उसकी सूची संलग्न है (Annexure B) समिति के लेन देन का गजात अब भी सी० आई० डी० के पास है इसका विवरण सी० आई० डी० की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही मालूम हो सकेगा।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४५६ पर)

दातागंज के थानेदार को चेतावनी

*९२—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या गृह मंत्री को पता है कि जिला बदायूं के थाना दातागंज में ११ अगस्त, सन् १९६४ को एक सुनारों का लड़का किसी की बन्दूक से मर गया जिससे बहादुर सिंह नाम के व्यक्ति की बन्दूक घर से मंगा कर दरोगा ने सील की और जब पता चला कि बन्दूक दगी हुई नहीं है, तो फिर सील तोड़ कर दुबारा दाग कर सील की गई और टूटी हुई सील फेंक दी गई और वह किसी प्रकार मुल्जिम के पैरोकारों को मिली जिसे सेशन में पेश किया गया और मुकदमा छूट गया और दरोगा के खिलाफ जज ने स्ट्रिक्चर पास किया ? यदि हां, तो दरोगा के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, इस आशय का मुकदमा पुलिस ने चालान किया था, जो सेशन से छूट गया। सेशन न्यायालय ने अपने निर्णय में यह लिखा कि सफाई पक्ष के इस कथन में सच्चाई हो सकती है कि बन्दूक घर से मंगाकर सील की गई और फिर दोबारा सील तोड़ कर दागी गई और फिर सील की गई।

सरकार को यह परामर्श मिला है कि निर्णय में न्यायालय के उपरोक्त कथन केवल अनुमान (Inferences) है, अवक्षेप (Strictures) नहीं। फिर भी इस पर जांच की गई और यह पता चला कि बन्दूक सील करते समय कपड़ा फट गया अतः बन्दूक दूसरे मोटे कपड़े से दोबारा सील करनी पड़ी। पहला कपड़ा सब-इंस्पेक्टर की असावधानी के कारण घटनास्थल पर ही पड़ा रहा जिसके लिये उसे चेतावनी दे दी गई है।

*९३—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या गृह मंत्री को पता है कि जिला बदायूं के किसी मैजिस्ट्रेट ने गत दो वर्षों से कोई लाइसेन्स बन्दूक के तबदील नहीं किये गये हैं, जबकि उनकी फीस आदि नियमानुसार दाखिल थी ? यदि हां, तो कितने ऐसे लाइसेन्स हैं और वह क्यों तबदील नहीं किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सिटी मैजिस्ट्रेट बदायूं के यहां बन्दूक के कोई लाइसेंस तबदील करने के लिये शेष नहीं हैं। एक बन्दूक का लाइसेंस तबदीली के योग्य नहीं पाया गया तथा प्रार्थी के बन्दूक अवैध तथा अनाधिकृत रूप से रखने के कारण पुलिस द्वारा उसकी बन्दूक कलक्टरी मालखाना बदायूं में दिनांक २३ अप्रैल, १९६५ को जमा की जा चुकी है।

राजकीय आर्ट्स कालेज, लखनऊ में गबन

*९४--श्री दयाराम शाक्य--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, १९६३ से फरवरी, १९६४ के बीच लखनऊ स्थित राजकीय आर्ट्स कालेज में लगभग २० हजार रुपये का कोई गबन किया गया है? यदि हां, तो वास्तविकता क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

डाक्टर सीताराम--

जी हां। मामला जांच पड़ताल के लिए पुलिस के अन्तर्गत है। जांच पूरी होने पर आगे उचित कार्यवाही की जायेगी।

सचिव

*९५--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान मुख्य सचिव के कार्य-भार ग्रहण करने के दिनांक को उत्तर प्रदेश सचिवालय में सचिवों एवं विशेष सचिवों की संख्या क्या थी और नियुक्ति के बाद से ३१ मार्च, तक उपरोक्त अधिकारियों की क्या संख्या रही?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वर्तमान मुख्य सचिव के कार्यभार ग्रहण करने के दिन (१०-१-६४) १५ सचिव थे और विशेष सचिव कोई नहीं था। ३१-३-६४ को सचिवों की संख्या १७ और विशेष सचिवों की ४ थी।

मुहल्ला मेवातियान, गोंडा में पुलिस चौकी की आवश्यकता

*९६--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--

क्या सरकार को मालूम है कि मुहल्ला मेवातियान, नगर गोंडा में चोरी एवं डकैतियां अक्सर हुआ करती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार चौकी इस मोहल्ले में स्थापित करेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री हरगोविन्द सिंह--

मोहल्ला मेवातियान, नगर गोंडा के अपराधों की संख्या को देखने से यह सही नहीं प्रतीत होता कि इस मोहल्ले चोरी व डकैती अक्सर हुआ करती है। अतः इस मोहल्ले में पुलिस चौकी स्थापित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री, लखनऊ में लाभ

*९७--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेन्ट फैक्ट्री, लखनऊ में १९६२-६३, १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में कितना वार्षिक लाभ हुआ है और उस लाभ का कितना प्रतिशत बोनस अथवा इनाम के रूप में प्रतिवर्ष उसके श्रमिकों अथवा कर्मचारियों में वितरित किया गया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

१९६२-६३ एवं १९६३-६४ का वास्तविक लाभ निम्नलिखित है :--

	रु०
१९६२-६३	२३,४७,८८८
१९६३-६४	२७,७१,६३८

१९६४-६५ का वार्षिक चिट्ठा अभी तक तैयार नहीं हुआ है।

बोनस तथा इनाम के रूप में श्रमिकों तथा कर्मचारियों में कुछ वितरित नहीं किया गया क्योंकि ऐसी कोई योजना इस फैक्ट्री में लागू नहीं है।

ग्राम सेविकायें

*९८--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)--

क्या मन्त्री जी २२ अप्रैल, १९६५ के प्र० सं० ५८ के सन्दर्भ में बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ग्राम सेविकाओं की तादाद है और अस्थायी पद पर कितने लोग काम कर रहे हैं और उनको स्थायी करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

डाक्टर सीताराम--

इस समय प्रदेश में ग्राम सेविकाओं के २२२५ पद हैं जिन पर १६७१ ग्राम सेविकाएं कार्य कर रही हैं। इनमें से अस्थायी पद पर १४६४ ग्राम सेविकायें हैं। चूंकि सरकार किफायत-शारी संबंधी कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है अतः ग्रामसेविकाओं के अस्थायी पदों की स्थायी करने के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

तुलसीपुर में होम गार्ड्स कमांडर

*९९--श्री शुकदेवप्रसाद--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसी राजनैतिक संस्था का पदाधिकारी का संबंध होते हुये भी एवं स्थानीय निकाय में सदस्य होते हुये होमगार्ड का कमान्डर हो सकता है ? यदि नहीं, तो फिर तुलसीपुर, जिला गोंडा, स्थानीय निकाय का सदस्य तथा राजनैतिक कार्यकर्ता होमगार्ड कमांडर है ? यदि हां, तो अब तक जो कुछ अवैतनिक सहायता ले चुके हैं उसे वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, आगे प्रश्न नहीं उठता।

*१००--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

[दूसरे बुधवार के लिये प्र० ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

हैण्डीक्राफ्ट्स से हटाये गये कर्मचारी

*१०१--श्री मन्नालाल--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर, अल्मोड़ा नैनीताल, मेरठ तथा देहरादून शो रूम्स सारनाथ तथा वाराणसी की ट्राली एवं अमौसी तथा बाबतपुर के शो केस आदि के टूट जाने के बाद वहां से कार्य संलग्न संबंधित गवर्नमेंट यू० पी हैन्डीक्रैफटस के कर्मचारियों को सरकारी सेवा से अलग कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो गोरखपुर, वाराणसी, देहरादून तथा हरिद्वार स्थित यू० पी० हैन्डीक्राफटस के शो कैसेज के रहते हुये भी वहां के कर्मचारियों को क्यों सरकारी सेवा से अलग कर दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं। चूंकि गोरखपुर, वाराणसी, देहरादून तथा हरिद्वार स्थित यू० पी० हैन्डी क्राफ्ट्स का शोकेसेज पर सामान बेचा नहीं जाता था, इसलिये वहां पर कर्मचारियों को रखना आवश्यक नहीं समझा गया।

ग्राम सेविका प्रशिक्षण केंद्र, तालाब बख्शी

*१०२--श्री चौधरी रतीपाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला लखनऊ के अन्तर्गत बख्शी का तालाब में हो रही ग्राम सेविकाओं की ट्रेनिंग में आई हुई महिलाओं के लिये सरकार की ओर से रहने एवं खाने की क्या व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो सरकार उस पर कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम--

ट्रेनिंग में आई हुई महिलाओं के रहने की व्यवस्था सरकारी भवन में है तथा खाने की व्यवस्था शिक्षिकाओं की देखरेख में प्रशिक्षणार्थिनी स्वयं मेस पद्धति से करती है।

*१०३-१०५--श्री रक्षपालसिंह तथा श्री वेदराम--

[वापस ले लिये गये।]

जिला बुलन्दशहर में अनुसूचित जातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*१०६--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में कक्षा ६ से १० तक अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति के लिए कितना धन स्वीकृत सन् १९६४-६५ में किया गया है ?

डाक्टर सीताराम--

वर्ष १९१४-६५ में १,०६,४१६ रुपया स्वीकृत हुआ।

*१०७--श्री जसरामसिंह--

सन् १९६४-६५ में जो धन स्वीकृत हुआ उससे रुपया अधिक व्यय हुआ है या कम ?

डाक्टर सीताराम--

व्यय स्वीकृत धनराशि से अधिक हुआ।

*१०८--श्री जसरामसिंह--

सन् १९६४-६५ में कक्षा ६ से कक्षा १० तक पृथक्-पृथक् कितनी-कितनी छात्र वृत्तियां अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जा रही हैं ?

डाक्टर सीताराम--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४५७ पर)

थाना खेर में श्री छेदीलाल की हत्या

*१०९—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या गृह मंत्री को पता है कि दिनांक १०–११ अप्रैल, १९६० को रात्रि में अलीगढ़ जिले के कस्बा खेर में श्री छेदीलाल, पुत्र नन्हूमल की रहस्यपूर्ण ढंग से हत्या की सूचना १ अप्रैल, १९६० को पुलिस को दी गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस घटना के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा घटना का पूरा विवरण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री छेदीलाल, पुत्र नन्हूमल की १०–११ अप्रैल १९६० की रात्रि में हुई हत्या के संबंध में दिनांक ११ अप्रैल १९६० को थाना खैर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिला पुलिस ने इस मामले की जांच की थी परन्तु सफलता नहीं मिली और मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई। इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग ने भी जांच की परन्तु सफलता न मिलने के कारण जांच बन्द कर दी गई।

घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ४५८ पर)

थाना जरीफनगर में श्रीमती कस्तूरी की बरामदी

*११०—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के थाना जरीफनगर के ग्राम देवरकंचन में २६ अप्रैल, १९६५ तथा उसके आस-पास पुलिस मजाहमत की कोई घटना घटी तथा कुछ गिरफ्तारियां भी की गयीं ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा सरकार द्वारा अन्य क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री बाबू, पुत्र श्री सुन्दर लाल, ग्राम बिचौला, दूधी, जिला मुरादाबाद की पत्नी, श्रीमती कस्तूरी की बरामदगी के संबंध में १९–४–६५ को थाना जरीफ नगर के ग्राम देवरकंचन में पुलिस मजाहमत की एक घटना हुई जिसमें १० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। उनके विरुद्ध १४७/१४८/३५३/५०४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ और अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय को भेजा गया जो न्यायालय के विचाराधीन है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ४५९ पर)

कमालगंज थानेदार के विरुद्ध श्री रामबाबू दुबे की शिकायत

*१११—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिलाधीश, फर्रुखाबाद को कमालगंज टाउन के किसी नागरिक का इस प्रकार का शिकायती पत्र अप्रैल, १९६५ में मिला था जिसमें यह शिकायत की गई थी कि कमालगंज थाने के मौजूदा थाना इंचार्ज उसकी भूमि पर अवैधानिक कब्जा कर रहे हैं ? यदि हां, तो उसमें उक्त थाना इंचार्ज के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज टाउन के श्री राम बाबू दुबे द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक ११–३–६५ जिला मैजिस्ट्रेट को दिया गया था जिसमें शिकायत की गई थी कि थाना इन्चार्ज

[श्री हरगोविन्द सिंह]

कमालगंज प्रार्थी के मकान बनाने में अड़चन लगा रहे हैं और उनकी भूमि की ओर एक खिड़की भी थाना इन्चार्ज ने खोल ली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने से पहले थाना इंचार्ज के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*११२—श्री सूबेदारसिंह—

क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले की जांच तहसील सदर के तहसीलदार द्वारा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

*११३—क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि प्रार्थी उपरोक्त भूमि का अधिकारी है और थाना इंचार्ज महोदय अनुचित कब्जा कर रहे हैं? यदि हां, तो थाना इंचार्ज के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

शिकायत की जांच के संबंध में तहसीलदार की रिपोर्ट मांगी गई थी। चूंकि जांच अभी जारी है अतः तहसीलदार द्वारा दी गई रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखना अथवा उसके बारे में कोई सूचना देना जनहित में नहीं होगा। जैसा कि प्रश्न १११ के उत्तर में कहा गया है, जांच पूरी होने से पहले किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कुरावली ब्लाक में श्रीमती हंसमुखी

*११४—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती हंसमुखी देवी स० वि० अ० (महिला) ब्लाक कुरावली, मैनपुरी में सन् १९६१ से कार्य कर रही है उन्हें मैनपुरी जिले में किस किस ब्लाक में कितने-कितने समय किया है और अब तक मैनपुरी जिले में उनको कितना समय हुआ है?

डाक्टर सीताराम—

जिला मैनपुरी के विकास क्षेत्र सुल्तानगंज में १४-५-५७ से २८-२-५९ तक, विकास क्षेत्र मदनपुर में १-३-५९ से ३०-९-६० तक विकास क्षेत्र किशनी में १-१०-६० से ८-८-६१ तक तथा विकास क्षेत्र कुरावली में ९-८-६१ से अब तक इनको जिला मैनपुरी में कार्य करते हुए लगभग ८ वर्ष २ १/२ माह हुआ है।

*११५—श्री बृजेश्वरसहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती हंसमुखी देवी स० वि० अ० (महिला), मैनपुरी जिले में ब्लाक सुल्तानगंज के किस गांव की रहने वाली हैं और वह गांव कुरावली ब्लाक से कितनी दूरी पर है?

डाक्टर सीताराम—

श्रीमती हंसमुखी देवी जिला मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज के किसी गांव की रहने वाली नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन छात्रावास, पुखरायां का कुप्रबंध

*११६—श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

१८ फरवरी, १९६५ की प्रश्न ६२ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन छात्रावास पुखरायां के प्रबन्धक कौन थे? छात्रावास की संचालन व्यवस्था में उनकी रुचि न लेने एवं दिन प्रति दिन व्यवस्था बिगड़ने के क्या कारण थे? क्या वर्ष १९५७-५८ में इस हरिजन छात्रावास को अनुदान न देने संबंधी जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी?

डाक्टर सीताराम--

प्रबन्धक श्री द्वारिका प्रसाद संखवाल थे। प्रबन्धक के रुचि न लेने के कारणों की सूचना सरकार को नहीं है। प्रबन्ध अवश्य उनकी अरुचि से बिगड़ा।

प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ४६०-४६२ पर)

*११७--श्री ज्वालाप्रसाद--

हरिजन छात्रावास पुखरायां ने कोई वैतनिक कर्मचारी भी रखा था छात्रावास का भवन भी मासिक किराये पर था? क्या उक्त दोनों को यह भी शिकायत थी कि मासिक वेतन तथा मासिक किराया प्रबन्धक नहीं दे रहे हैं?

डाक्टर सीताराम--

जी हां। रसोइया ने वेतन न मिलने की शिकायत की थी परन्तु किराया न मिलने की कोई शिकायत नहीं मिली।

*११८--श्री ज्वालाप्रसाद--

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि प्राप्त विभागीय अनुदान का सदुपयोग प्रबन्धक ने सही ढंग से नहीं किया? यदि हां, तो किस प्रकार अनियमितता प्रबन्धक द्वारा बर्ती गई और यदि नहीं, तो संस्था के ठप होने के कोई और क्या कारण हैं?

डाक्टर सीताराम--

जी हां। प्रबन्धक ने अनुदान की आय व उससे किये गये व्यय का कोई लेखा नहीं रक्खा इस अनियमितता के कारण अनुदान बन्द कर दिया गया।

विजिलेंस डायरेक्टरेट में पुलिस अधिकारियों के मामले

*११९--श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सतर्कता आयोग द्वारा अभी तक कितने पुलिस अधीक्षकों एवं उपपुलिस अधीक्षकों के विरुद्ध जांच की गई और प्रत्येक के विरुद्ध क्या-क्या आरोप थे तथा जांच का क्या परिणाम निकला?

श्री हरगोविन्दसिंह--

विजलेंस डायरेक्टरेट को अब तक ८ एस० पी० और ५ डिप्टी एस०पी० के विरुद्ध जांच भेजी गयी। इनमें से २ इनक्वायरीज (inquiries) पूरी हो चुकी हैं जिनके बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। विजिलेंस डायरक्टरट को भेजी गयी इनक्वायरीज (inquiries) के बारे में और अधिक सूचना देना जन हित में न होगा।

गन्ना विकास विभाग में कर्मचारियों का स्थायीकरण

*१२०--श्री मन्नालाल तथा बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में गन्ना विभाग के कितने कर्मचारी स्थायी किये गये तथा उनको स्थायी करने का आधार क्या था?

डाक्टर सीताराम--

वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में गन्ना विकास विभाग के १०८ (फील्ड) कर्मचारी स्थायी किये गये। इस के अतिरिक्त ८८ कामदार भी स्थायी किये गये। इन सब कर्मचारियों को स्थायी करने का आधार वरिष्ठता और सन्तोषजनक चरित्र-पंजी थी।

*१२१—श्री मन्नालाल तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[हटा दिया गया ।]

*१२२—श्री लखपतराम शर्मा—

[हटा दिया गया ।]

महिला शरणगृह, अवसानगंज, वाराणसी में लड़कियों में की उद्दण्डता

*१२३—श्री ऊदल—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता० २७ मई व २८ मई, १९६५ को महिला शरण गृह, अवसानगंज, वाराणसी में उसमें रखी हुई लड़कियों तथा औरतों ने फाटक को तोड़ दिया और बाहर निकल कर भाग गयीं और पुलिस उड़ाकादल की सहायता से उन्हें पकड़ कर अन्दर किया गया ? यदि हां, तो उनकी क्या-क्या शिकायतें वहां की व्यवस्था के प्रति हैं और भागने का कारण क्या है ? क्या इसमें से कुछ लड़कियां सन् १९६५ में निकल कर भाग गई हैं ?

डाक्टर सीताराम—

यह सही है कि २७ मई, १९६५ की प्रातः ७, १/२ बजे कुछ लड़कियों ने गृह के पुराने फाटक के एक पल्ले को तोड़ दिया और गृह के प्रांगण में आ गईं। कोई लड़की भाग कर बाहर नहीं गई। पुलिस उड़ाका दल वहां पहुंचा था परन्तु उसके पहुंचने के पूर्व ही स्थिति सामान्य हो गई थी। घटना का कारण केवल स्वाभाविक उद्दण्डता थी। सन् १९६५ में इसमें से कोई भी लड़की नहीं भागी ।

प्रतापनगर में पुलिस चौकी की आवश्यकता

*१२४—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापनगर (रेलवे स्टेशन, थाना दरियावगंज), जिला एटा से पुलिस अधीक्षक एटा एवं आई० जी० पुलिस उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एक पुलिस चौकी के खोले जाने हेतु मई, १९६५ में कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रार्थियों की प्रार्थना अत्यन्त उचित समझते हुये चौकी की स्थापना प्रतापनगर (रेलवे स्टेशन थाना दरियावगंज), जिला एटा पर कब से कर दी जायगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस स्थान पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

नजीबाबाद से वेश्यायें हटाने की मांग

*१२५—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले के नजीबाबाद नगर की मुख्य बाजार से अनैतिक पेशा करने वाली वेश्याओं को अब तक क्यों नहीं हटाया गया ?

डाक्टर सीताराम—

२०–२१ जून १९६४ को पुलिस ने उक्त स्थान पर छापा मार कर सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन एन्ड गर्ल्स ऐक्ट के अन्तर्गत २२ वेश्याओं तथा ७ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिसमें अदालत से सबको सजायें हुई ।

*१२६—श्री श्रीराम—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि सन् १९६२ से मई, १९६५ तक वेश्याओं को बाजार से हटाने के संबंध में जिलाधीश बिजनौर तथा सरकार को जनता द्वारा कुल कितने प्रार्थना-पत्र मिले ?

डाक्टर सीताराम—

कुल ६ प्रार्थना पत्र मिले। जिनमें से २ सचिवालय में प्राप्त हुए थे. एक रुहेलखंड डिवीजन के कमिश्नर, एक बिजनौर के जिलाधीश, एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस तथा एक रेवेन्यू आफीसर, देहरादून को मिला।

थाना अजीतमल की पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन

*१२७—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या गृह मंत्री को याद है कि थाना अजीतमल, जिला इटावा के पुलिस के विरुद्ध उस क्षेत्र की दस हजार जनता ने दिनांक ७ अगस्त, १९६४ को प्रदर्शन किया और एक प्रतिनिधि मंडल दिनांक ८ सितम्बर, १९६४ को मंत्री जी से मिला ? यदि हां, तो किस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध क्या आरोप थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अधिक समय बीत जाने के कारण किसी प्रतिनिधि मंडल के मिलने के बारे में स्मरण नहीं है परन्तु यह सही है कि ७—८—६४ को थाना अजीतमल की पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया था जिसमें लगभग ३—४ हजार व्यक्तियों ने भाग लिया था।

तत्कालीन थानाध्यक्ष अजीतमल एवं सब इंस्पेक्टर द्वितीय के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे।

*१२९—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या थाना अजीतमल की पुलिस के विरुद्ध उस क्षेत्र की आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष विरोध व कार्यवाही करने पर एंटीकरप्शन अधिकारी ने दिनांक १० सितम्बर, १९६४ को सी० आई० डी० इंस्पेक्टर ने दिनांक १९ नवम्बर, १९६४ को जांच की और परगनाधीश के यहां सबूत हुआ ? यदि हां, तो इस संबंध में किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सही है कि थाना अजीतमल की पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण, अपराध अनुसंधान विभाग, आगरा ने जांच की थी। जांच से थानाध्यक्ष के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं सिद्ध हुए। सेकेन्ड अफसर के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

*१२९—श्री बालोजी अग्रवाल तथा श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि थाना अजीतमल, जिला इटावा के किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी संगीन आरोप के बारे में सेशन्स जज, इटावा के न्यायालय में कोई मुकदमा भी चल रहा है ? यदि हां, तो वह कौन अधिकारी है और उसी दौरान मुकदमा मुअत्तल न करने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, थानाध्यक्ष अजीतमल व अन्य के विरुद्ध श्री रघुवीर सिंह अहीर निवासी मटपुरा थाना चौकिया का एक प्राइवेट केस जो धारा ३२३/३४२/३३० भा० दं० वि० के अन्तर्गत दायर किया गया था इस समय सेशन कोर्ट में चल रहा है।

इस मुकदमें के दौरान थानाध्यक्ष को मुअत्तल करना आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ।

डिप्टी कलेक्टर व जिलाधीशों को घुड़सवारी की शिक्षा

*१३०--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पी० सी० एस० और आई० ए० एस० या आई० सी० एस० लोगों को घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती है ? यदि हां, तो प्रदेश में प्रत्येक जिलेवार दिनांक ३१ मई, १९६५ तक किन-किन पी० सी० एस०, आई० ए० एस० और आई० सी० एस० आफिसर लोगों के पास घोड़े हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रोबेशनरी पी० सी० एस० और आई० ए० एस० अफसरों को, अलावा उनके जो एकाडमी में पास हों, घुड़सवारी की शिक्षा दी जाती है। प्रदेश के किसी जिले में ३१-५-६५ को पी० सी० एस०, आइ० ए० एस० और आई० सी० एस० अफसर के पास घोड़ा नहीं था।

श्री विजयसिंह--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या प्रदेश में डिप्टी कलेक्टरों या जिलाधीशों को घुड़सवारी की शिक्षा अनिवार्य है ? यदि हां, तो उसकी उपयोगिता क्या और किस आधार पर दी जाती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां। प्रोबेशनरी अफसरों के लिये जरूरी है। उनके काम के लिये इसे आवश्यक समझा जाता है।

*१३२--श्री विजयसिंह--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आज के युग में घोड़ों का स्थान मोटरों ने ले लिया है और सिविल आफिसर्स अधिकतर जीपों का इस्तेमाल करते हैं ? यदि हां, तो घुड़सवारी के स्थान पर मोटर चलाने का ज्ञान अपने पी० सी० एस० तथा आई० ए०एस० आफिसर्स को कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो तब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह सही है कि मोटरों व जीपों का काफी इस्तेमाल अब किया जाता है। मोटर चलाने की शिक्षा दिया जाना भी ठीक है और काफी लोग इसे स्वयं भी सीख चुके होते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी यह शामिल है।

अतारांकित प्रश्न

संकटकालीन समिति

१--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या राज्य नागरिक परिषद् की ओर से किसी संकटकालीन समिति का गठन मई, १९६५ में किया गया है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा सदस्यों के मनोनयन का क्या आधार रखा गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां । संकटकालीन समिति के सदस्य निम्न हैं :

१--श्री नवलकिशोर, महामंत्री, नागरिक परिषद् कन्वीनर ।
२--श्री जगमोहनसिंह नेगी
३--श्री त्रिलोकीसिंह
४--श्री टी० पी० भल्ला
५--श्रीमती कमला बहुगुणा
६--श्रीमती ऊषा दास ।

उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् की दिनांक १ मई, १९६५ की संकटकालीन बैठक में किये गये सुझावों के अनुसार उक्त समिति का गठन किया गया । श्री नेगी जी को छोड़कर बाकी भी व्यक्ति नागरिक परिषद् के सदस्य हैं ।

२--श्री होरीलाल यादव--

[२रे बुधवार के लिये प्र० सं० ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

३--श्री लखपतराम शर्मा--

[३ रे शुक्रवार के लिये प्रश्न सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

४-५ श्री जयगोपाल--

[२ रे बुधवार के लिये प्र० सं० ६-७ के अन्तगत स्थानान्तरित किये गये ।

बेहट, खाद वितरण केंद्र में गोलमाल

६--श्री जयगोपाल--

क्या मन्त्री मंत्री विकास को मालूम है कि नि के यूनियन सहारनपुर के मातहत बेहट, जिला सहारनपुर में खाद्य वितरण करने का एक सेंटर है ? क्या यह सत्य है कि मार्च तथा जून, १९६४ में जो खाद बांटा गया था वह फर्जी नाम पर चढ़ा दिया गया ? क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इनमें कौन कौन अधिकारी शामिल है और कुल कितने रुपये का गोलमाल है और सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम--

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

नये कारखाने

७--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय योजना में कौन-कौन से केन्द्रीय उद्योग उत्तर प्रदेश में खोलने की योजना स्वीकृत हुई थी और उनमें से कितने स्थापित हुए ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित कारखाने खोलने का निश्चय किया था :--

(१) गोरखपुर में खाद का कारखाना ।
(२) हरिद्वार के समीप रानीपुर में हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना ।
(३) ऋषिकेश में एन्टीब्यायटिक कारखाना ।
(४) वाराणसी के समीप महुआडीह में डीजल लोकोमोटिव कारखाना ।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

उपरोक्त पहले तीन कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं और आशा है कि इनमें अगले २ वर्षों में उत्पादन प्रारम्भ हो जायगा ।

डीजल लोकोमोटिव का कारखाना स्थापित हो चुका है तथा उस में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ।

बुलन्दशहर में सदर मालखाने में आग लगना

८---श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में अप्रैल तथा मई, १९६५ में पुलिस दफ्तर में आग लगी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण था इसमें कौन-कौन सामान किस कीमत का जल गया तथा कितना नुकसान हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

पुलिस दफ्तर में कोई आग नहीं लगी परन्तु सदर मालखाने में ५ मई, १९६५ को एक माल में अकस्मात् आग लग गई थी ।

यह आग अकस्मात लग गई थी जिससे कोई क्षति नहीं हो पाई क्योंकि घटनास्थल पर समस्त अधिकारी पहुंच गये थे और आग पर तुरन्त नियंत्रण कर लिया गया ।

९---श्री हिम्मतसिंह---

क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि यह किसकी गफलत से हुआ तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इसमें किसी का दोष नहीं पाया गया और इस कारण किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

कुरावली ब्लाक के ए० डी० ओ० डब्ल्यू० के खिलाफ शिकायत

१०---श्री बृजेश्वर सहाय---

प्रश्न २ व ३, दिनांक २२ अप्रैल, १९६५ से सम्बन्धित क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ए० डी० ओ० डब्लू०ब्लाक, कुरावली, जिला मैनपुरी की शिकायतों की जांच क्षेत्रीय सहायक निदेशिका (महिला), आगरा द्वारा कराई गई, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब यह जांच के लिये गई तो उन्होंने जो डेपूटेशन उच्च अधिकारियों से मिला था, उसमें से किस-किस से पूछा ?

डाक्टर सीताराम---

क्षेत्रीय सहायका निदेशिका (महिला) को डेपुटेशन के सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं थी परन्तु उन्होंने अपनी जांच के दौरान में अध्यक्ष, जिला परिषद्, जिलाधीश तथा जिला नियोजन अधिकारी, मैनपुरी से आवश्यक पूछताछ की । इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्लाक प्रमुख, क्षत्रीय विकास अधिकारी तथा विकास क्षेत्र, कुरावली के स्टाफ और ग्राम सेविका तथा ग्रामलक्ष्मियों से भी पूछताछ की ।

११---श्री बृजेश्वरसहाय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ए० डी० ओ० (डब्लू०), कुरावली जब सन् १९५७-५८ में ब्लाक सुल्तानगंज में काम करती थीं, जो इसी जिले का ब्लाक है वहां पर जनता द्वारा कितनी शिकायतें आयी थीं, और उस पर बी० डी० ओ० तथा अन्य अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम--

इस अवधि में उनके विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने का प्रमाण नहीं मिलता।

१२--श्री बृजेश्वरसहाय--

दिनांक २२ अप्रैल, १९६५ से सम्बन्धित प्र० सं० २ ब ३ के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायक विकास अधिकारी (महिला) ब्लाक कुरावली, जिला मैनपुरी १९५९-६० में ब्लाक मदनपुर, जिला मैनपुरी सन् १९६०-६१ में ब्लाक किशनी, जिला मैनपुरी में जब तक काम करती थीं, तब तक इनकी किस-किस ने और कब-कब शिकायत की और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम--

विकासक्षेत्र मदनपुर तथा किशनी में श्रीमती हंसमुखी देवी सहायक विकास अधिकारी (महिला) के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

१३--श्री बृजेश्वरसहाय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ए०डी०ओ० (डब्लू) जिनकी कि हर ब्लाक में जहां भी वह रहीं, शिकायत आईं और प्रत्येक ब्लाक की बी०डी० ओ० ने शिकायत लिखी फिर क्या कारण है कि ऐसी ए०डी०ओ० (डब्लू) जो वहां की रहने वाले है, उसे क्यों इस जिले में रखा जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम--

जब कभी श्रीमती हंसमुखी देवी, सहायक विकास अधिकारी (महिला) के विरुद्ध शिकायतें उनके अधिकारी से आईं तब उचित कार्यवाही की गई। सेवा पुस्तिका में लिखित विवरण के अनुसार वह जिला फर्रुखाबाद की रहने वाली है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

बरेली तथा रोजा चीनी मिल को गन्ने की सप्लाई

१४--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एच०आर० शुगर फैक्टरी, बरेली तथा रोजा शुगर फैक्टरी, शाहजहांपुर ने १९६४-६५ सीजन में कितने-कितने दिन चालू रह कर कितना-कितना गन्ना क्रश किया और उनकी प्रतिदिन क्रशिंग कैपेसिटी क्या थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

निर्दिष्ट चीनी मिलें ६४-६५ सीजन में जितने-जितने दिन चालू रह कर जितना गन्ना पेरा और उनकी प्रतिदिन पेराई की क्षमता जो थी उसका विवरण इस प्रकार है :

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	मिल चालू रहने की अवधि	पेरे गये गन्ने की मात्रा लाख क्वींटल में	पेराई की क्षमता प्रतिदिन
१--बरेली	.. ..	१९६ दिन	१९.६४	९८० टन
२--रोजा	.. ..	२०७ दिन	१४.६९	७०० टन

१५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रारम्भ में उपरोक्त सीजन में दोनों मिलों को अलग अलग-कितना एरिया व अनुमानित गन्ना रिजर्व कर दिया गया था और मिलें चालू होने के बाद किन-किन तिथियों में, कहां-कहां का कितना गन्ना और रिजर्व पिराई के लिये दिया गया और किन कारणों से ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सीजन १९६४–६५ के प्रारम्भ में बरेली तथा रोजा चीनी मिलों को अलग-अलग जितना गन्ने का क्षेत्र व गन्ने की अनुमानित मात्रा अलग की गई वह इस प्रकार है :

क्रम सं०	चीनी मिल का नाम		गन्ने का क्षेत्र जो अलाट किया गया	गन्ने की अनुमानित मात्रा जो अलाट की गई (लाख क्वींटल में)
			एकड़	
१	बरेली	..	४९,३८८	२०.३०
२	रोजा	..	३९,१६८	१६.०४

उक्त मिलें चालू होने के बाद जिन-जिन तारीखों में जिन-जिन क्षेत्रों या केन्द्रों का गन्ना गन्ने की स्थिति के पुनरीक्षण के फलस्वरूप उपरोक्त मिलों को और अलाट किया गया उसका विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ४६३ पर)

१६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली गन्ना सप्लाई समिति लि० व शाहजहांपुर की गन्ना सोसाइटी ने कितना-कितना गन्ना उपरोक्त मिलों को सप्लाई करने का बांड किया था और उपरोक्त सीजन में कुल कितना गन्ना इन समितियों द्वारा सप्लाई हुआ ? क्या यह सही है, कि बाहर का गन्ना लेने के कारण मिलों को इन समितियों द्वारा गन्ना लेना कम कर देना पड़ा जिससे काश्तकारों को अपने गन्ने का दूसरा प्रबन्ध करने के लिये बाध्य होना पड़ा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१९६४–६५ सीजन में बरेली तथा रोजा चीनी मिलों को बरेली तथा शाहजहांपुर गन्ना समितियों द्वारा जितना गन्ना देने का 'आफर' किया गया वा जितनी उसकी पूर्ति की गई उसका विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया हुआ है । यह सही नहीं है कि बाहर का गन्ना लेने के कारण उक्त मिलों को इन समितियों से गन्ना लेना कम कर देना पड़ा किन्तु वास्तव में बहुधा समितियों द्वारा "आफर" बढ़ाकर दिये जाते हैं और इस कारण गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ने की स्थिति का समय-समय पर पुनर्निरीक्षण किये जाने के बाद निकटवर्ती मिल क्षेत्रों के गन्ने को संधानित (एडजस्टमेंन्ट) करके ऐसी व्यवस्था की जाती है कि समस्त उपलब्ध गन्ना पेरा जा सके।

(देखिये नत्थी "द" आगे पृष्ठ ४६४ पर) ।

बुन्देलखण्ड के शहरों में हरिजनों के लिए मकान

१७—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी व बुन्देलखंड में हरिजनों के लिये मकान शहरों में बनाये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक, कहां-कहां व कितने रुपयों में मकानों का निर्माण होगा ?

डाक्टर सीताराम--

शहरी क्षेत्रों में केवल मेहतरों के लिये मकान बनाने की एक योजना केन्द्रीय सरकार की है। हरिजनों की सूची में सम्मिलित अन्य जातियों के लिये शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

ललितपुर सब-डिवीजन में डाकू

१८--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) के प्रसिद्ध डाकुओं पर जिनके नाम हैं, शंकर सिंह, गोविन्द सिंह, मल्ला, अनन्त राम, पूरनसिंह, गजराज सिंह, गुलाब सिंह, दलीपा रावत और लछुवा रावत उन पर कितना-कितना इनाम सरकार द्वारा तथा मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा घोषित रहा है वह उक्त डाकुओं के विरुद्ध कितने कत्ल, डकैती, राहजनी और अपहरण के मामले पुलिस में दर्ज है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र "क" में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ४६५ पर)

१९--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सन् १९६२ से दिसम्बर, १९६३ तक प्रतिवर्ष व जनवरी सन् १९६४ से १० मई, १९६५ तक प्रतिमाह कितने डाकू ललितपुर सब डिवीजन, झांसी में मारे गये व उनके नाम क्या हैं और उन पर कितना-कितना इनाम उत्तर प्रदेश सरकार व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित रहा है ? वह कितने प्रसिद्ध डाकू १० मई, १९६५ तक शेष मारे जाने अथवा पकड़े जाने के लिये बचे हैं व उनके गिरोह में कितने-कितने व्यक्ति हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह--

प्रश्न में उल्लिखित १९६२, ६३, ६४ व ६५ में मारे गये डकैतों तथा उन पर घोषित इनामों की सूचना संलग्न विवरण-पत्र "ख" में दी हुई है।

जिन डाकुओं को पकड़ने के लिये इनाम घोषित किये गये हैं और जिनके नाम प्रश्न १८ में दिये हुए हैं उनके अतिरिक्त जो डाकू अभी पकड़े जाने हैं उनके सम्बन्ध में सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ४६६-४६७ पर)

२०--श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी)--

[विस्तृत होने के कारण हटा दिया गया।]

बरेली कलेक्टरी में लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्र

२१--श्री द्विजेन्द्रनारायण--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय बरेली के कलेक्ट्रेट आफिस में ऐसी कितनी दरख्वास्तें बन्दूक व रिवाल्वर के लाइसेंस की पड़ी हुई हैं जिन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन में जो रेवेन्यू एथारिटी की ओर से देर लगती है उसे दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय करेगी कि तीन माह के अन्दर सभी दरख्वास्तों का निर्णय हो जाया करे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसी दरख्वास्तों की संख्या लगभग ९७० है। हथियारों के लाइसेंस की दरख्वास्तों पर शीघ्रातिशीघ्र जांच पूरी कराने तथा उन्हें अंतिम रूप से निपटाने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश समस्त जिलाधीशों को जारी कर दिये गये हैं।

२२—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

अप्रैल, १९६४ से मई, १९६५ के बीच किन-किन लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किये गये। क्या यह सही है कि उन लोगों में से कुछ लोगों ने अपने घर के अन्य आदमियों के नाम से लाईसेंस दुबारा लिये हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१ अप्रैल, ६४ से मई, ६५ तक निम्नलिखित लोगों के लाइसेंस सस्पेन्ड किए गए :—

१—श्री सिकन्दर खां, पुत्र बाज खां, थाना एजटनगर।

२—श्री हर प्रसाद, पुत्र हीरा लाल, थाना बारादरी।

३—श्री शब्बीर अली, पुत्र अलताफ अली, थाना बारादरी।

४—श्री काली चरन पुत्र गुलजारी, थाना बारादरी।

इस बात की कोई सूचना नहीं है कि इसमें कितनों ने अपने घर के अन्य लोगों के नाम से दोबारा लाइसेंस लिया है।

विविध जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मुझे यह निवेदन करना है कि १३ तारीख को हमारा असरकारी दिवस पड़ता है। उसका क्या हुआ? इसमें वह दर्ज नहीं है, इसलिये मैं आप से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गंगवार जी, आप कृपया बैठिये। असरकारी दिवस १३ और २७ का है। उसके लिये शलाका भी निकल चुकी है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैंने जो प्रश्न दिये हैं वे खारिज हुए या मंजूर हुए, उनके सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—

माननीय रघुवीरसहाय जी, आपसे पूरी सहानुभूति रखते हुए हम यहां पर उत्तर देने में असमर्थ हैं। आप हमसे मिल लीजिये।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रश्न संख्या ६२ पर दिलाना चाहता हूं। मंत्री की ने जवाब दिया है कि महिला का शील भंग पुलिस द्वारा नहीं हुआ। उसका अवैध सम्बन्ध है, उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री सूरजलाल गुप्त वकील--

यहां तक पहुंच ही नहीं पाये ।

श्री अध्यक्ष--

तो मजबूरी है ।

श्री रामसुन्दर पाडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, जिस तरह से आपने नियम ५२ की सूचनाओं के सम्बन्ध में सरकार को भेजने के लिये आदेश दिया हैं उसी प्रकार से आपको याद होगा कि नियम समिति कई महत्वपूर्ण प्रश्न लाने वाली है लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट विचारार्थ नहीं आई है और उसकी कोई तारीख भी नियत नहीं है । नियम ५२ के अन्तर्गत मंत्री जी वक्तव्य पढ़ते हैं, एक प्रति पहले से माननीय सदस्य को मिल जानी चाहिए । इससे बड़ा लाभ होगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं । अभी झांसी वाला मसला सदन में पेश हुआ है । पहले भी माननीय लखपतराम शर्मा जी ने यह प्रश्न उठाया था, उस पर वाद-विवाद हुआ था । उसके बाद कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैंने भी इसका जिक्र किया था । आज यह प्रश्न फिर प्रस्तुत हुआ है । सारे प्रदेश में पुलिस के प्रति अनास्था हो रही है, और भ्रम फैल रहा है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश ने जो बयान दिया है, उसकी जानकारी हासिल कर ली गई है । आप यह व्यवस्था कर दें कि वह जानकारी सदन की मेज पर रख दी जाय जिससे हम सबका भ्रम निवारण हो जाय । इस प्रदेश में पुलिस आचरण के प्रति बड़ा भ्रम उत्पन्न हो रहा है, जिसकी ज़िम्मेदारी गृह मंत्रालय और गृह मंत्री पर है । इसका निवारण जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५० के अन्तर्गत अगर आप प्रश्न लायेंगे तो उसको देखा जायगा । आप नियम के बाहर ले जाना चाहते हैं तो मजबूर हो जाता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय मैनेजरसिंह ने जो सूचना भेजी थी....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मेरा कामरोको प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैंने स्वीकार नहीं किया । इसका कारण यह है कि आपका कामरोको प्रस्ताव उस विषय पर है जो कम्युनिस्टों से संबंध रखता है । उसमें आपने यह कहा है कि ७५ छोड़े गये और ५५ पुनः गिरफ्तार कर लिये गये । जहां तक मुझे सूचना मिली है, केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार गिफ्तारियां हुई हैं । ऐसी दशा में प्रदेशीय सरकार से उसका संबंध नहीं है ।

*श्री उग्रसेन--

डी० आई० आर० का मसला कानून विभाग का है, पुलिस विभाग का है, केन्द्रीय सरकार प्रदेशीय सरकार को चिट्ठी लिख सकती है नजरबन्दी के लिये, लेकिन जब तक गृहमंत्री, मुख्य मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री उग्रसेन--]

का आदेश नहीं हो जायगा तब तक कोई आदमी नजरबन्द हो नहीं सकता है। नन्दा साहब इशारा कर सकते हैं। अगर किसी के इशारे पर किसी नागरिक की स्वतन्त्रता का अपहरण किया जाता है तो एक दिन हम सब बन्द हो जायेंगे। किसी दिन एक मंत्री से झगड़ा हो जायगा और हम सब बन्द हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप तो एक घटना पर बात करते-करते दूसरी बात कहने लगते हैं कि हम सब बन्द हो जायेंगे।

श्री उग्रसेन--

गलत तरीके पर नजरबन्द किया इसलिये मैं आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

आपको स्मरण होगा कि परसों मैंने और एक दो साहबान ने मिल कर एक कामरोको प्रस्ताव इसी विषय पर दिया था। उसमें हम लोगों की भावना यही थी कि कम से कम सरकार से वक्तव्य लें कि क्यों प्रतिद्वन्दी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य गिरफ्तार किये गये। हाई कोर्ट में रिट पेटीशन दाखिल था, उनको छोड़ कर, फिर गिरफ्तार करना, ऐसा क्यों हुआ, कौन-सी कमजोरी थी, जिससे ऐसा हुआ? आपको भी चीज साफ हो जायगी और हम लोगों को भी संतोष हो जायगा। यही प्रार्थना है कि आप जरूर कोई वक्तव्य सरकार से दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

मुझे खेद है कि कामरोको प्रस्ताव के रूप में केवल वही प्रश्न लिया जा सकता है जिसका प्रत्यक्ष संबंध सरकार से हो। उदाहरण के लिये मैं निवेदन कर दूं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक घटना हुई। वहां पर यह सवाल आया कि पुलिस ने क्या किया। माननीय खेर ने भी यही व्यवस्था दी थी कि अगर पुलिस किसी केन्द्रीय आदेश के अन्तर्गत उनके एजेंट के रूप में कार्य करती है तो फिर प्रदेशीय सरकार के संबंध में कोई प्रश्न नहीं आ सकता।

श्री उग्रसेन--

नहीं, यह सवाल उठा था कि माननीय कमलापति ने क्यों पुलिस दी।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ तो जाइये।

नैनीताल में एक महिला द्वारा स्वायत्त शासन मंत्री पर कथित अभद्र व्यवहार के लिखित आरोप लगाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय मैनेजरसिंह जी की सूचना को जिस रूप में उन्होंने दिया है, उसको उस रूप में मैंने नहीं लिया है। जिस रूप में मैंने लिया है, उसको पढ़कर सुनाये देता हूं।

"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सार्वजनिक महत्व के निम्नांकित अविलम्बनीय प्रश्न की ओर विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आशा है अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति देंगे :--

पिछले जून माह में नैनीताल में एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला ने स्वायत्त शासन मंत्री माननीय चतुर्भुज शर्मा पर यह लिखित आरोप लगाया कि माननीय शर्मा जी ने उक्त महिला क

साथ अभद्र व्यवहार किया। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि ५ जून को नैनीताल में उक्त महिला से सबंधित कोई न कोई घटना हुई। मंत्री परिषद् के सदस्यों के विरुद्ध ऐसे आरोप तथा परस्पर प्रत्यारोप के फलस्वरूप राज्य में विषम स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः ऐसी परिस्थिति में मैं माननीया मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिससे वह स्थिति स्पष्ट कर दें।"

(श्री मैनेजरसिंह से) यह आपको स्वीकार है ?

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

जी हां, स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

आज माननीया मुख्य मंत्री सदन में उपस्थित नहीं हैं, जब वह आ जायेंगी तब बयान दिलाया जायगा।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मैं इस संबंध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है कि मंत्रि परिषद् के जब किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध कहीं बाहर या यहां भी सदन में इस प्रकार के आरोप लगाये जायें तो उस पर वक्तव्य दें। लेकिन यह ऐसा प्रश्न जिससे पूरे प्रदेश का संबंध है और पूरे प्रदेश में आज इसकी चर्चा है। मंत्रिमंडल के एक सदस्य के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, प्रेस में भी इसकी काफी चर्चा है। जनता वास्तविकता को जानना चाहेगी। किन्तु मुख्य मंत्री से ही इस विषय पर वक्तव्य दिला देना पर्याप्त नहीं होगा और न ठीक ही होगा। आज जब कि स्पष्ट है कि प्रदेश का मंत्रिमंडल गुटबन्दी में फंसा हुआ है और मुख्य मंत्री पर भी आरोप हैं कि वह एक गुट विशेष में दिलचस्पी लेती हैं और उसका पक्ष लेती हैं। मुख्यमंत्री का वक्तव्य होने से केवल एक पक्षीय बात ही सामने आयेगी और वह भी पक्षपातपूर्ण हो सकती है और इस तरह से इससे एक भ्रम भी फैल सकता है। इसके अतिरिक्त संबंधित मंत्री द्वारा स्वयं स्थिति न स्पष्ट किये जाने पर उसको इसका मौका न मिलने पर उस पर प्रतिकूल असर भी पड़ता सकता है। इसलिये आवश्यक है कि यदि आप मुख्यमंत्री को इजाजत देते हैं वक्तव्य देने की, तो आप माननीय चतुर्भुज शर्मा को भी इसके लिये इजाजत दें कि वह भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें।

श्री अध्यक्ष--

अवश्य, निश्चित है, उनको भी अवश्य स्थिति स्पष्ट करने के लिये अवसर दिया जायगा। यह होना ही चाहिये, उन्हें जरूर मौका मिलेगा अपनी बात कहने का।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और श्री मैनेजरसिंह का बड़ा आभारी हूं जो वह इस प्रकार के प्रश्न को लाये। मैं स्वंय सोच रहा था कि मैं इस विषय में आपसे कुछ कह सकूं और आपसे प्रार्थना करूं कि मुझे आप कुछ वक्तव्य देने का अवसर दें। लेकिन मेरे मित्रों ने मुझे यह सलाह दी कि मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ न कहूं और न करूं। लेकिन जब मैंने आज प्रातः इस प्रकार की नोटिस का समाचार पत्रों में पढ़ा तो मैं वक्तव्य देने के लिये तत्पर हुआ और मैंने समझा कि मुझे आज मौका मिला कि मैं अपनी परिस्थिति और सारी दशा स्पष्ट कर सकूंगा। जैसा कि माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा, मैं एक मंत्री के नाते और सदन का सदस्य होने के नाते ही नहीं बल्कि एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चतुर्भुज शर्मा---]

भारतीय होने के नाते भी अपना एक स्टैन्डर्ड रखता हूं और मैंने चाहा कि मैं अपना वक्तव्य दूं। मैंने जब यह समाचार पढ़ा तो मैंने आप (श्री अध्यक्ष) क घर पर फोन किया और आपसे बात हुई आपने कहा कि मैं इस पर अपना वक्तव्य दे सकूंगा। इसलिये मै चाहूंगा कि मुझे आज ही वक्तव्य देने दिया जाये। जैसा कि आपने मुझसे फोन पर कहा था।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

संयुक्त मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी तो संयुक्त होती है, इसमें किसी मंत्री और मुख्य मंत्री में क्या फर्क है ?

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये। आदरणीय शर्मा जी ने आज फोन पर मुझसे कहा कि अगर ऐसी सूचना आयी है तो उसे दबाना नहीं चाहिये, उसे आना चाहिये ताकि स्पष्टीकरण हो जाय और इसी वजह से माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने अभी जब यह सुझाव रखा तो मैंने फौरन कहा कि बयान देने के उनके अधिकार को मैं पूर्णतया सुरक्षित रखूंगा और मेरा यह विश्वास है कि कदाचित शर्मा जी के स्पष्टीकरण का प्रश्न ही न उठे, लेकिन अगर उठगा तो वह जरूर देंगे। इस वजह से मै आदरणीय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आज बयान का प्रश्न नहीं है। अभी मैंने आज सबेरे साढ़े ८ बजे मुख्य मंत्री जी को फोन किया तो मालूम हुआ कि वह चली गयी है और जब वह आ जायेंगीं तब उनसे हम बातचीत कर लेंगे और बयान हो जायगा।

*श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपने कृपा करके वक्तव्य इस सदन में इस विषय पर स्वीकार किया और उस वक्तव्य के ऊपर इस सदन के एक माननीय सदस्य क आचरण के ऊपर कुछ चीजें कही गयी है जो अखबारों में शाया हुई है, उनके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं इस सदन में और अखबारों में बहुत सी चीजें छपनी हैं जो कि लोगों के निजी मामले हैं और इसके बारे में ऐसा भ्रम हो सकता है और ऐसी बात फिर इस सदन में आये जिससे इस सदन का स्तर जो ऊंचा उठना चाहिये वह नीचे गिरे। आपने माननीय मुख्य मंत्री और माननीय चतुर्भुज शर्मा को आरोपों और प्रत्यारोपों को स्पष्ट करने की इजाजत दी और यह मंत्रिमंडल कानून के मातहत गठित है, तो इसमें कंट्राडिक्शंस हो सकते हैं और इसमें जो ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---

आप तो बहस कर रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

मैं बहस नहीं कर रहा हूं। मैं तो अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। आपकी इस व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत से वार्तालाप हो सकते हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करें और उसके बाद कोई व्यवस्था दें जिसमें इस सदन का गौरव और मान मर्यादा कायम हो सके।

श्री अध्यक्ष---

अब आप इस पर क्या फरमा रहे हैं ? जब प्रश्न आयेगा तब होगा। शर्मा जी खुद कहते हैं कि वे बयान देंगे और आप कहते हैं कि क्यों कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलंदशहर)—

(श्री काशीनाथ मिश्र का नाम पुकारे जाने पर) मेरा निवेदन है..... ।

श्री अध्यक्ष—

अब निवेदन करने का कोई प्रश्न नहीं है । मैंने काशीनाथ जी को बुलाया था ।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, मेरी बात सुन लीजिये । नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना स्वीकार हो चुकी है । अब जिस रोज यह सूचना सदन के सामने आयेगी उस रोज हम कुछ सुनेंगे कि बयान होना चाहिये या नहीं, अब आज उससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं आ सकता । सिर्फ एक सुझाव था कि माननीय शर्मा जी को अवसर मिलेगा या नहीं तो मैंने कह दिया कि मिलेगा ।

श्री रामचन्द्र विकल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री से इसका इतना वास्ता नहीं है जितना स्वशासन मंत्री से है । जो आप नियम ५२ के लिये कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी जवाब देंगी तो उस नियम ५२ को समाप्त किया जाय । यह गवर्नमेंट का मसला नहीं है । इसमें व्यक्तिगत चरित्र का सवाल है । शर्मा जी सौभाग्य से इस सदन में मौजूद हैं । वह स्वयं वक्तव्य देना चाहते हैं । तो इस कंट्रोवर्सी को चलाये रखना मैं समझता हूं कि जंचता नहीं है । वह वक्तव्य आज होना चाहिये कि यह सच्चा किस्सा क्या है यह मालूम हो सके । अगर सदन इस पर कोई बहस करना चाहे या कोई कमेटी बैठाना चाहे तो वह बैठा सकता है । इसमें एक व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र का सवाल है और वह आज ही होना चाहिये ।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

जो नियम ५२ का नोटिस मिला है और जिसको पढकर आपने सुनाया और जिसको इस समय चर्चा हो रही है उसके बारे में मुझे यह कहना है कि चूंकि माननीय शर्मा जी यहां पर मौजूद हैं और इसका मुख्यतया उनसे संबंध है एक व्यक्तिगत माननीय मेम्बर के रूप में या व्यक्ति के रूप में, किन्तु कैबिनेट के मिनिस्टर के रूप में इससे संबंध नहीं है । मेरा आशय यह है कि नियम के अनुकूल पहले नियम ५२ में आप उनको अवसर दें । जब उनको सब सुन लें तो उसके बाद आप मुख्य मंत्री जी को मौका दें ।

श्री अध्यक्ष—

जब नियम ५२ का प्रश्न सामने आयेगा तब हम उसको देख लेंगे ।

श्री टम्बरश्वरप्रसाद—

यह कल आयेगा या परसों आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—

जब मुख्य मंत्री जी यहां पर आ जायेंगी तब दिन निश्चित होगा ।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैं एक संवैधानिक प्रश्न इस सिलसिले में उठाना चाहता हूं। संविधान की धारा १५४(२) के अन्तर्गत यह अधिकार राज्यपाल महोदय को नहीं था कि वह एक महिला का शिकायती-पत्र लेते और अगर उन्होंने शिकायती-पत्र लिया तो उसकी चर्चा अखबारों में न करते। इस सिलसिले में मैंने संवैधानिक सवाल पहले भी आपको लिखकर दिया कि इस प्रकार की अवैधानिक गड़बड़ इस मंत्रिमंडलके द्वारा बराबर होती रही है। गत साल इस विधान सभा के अन्दर तस्कर व्यापार का सवाल एक मंत्री के विरुद्ध यहां पर उठाया गया और म्युनिसिपैलिटी की जमीन को हड़पने का सवाल एक मंत्री के विरुद्ध यहां पर उठाया गया.....

श्री अध्यक्ष---

आप आउट आफ आर्डर बात कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं इसी संबंध में बात कर रहा हूं। आप कृपया सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

यह इस संबंध में बात नहीं है। नियम ५२ की इस समय बात हो रही है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं आपका ध्यान संविधान की धारा १५४(२) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप नियम ५२ के अन्तर्गत कुछ कहना चाहते हैं या और बात कहना चाहते हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जो नियम ५२ इस समय आपने स्वीकार किया है, मैं उसके संबंध में ही बात कर रहा हूं कि नियम ५२ में इसको स्वीकार होना चाहिये या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप यह स्पष्ट बतायें कि आप नियम ५२ पर कुछ कहना चाहते हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जो अवैधानिक बात हुई है मैं उस संबंध में कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने संविधान की धारा १५४(२) का उल्लंघन किया है।

श्री अध्यक्ष---

यह नियम ५२ में नहीं आता है। उस पर आपको नहीं कहना है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपा कर बैठ जाइये। आप जो वैधानिक आपत्ति उठा रहे हैं वह वही है जो आपने लिख कर मेरे पास भेजी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जी हां ।

श्री अध्यक्ष--

तो उसे मै कल लूंगा, आज नहीं लूंगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता था और आपको याद होगा कि एक बार पहले भी मैंने इस तरह के प्रश्न पर तकलीफ का इजहार किया था और आज फिर उसका इजहार करना चाहता हूं और खासतौर पर आपसे और इधर के बैठने वालों से निवेदन करना चाहता हूं। उधर बैठने वालों से निवेदन करने की मैं जरूरत नहीं समझता क्योंकि उनके अन्दर इतनी क्षमता नहीं है कि वे इस बात को कह सकें कि किसी व्यक्तिगत चरित्र पर आक्षेप संबंधी कोई बात इस सदन के अन्दर न लायी जाय। यह राजनीतिक और स्वस्थ परम्परा की पुकार है कि व्यक्तिगत चरित्र की बातें इस हाउस के अन्दर नहीं आनी चाहिये। लेकिन आज मुझे तकलीफ है कि जब आपके पास नियम ५२ के अन्तर्गत यह प्रश्न आया तो आपको चाहिये था कि इस पर सहानुभूति पूर्वक और ठंडे दिल से विचार करते और विचार करने के पहले आपके लिये जरूरी था कि आप माननीया मुख्य मंत्री से परामर्श करते, शर्मा जी से परामर्श करते और उसके बाद जब आपके दिल में यह बात उठती कि इसे हाउस में जाना चाहिये, सारे प्रदेश की जनता के अन्दर इसे प्रसारित होना चाहिये, तब फिर आप ऐसे पुनीत काम को करने का हुक्म देते और वह हाउस में उपस्थित हो जाता। लेकिन आपने इस काम को नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह आपको कैसे मालूम हुआ ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मालूम हुआ आपके आचरण से।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जायं। पहले मेरी बात सुन लें। माननीय रामसुन्दर पाडेय जी, आपने जो वैधानिक प्रश्न उठाया है उसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

मैंने स्पष्ट कहा कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामसुन्दर जी, यह विवाद का समय नहीं है। आपकी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया है, तो आप उनसे बातचीत करें, न कि मुझ से।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

यही तो दिक्कत है। हम रोजाना नियम ५२ और कामरोको प्रस्ताव देते हैं .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह आउट आफ आर्डर है, आप कृपा करके बैठ जायें। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री उग्रसेन--

जब कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नजरबन्द थे तो मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत सवाल उठाना चाहा था, लेकिन आपने उसकी इजाजत नहीं दी और आज आपने शर्मा जी के सवाल को उसके अन्तर्गत ले लिया (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामसुन्दर पाडेय्य जी, आप कृपा कर के बैठ जायं। जितनी बातें आप कह रहे हैं वे सब अनियमित हैं। (व्यवधान) आप बैठ जायं या बाहर चले जायं। जितनी बातें आपने कही हैं वे रेकार्ड में नहीं आयेंगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

अच्छा हो कि माननीय रामसुन्दर पाण्डेय जी अपनी पार्टी से मिल कर सदन के बाहर व्यवस्था के प्रश्न को तय कर लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

हर मेम्बर को अख्तियार है कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं या नियम ५२ का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

आप मेरी बात को सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी पार्टी के नेता हैं, उस नाते आप अपनी पार्टी के माननीय सदस्य को जिन्होंने नियम ५२ का प्रश्न उठाया है, उनसे कहें और अगर वे नियम ५२ का प्रश्न वापस लेना चाहते हैं तो वापस ले लें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठ जायं।

श्री मैनेजरसिंह--

अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि दफा ५२ के अन्तर्गत जो प्रश्न मैंने उठाया है उस पर विवाद के सिलसिले में जो आपत्तियां उठायी गयी हैं, वे खेदजनक हैं। मैंने कल ही कहा था कि मुझे संकोच हो रहा है इस प्रश्न को उठाने में। मैंने लिख कर भी दिया था। मैं समझता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री से हमारे नेतागण और विरोधी दल इस सवाल की सफाई चाहते हैं, लेकिन मै देख रहा हूं कि इस सवाल की सफाई होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने भी कहा कि उनके व्यक्तिगत हित में है कि इस प्रश्न को सफाई हो जाय जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को पता चल सके कि वास्तविकता क्या है। इस संबंध में मैं अपने नेता की राय से इत्तफाक नहीं करता।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने जिस समय माननीय मैनेजर सिंह जी का नियम ५२ का प्रश्न पढ़ा उस समय आपने कहा कि जो असली दिया है वह मैं नहीं ले रहा हूं। इसे दूसरे रूप में ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने यह नहीं कहा।

श्री राधेश्याम शर्मा--

आपने यह कहा।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा--

आपने कहा कि असली रूप में मैं नहीं ले रहा हूं, दूसरे रूप में ले रहा हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह असली रूप उसका क्या है और जिस रूप में आप ले रहे हैं वह क्या है?

श्री अध्यक्ष--

अध्यक्ष को अधिकार है कि कोई भी प्रस्ताव अथवा प्रश्न वह उसे उसी रूप में अथवा संशोधित रूप में, संशोधन करके स्वीकार कर ले। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम शर्मा--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, कल मैंने नियम ५३ दिया था। ७ तारीख निकट आ रही है।

श्री अध्यक्ष--

उसे ले लेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल--

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतना महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है। जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव दिया है वह चाहते हैं कि इसकी सफाई हो जानी चाहिये। यह सवाल पूरे सदन का सवाल है, किसी व्यक्ति का नहीं। यह सारे सदन के सम्मान का प्रश्न है। जिन माननीय सदस्य से इसका संबंध है वे भी चाहते हैं कि इसको ले लिया जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर आप समय दें।

(व्यवधान)

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि जो प्रश्न उपस्थित किया गया है सदन के समक्ष, उसमें मैं समझता हूं कि वह एक व्यक्ति क व्यक्तिगत

[श्री बृजबिहारी--]

आचरण का सवाल है और वह उसी से संबंधित है। कोई सरकार का संबंध इस प्रश्न में नहीं है। मुख्य मंत्री का वक्तव्य तो उस सूरत में आना चाहिये कि जब सरकार से वह प्रश्न संबंधित हो। यह प्रश्न व्यक्ति विशेष के आचरण से संबंधित है और अगर यह व्यक्तिगत प्रश्न है, जैसा कि अखबार में भी आ चुका है और इस सदन में भी, इस रूप में यह प्रश्न किया गया है तो क्या उचित न होगा कि जो व्यक्ति इससे संबंधित है उसका वक्तव्य ही पहले लिया जाय और यदि आवश्यक होगा तो मुख्य मंत्री जी उसके बाद अपना वक्तव्य दे देंगी ?

श्री अध्यक्ष--

मैं यही कह रहा हूं कि जिस रोज यह बयान होगा उस रोज ले लिया जायगा। इसमें कहां और कौन-सी परेशानी है ? आप ही यह क्यों कह रहे हैं ?

श्री बृजबिहारी--

परेशानी यह है कि यह प्रश्न आ चुका है।

श्री अध्यक्ष--

यह उस दिन तय हो जायगा।

श्री बृजबिहारी--

यह प्रश्न उपस्थित हो गया है और जितनी जल्दी हम इस व्यक्तिगत प्रश्न को समाप्त कर दें, अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--

आप इसको व्यक्तिगत कह रहे हैं लेकिन माननीय शर्मा जी के कहने पर यह प्रश्न सदन में आया जो कल तक दबा हुआ था। उन्होंने आज स्वयं सबेरे कहा कि इसको ले लिया जाय। अब उनके कहने के बाद इधर उधर के प्रश्न उठ रहे हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि इसको ले लिया जाय। मैंने कहा कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं इस वास्ते कि यह प्रश्न ऐसा है कि जो कठिनाई पैदा कर रहा है। उनके कहने पर यह प्रश्न अब चूंकि लिया गया है इसलिये क्यों परेशानी हो रही है। (व्यवधान) अब दूसरा सवाल यह है कि यह सरकार से संबंधित है या नहीं। इसमें शब्द यह है कि "एक मंत्रि परिषद् से सम्बद्ध महानुभाव के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाना और परस्पर आरोप प्रत्यारोप होना एक गंभीर स्थिति पैदा करता है इस प्रदेश में"। सवाल यह होता है कि जो बातें आप कर रहे हैं उससे बिला वजह के लिये आप इस बात का भ्रम पैदा करते हैं कि मंत्रियों में आपस में मतभेद है। आप ऐसा क्यों सोचे हुए हैं, आपको कैसे मालूम है....

श्री उग्रसेन--

क्या आपको शुबहा है ?

श्री अध्यक्ष--

आप सोचे हुए हैं कि मंत्री महोदय ऐसा बयान देंगे जिसके परिणाम स्वरूप कोई विरोध उत्पन्न होगा। मैं तो नहीं सोचे हुए हूं।

श्री उग्रसेन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप शर्मा जी का बयान करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। तो उस सिलसिले में मैं यह सोचता था कि कोई ऐसी बात पैदा नहीं हो रही है, तो आप क्यों इसमें नयी बात पैदा कर रहे हैं? तो वह विषय समाप्त हुआ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

शर्मा जी का बयान पहले करावें।

श्री अध्यक्ष--

यही है कि अगर शर्मा जी पहले बयान करना चाहेंगे तो वह हो जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

राज्यपाल का भी बयान करा दीजिये इस सदन में। उनको यहां बुलवाइये और बयान कराइये।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। यह विषय समाप्त।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे फिर कुछ कहने का अवसर दिया। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि आपने मुझे कल नहीं बुलाया। कल यह प्रश्न उठाया गया और इत्तफाक से मैं इस सदन में नहीं था, नहीं तो कल ही अर्ज करता। लेकिन दिन भर आपने मुझे नहीं बुलाया। मैंने सबेरे जब अखबार में पढ़ा तो आपसे प्रार्थना की। मैं कल आप से मिलना भी चाहता था शाम को, लेकिन आज जब यह सवाल आया है तो मैंने आपसे प्रार्थना की कि मैं इसमें वक्तव्य दूंगा और आपने स्वयं यह कहा कि हां, आप वक्तव्य दें।

तो मैं अर्ज यह करना चाहता हूं कि मैं नहीं जानता कि किन शब्दों में माननीय मैनेजरसिंह ने प्रस्ताव रखा है, लेकिन जो अखबार में पढ़ा उसमें मैंने यह पढ़ा था कि या तो माननीया मुख्य मंत्री या माननीय स्वशासन मंत्री इसकी सफाई दें। तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी एक मंत्री का वह सवाल रहता नहीं। लेकिन जब वह मेरे नाम से ही है . . . .

श्री अध्यक्ष--

अब आप चाहते हैं कि मैं पढ़ दूं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

नहीं, मैं चाहता हूं कि जो आपकी रूलिंग है वह मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह मंत्रि वर्ग से संबंध नहीं रखता। मेरे नाम जो कुछ भी लांछन या जो ऐलीगेशन है, वह मंत्री की हैसियत से काम करने वाले पर नहीं हैं। यह एक व्यक्तिगत आरोप है और उसकी व्यक्तिगत सफाई देने को या उसका स्पष्टीकरण करने के लिये या वाकयात बताने को मैं सदन में तैयार हूं। इसमें आप यह क्यों समझ रखते हैं अगर किसी ने लिख भी रखा है कि मंत्रियों के आपस में आरोप-प्रत्यारोप आयेंगे, तो यह बिलकुल गलत है। किसी और से संबंध रखने वाली बातें कहने का न मेरा इरादा है और न कहूंगा। मैं तो उन बातों को अर्ज करूंगा कि जो उस घटना से संबंधित हैं जिनका किसी दूसरे मंत्री से संबंध नहीं है।

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि न तो मुख्य मंत्री से कोई बात सम्बन्ध रखती है, न किसी और मंत्री से सम्बन्ध रखती है। केवल एक मुझ चतुर्भुज शर्मा से सम्बन्ध रखती है जो कि यहां का एक माननीय सदस्य है। अगर मैं सदस्य हूं तो मैं कृपा चाहूंगा इस हाउस की, इस माननीय सदन

[श्री चतुर्भुज शर्मा--]

की मैं भी सदस्य हूं और उसके साथ साथ मैं मंत्री हूं और भारतीय हूं। एक भारतीय नागरिक के नाम से मैं कहता हूं कि मैं चरित्र को समझता हूं। मेरी बाकायदा शिकायत यह है कि यह सवाल बिला बजह इतना तूल न पकड़ कर यहां वह प्रक्रिया जारी न रखी जाय। कृपया मुझे कुछ अवसर दिया जाय कि मैं कह सकूं कि वाक़या क्या है।

श्री अध्यक्ष--

सूरत यह है कि अगर यह प्रश्न व्यक्तिगत होता और केवल श्री चतुर्भुज शर्मा से ही संबंधित होता तो उसके इस सदन में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। व्यक्तिगत आचरण के सम्बन्ध में कोई प्रश्न सदन में नहीं उठाया जाता और न उसको उठाने की इजाजत ही होती है। वह प्रश्न केवल उसी समय उठाया जा सकता है जबकि किसी व्यक्ति विशेष का आचरण सरकार के प्रशासन पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता हो। मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत इसको इसलिये नहीं लिया है कि श्री चतुर्भुज शर्मा के ऊपर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाया गया है, बल्कि एक मंत्रि परिषद् के सदस्य के ऊपर आरोप है और उससे सम्बन्धित जो अवस्थायें उत्पन्न हुई हैं उनका प्रभाव प्रशासन पर पड़ता है। प्रशासन को चलाने का मुख्य उत्तरदारित्व मुख्य मंत्री का है, किसी और का नहीं। कोई भी मंत्रि परिषद् का सदस्य उनकी संस्तुति पर ही होता है। अपनी पार्टी का नेता चुन जाने के बाद, महामहिम राज्यपाल महोदय ने माननीया मुख्य मंत्री को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि तुम अपना मंत्रि परिषद् बनाओ, और इस प्रकार उन्होंने आप (श्री चतुर्भुज शर्मा) को अपने मंत्रि परिषद् का सदस्य चुना। ऐसी हालत में प्रशासन का उत्तरदायित्व केवल माननीया मुख्य मंत्री पर ही है न कि व्यक्ति विशेष पर। इसलिये, जब-जब भी व्यक्तिगत आरोप का प्रश्न होगा, मैं कभी भी उस प्रश्न को यहां उठाने नहीं दूंगा, लेकिन अगर यह कहा जायेगा कि उस आचरण के फलस्वरूप प्रशासन में शिथिलता आयी है, उसका प्रभाव प्रशासन पर पड़ा है, सारे देश में उसके कारण बदनामी हो रही है, तो मैं मजबूर हूंगा नियम ५२ में उसे लेने के लिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री जो अवश्य बयान दें, यही मेरा निश्चय है। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में यह भावना जागृत हो कि मंत्रि परिषद् में कोई विरोध है, और उसका निराकरण होना चाहिये, तो वह तभी हो सकता है जब माननीया मुख्य मंत्री बयान दें। उसके पश्चात्, अगर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो मैं अवश्य आपको इजाजत दूंगा। (व्यवधान) तो मेरा निवेदन है कि मैंने इस भावना से उसको नहीं स्वीकार किया है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न है, ऐसी बात नहीं है। इसका उत्तर उनको देना पड़ेगा, अगर उप नेता सदन बयान देना चाहें तो दे सकते हैं, उसके बाद जो चाहे स्पष्टीकरण कर सकता है। यह मेरा मत है। (व्यवधान)

(श्री रामचन्द्र विकल ने श्री अध्यक्ष की आज्ञा के बिना भाषण देना आरम्भ किया। श्री अध्यक्ष के रोकने पर भी माननीय सदस्य बोलते रहे। तब श्री अध्यक्ष ने कहा कि यदि वे स्थान ग्रहण नहीं करते तो सदन से बाहर चले जायं। श्री रामचन्द्र विकल सदन छोड़ कर बाहर चले गये।)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य सदन छोड़कर चले जाते हैं परन्तु आपकी व्यवस्था नहीं होती। इसलिये मैं भी सदन को छोड़कर चला जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़िये।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

आपकी मैं व्यवस्था चाहता हूं। नहीं तो मैं सदन छोड़ता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़िये ।

(श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय सदन छोड़कर चले गये ।)

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)--

मैं भी इसके विरोध में सदन छोडता हूं ।

(श्री शिवसम्पत्ति शर्मा सदन छोड़ कर चले गये।)

(व्यवधान)

इलाहाबाद तथा अन्य कुछ जिलों में पुलिस द्वारा जनता पर प्रहार के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद नगर में भारत-पाक कच्छ समझौता तथा अन्य सरकारी नीतियों के विरुद्ध स्थानीय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने १ अगस्त, १९६५ ....

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी पान खा कर बोल रहे हैं । साफ नहीं सुनाई दे रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

खामोश रहिये सुनाई देगा। सुनने की कोशिश करें ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद नगर में भारत-पाक-कच्छ समझौता तथा अन्य सरकारी नीतियों के विरुद्ध स्थानीय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने १ अगस्त, १९६५ को एक हड़ताल संगठित करने का एलान किया था जिसको पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिये हर प्रकार की तैयारी की गई थी । इस सम्बन्ध में यह भी ज्ञात हुआ था कि पार्टी के कार्यकर्त्ता उन दुकानों और सिनेमा घरों को जो खुले रहेंगे बलपूर्वक बन्द कराने का प्रयत्न करेंगे तथा नगर में बसों तथा रिक्शों का चलना भी बन्द कराने का प्रयत्न करेंगे ।

२--शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से नगर में उचित प्रबन्ध किया गया था और मैजिस्ट्रेट व गजटेड पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान पर जहाँ झगड़ों की आशंका हो सकती थी, नियुक्त किये गये थे । सिनेमा घरों पर विशेष ध्यान रक्खा गया था, क्योंकि यह सम्भावना थी कि संसोपा के प्रदर्शनकारी सिनेमा बन्द कराने में अपना पूरा प्रयत्न करेंगे ।

३--१ अगस्त को रविवार था और उस दिन कोतवाली, सिविल लाइन्स तथा मुट्ठीगंज के बाजार छुट्टी के कारण बन्द थे । कटरा बाजार में भी करीब करीब सब दुकानें बन्द रहीं । दूसरे बाजारों में २० से ३० प्रतिशत दूकानें और स्टाल खुले रहे ।

४--दोपहर के लगभग मानसरोवर सिनेमा के सामने संसोपा कार्यकर्त्ताओं ने तथा अन्य बहुत से व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया और वहाँ श्री जनेश्वर मिश्रा, मंत्री अखिल भारतीय समाजवादी युवक सभा ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया । घटनास्थल पर जिला मैजिस्ट्रेट तथा ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी के समय से पहुंचने के कारण स्थिति बिगड़ने से बच गई और मानसरोवर के मैनेजर ने सिनेमा बन्द कर दिया । नगर के और सिनेमा भी बन्द हो गये परन्तु कटरा क्षेत्र में लक्ष्मी टाकीज में बराबर शो होता रहा ।

[श्री शिवप्रसाद गुप्त]

५—सवा दस बजे के करीब १५० व्यक्तियों ने निरंजन सिनेमा के सामने नारे लगाते हुए धरना दिया। उनमें से कुछ ने पास ही एक शराब की दूकान पर पथराव किया। ३–४ व्यक्तियों ने सड़क से और ५–७ व्यक्तियों ने शराब की दूकान की छत पर से प्रदर्शनकारियों के ऊपर सोडावाटर की और शराब की खाली बोतलें फेंकीं। इस घटना में होमगार्ड के एक कर्मचारी को चोट आई। घटनास्थल पर नियुक्त पुलिस ने तुरन्त ही स्थिति को संभाल लिया और ३ व्यक्तियों को जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर बोतलें फेंकीं थीं, गिरफ्तार कर लिया। इससे प्रदर्शनकारी शान्त हो गये और स्थिति पर काबू पा लिया।

(इस समय १२ बजकर ४९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

६—प्रातःकाल के समय चलती हुई मोटरों पर भी कुछ पथराव की घटनाएं हुईं। लगभग ९ बजे कुछ व्यक्तियों ने मोहल्ला तेलियरगंज थाना कर्नलगंज में राजकीय रोडवेज की बस पर पथराव किया जिसकी रिपोर्ट थाना कर्नलगंज में अंकित हुई। १० बजे के लगभग प्रमुख सम्वाद-दाता, नार्दर्न इंडिया पत्रिका की जीप को कचेहरी के पास प्रदर्शनकारियों ने क्षति पहुंचायी। इसका भी एक मुकदमा थाना कर्नलगंज में कायम किया गया। लगभग इसी समय कुछ व्यक्तियों ने चकबन्दी अधिकारी की जीप को भी क्षति पहुंचायी जिसका मुकदमा भी थाने में कायम हुआ।

७—लगभग पौने दस बजे ५०० व्यक्तियों की एक भीड़ ने लक्ष्मी टाकीज पर ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस कर्मचारियों के ऊपर पथराव किया तथा बिजली के तार तोड़ दिये जिससे सिनेमा की बिजली बन्द हो जाय। जब स्थिति ने उग्ररूप धारण कर लिया और मैजिस्ट्रेट की चेतावनियों का भीड़ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ तब पुलिस ने ३ प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और हिंसात्मक भीड़ को लाठी चार्ज करके तितर बितर किया। भीड़ पर अश्रुगैस भी छोड़ी गयी, क्योंकि भीड़ का एक भाग कुछ हटकर पुलिस पर बराबर ईंट पत्थर फेंकता रहा। इस घटना में १ सब-इंस्पेक्टर को चोट आई।

८—करीब पौन बजे के लगभग करीब १,००० की भीड़ ने लक्ष्मी टाकीज पर फिर से ईंट पत्थर व सोडावाटर की बोतलों से हमला किया जिसमें एक मैजिट्रेट, एक उप पुलिस अधीक्षक, दो सब-इंस्पेक्टर, एक कान्सटेबिल, होमगार्ड का एक कम्पनी कमान्डर और तीन कर्मचारी घायल हुए। जब मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों की बराबर दी गई चेतावनियां व्यर्थ सिद्ध हुईं तब घटनास्थल पर उपस्थित मैजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पुलिस ने हिंसात्मक भीड़ को तितर बितर करने के लिये लाठीचार्ज किया और अश्रुगैस छोड़ी। इस घटना में पुलिस ने १९ व्यक्ति गिरफ्तार किये जिसमें ९ व्यक्तियों को चोटें आईं। इस घटना का एक मुकदमा थाना कर्नलगंज में कायम हुआ।

९—लक्ष्मी टाकीज पर उपरोक्त आक्रमण के तुरन्त बाद ही धारा १४४ भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत सिटी मैजिस्ट्रेट ने प्रभावित क्षेत्रों में ५ या ५ से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। घटना की सूचना पाकर जिला मैजिस्ट्रेट व ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक तुरन्त ही वहां पहुंच गये। लगभग साढ़े तीन बजे लगभग १,५०० व्यक्तियों की हिंसात्मक भीड़ ने धारा १४४ के अन्तर्गत आदेशों को तोड़ा और लक्ष्मी टाकीज की ओर अग्रसर होना प्रारम्भ किया। इस भीड़ ने पुलिस पर ईंट पत्थर व सोडा वाटर की बोतलें भी फेंकी और पुलिस के घेरे को तोड़ कर लक्ष्मी टाकीज में बलपूर्वक घुसने का प्रयत्न किया। इस घटना में १ उप पुलिस अधीक्षक, २ हेड कान्सटेबिल, २ कान्सटेबिल तथा होमगार्ड के ६ कर्मचारियों को चोटें आयीं। जब मैजिस्ट्रेट और पुलिस की चेतावनियों का भीड़ पर कोई असर नहीं पड़ा तब जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशानुसार पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया तथा अश्रुगैस भी छोड़ी। इस घटना में १५ अभियुक्त श्री जनेश्वर मिश्रा सहित गिरफ्तार किये गये। पकड़े गए अभियुक्तों में से ९ व्यक्तियों

को चोटें आई थीं। लगभग साढ़े छः बजे सायंकाल करीब ३० व्यक्तियों नें एक रोडवेज की बस पर ईंट पत्थर चलाकर उसको क्षति पहुंचाई। परन्तु पुलिस के गश्तीदल ने पीछा करके १० व्यक्तियों को पकड़ लिया। इनमें से ९ व्यक्तियों को चोटें आईं।

१०--इस प्रकार से घटना जो १ अगस्त, १९६५ को घटित हुई, उसमें कई ५० व्यक्ति पकड़े गए जिनमें २७ के चोटें आयी थीं। एक मैजिस्ट्रेट और २१ पुलिस तथा होमगार्ड के कर्मचारियों को भी चोटे आई थीं। किसी अवसर पर गोली नहीं चलाई गई और लाठी चार्ज तथा अश्रुगैस का न्यूनतम प्रयोग किया गया। नगर में पिकेट्स की नियुक्ति के अतिरिक्त पुलिस गश्त का प्रबन्ध कर दिया गया है ताकि कोई और अवांछनीय घटना न घट सकें। इस समय वहां सामान्य स्थिति है।

११--सर्वश्री कल्याणचन्द, मोहिले तथा सालिग्राम जायसवाल को पुलिस के हाथों कोई चोट नहीं लगी। श्री ज्ञानेश्वर मिश्रा को कुछ चोटें आई हैं।

१२--कानपुर तथा वाराणसी में कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। गोरखपुर में, गोरखपुर और चौरीचौरा में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने रोडवेज बसों के यातायात को रोकने का प्रयत्न किया। इस सम्बन्ध में १ व्यक्ति चौरीचौरा में और ६ व्यक्ति गोरखपुर में गए। लखनऊ में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने अमीनाबाद में बसों को रोकने पकड़े का प्रयत्न किया। इस सम्बन्ध में ९ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, हमारे साथी वयोवृद्ध कल्याणचन्द मोहिले जी उस प्रदर्शन में शरीक थे। अतः सरकार की ओर से जो बयान दिया गया है उसके बाद में चाहता हूं और सदन के अधिकांश सदस्यों की यह इच्छा है कि चूंकि वे घटनास्थल पर मौजूद थे, इसलिये पहले उनकी बात सुन ली जाय। जो बयान दिया गया है उसके बारे में उनसे स्पष्टीकरण करा लिया जाय कि सही घटना क्या है ताकि सदन के सदस्य और आगे सवाल करने में सक्षम हो सकें और सदन को भी अपनी कोई राय बनाने में मदद मिल सके।

श्री अधिष्ठाता--

आपसे पूरी सहानुभूति रखते हुये भी मैं नियम ५२ की मर्यादा से बंधा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दे दिया है। अब जो भी साहब प्रश्न पूछना चाहें पूछें। माननीय मोहिले जी स्पष्टीकरण के रूप में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछें।

श्री कल्याण चन्द मोहले (जिला इलाहाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, चूंकि मेरा नाम इससे संबंधित है और मैं इसको स्वीकार भी करता हूं कि इलाहाबाद की इस घटना में मैं मौजूद था। इसलिये आप मेरा स्पष्टीकरण सुन लें और उसके बाद सदन के माननीय सदस्यों को प्रश्न करने का अधिकार दें। जब यह प्रश्न नियम ५२ के रूप में इस सदन के सामने आया था तब सामनें बैठने वाली श्रीमती बाजपेयी ने इस सदन के सामने एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने पुलिस की हिमायतें की थीं। इसके पहले भी अधिष्ठाता महोदय, जब कोतवाली पर गोली चली...

श्री अधिष्ठाता--

आप जो भी बात कहें वह इस घटना से संबंधित ही कहें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

उस दिन माननीय अध्यक्ष ने माननीया बाजपेयी जी को वक्तव्य देने दिया था, आज आप मोहिले जी को सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

उस दिन स्पीकर साहब ने क्या किया था, इसे मैं नहीं. जानता, लेकिन आज माननीया बाजपेयी ने कोई वक्तव्य सदन के समक्ष नहीं दिया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

उस दिन माननीया वाजपेयी ने बयान दिया था प्रोसीडिंग मौजूद है। बाद में इसके बारे में सदन से इंक्वायरी बैठायी गयी। कमिश्नर ने जांच की और उस जांच में घोषित किया जिसको मैं आपके सामने पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। मुझे बाजपेयी जी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन उन्होंने उस दिन सदन को भ्रम में डालने का प्रयत्न किया था। कमिश्नर ने लिखा है--

"एक राजनीतिक पार्टी के कुछ सदस्यों ने फारूक की विधवा की शिकायतों में दिलचस्पी ली और उन्हें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने में उनकी सहायता की, किन्तु आयुक्त ने किसी. व्यक्ति या पार्टी को बलवे को संगठित करने या बलवे के लिये उकसाने का जिम्मेदार नहीं ठहराया है"।

यह आयुक्त ने अपनी फाइंडिंग्स में लिखा है।

अब अधिष्ठाता महोदय, मैं हड़ताल की बात पर आता हूं। हड़ताल के बारे में हमारी समाजवादी पार्टी ने पूरे जिले में प्रचार किया।

श्री अधिष्ठाता--

अब माननीय गृह मंत्री से आप कोई प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

हम लोग हड़ताल करा रहे थे। इतवार के दिन पूरी दुकानें बन्द थीं। परन्तु वाजपेयी जी ने आदरणीय कामराज जी, जो कांग्रेस के प्रधान हैं उनको आज्ञा से इलाहाबाद में लाउड-स्पीकर लगा कर दूकानदारों से दूकानें खुलवाने की कोशिश की।

अधिष्ठाता महोदय, उसके बाद...

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

मोहिले जी, आप जरा बैठ जायं, बाजपेयी जी का व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

पहले मेरी बात सुन ली जाय, वह तो कह चुकी हैं।

श्री अधिष्ठाता--

उनको व्यवस्था का प्रश्न उठाने का हक है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

वह तो कह चुकी हैं। उनके बाद में, पहले इनकी सफाई सुन ली जाय।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम ५२ के अन्तर्गत अब प्रश्न ही हो सकते हैं और यदि आप माननीय सदस्य को पूरा विवरण देने की इजाजत देते हैं तो मुझे भी सदस्य होने के नाते आप पूरा विवरण प्रस्तुत करने का मौका दें।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने पहले ही निवेदन किया है...

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

मैं बहुत संक्षेप में ५ मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

मेरी बात आप सुन लें, माननीय गृह मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया है, यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप प्रश्न पूछ लें जो आवश्यक हों।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

वरना मुझे इजाजत हो तो मैं जाऊं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

मैंने आज से नहीं बल्कि सन् ४७ में कांग्रेस के लोगों ने देश का बटवारा करके बब शहनाई बजाई तो मैंने आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और भारत के विभाजन का विरोध किया और उस वक्त पंडित जी को लिखित माफी मांगनी पड़ी थी। मुझ पर मार भी पड़ी थी, मैं बुड्ढा आदमी था, लेकिन मैं भागने वाला नहीं था।

श्री अधिष्ठाता--

तो आप गृह मंत्री जी से क्या पूछना चाहते हैं?

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

आज इस समय भी स्थिति बहुत गम्भीर है, देश बंट रहा है, एक बार पाकिस्तान बन चुका है है और अब कच्छ की जमीन का सवाल है, हम इसका विरोध न करें तो फिर यह बंटवारा कहां जा कर रुकेगा..

श्री अधिष्ठाता--

आप उनसे प्रश्न के द्वारा स्पष्टीकरण करा लें..

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

मैं जरा सा बता दूं कि इलाहाबाद में उस दिन क्या हुआ, वहां उस दिन सारे सिनेमा बन्द थे, छोटी-छोटी दूकानें तक सब बन्द थीं, रोडवेज बन्द थीं और सिविल लाइन के सारे सिनेमा हाल सुबह से ही बन्द थे, लेकिन हमारे यहां एक निरंजन सिनेमा के मालिक हैं जिन पर ४ लाख के करीब सरकार का बकाया है, उनके सिनेमा हाल को खुलवाया गया और उसके बाद यह हुआ कि हम और सालिग्राम जायसवाल और दस हजार आदमी वहां पहुंचे और सबने जाकर उनको पहले लिखित भेजा, उस समय वहां पर कलेक्टर, एस० पी०, एस० डी० ओ०, डी० एस० पी० सब मौजूद थे। उनसे हमने प्रार्थना की कि देश के बंटवारे का सवाल है आप आज सिनेमा बन्द कर दें। हमारी बात मान ली गई।

श्री अधिष्ठाता--

आपके और गृह मंत्री जी के वक्तव्य की बात में अन्तर हो तो आप स्पष्ट करा लें।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

मैं उसी पर आ रहा हूं, तो सिनेमा वालों ने हमारी बात मान ली। उसके बाद मैं अब लक्ष्मी टाकीज पर आता हूं जहां पर कि इस सरकार की पुलिस ने खून की होली खेली। वहां पर

[श्री कल्याणचन्द मोहिले--]

एस० पी०, कलेक्टर, सी० एम०, एस० डी० ओ०, डी० वाई० एस० पी० सब मौजूद थे। श्री जनेश्वर मिश्रा का नाम लिया गया, उनको सरकार ने ९ मास तक डिटेन्शन में रखा क्योंकि उनकी वाणी में तेजी थी और वह जनता पर अपना असर रखते थे। उनको बुरे तरीके से मारा गया, मैं तो बूढ़ा था मुझ पर भी जो बीती मैं उसको सदन में नहीं रोऊंगा, लेकिन मुझे जो तकलीफ हुई वह इससे कि यह श्री जनेश्वर मिश्रा का कुर्ता और धोती है।

(श्री कल्याणचन्द मोहिले ने खून के दाग वाला कुर्ता व धोती सदन में फेंका।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

इस सवाल का जवाब माननीय कृपालानी की सरकार क्या देती है?

श्री अधिष्ठाता--

आप एक बात सुन लें। माननीय गृह मंत्री ने एक बात कही है कि...

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

उस समय वहां पर एस० पी०, वहां के एस० डी० ओ० और कलेक्टर भी थे। इसके अतिरिक्त वहां पर और भी आदमी थे। सभी ने उन्हें मोटर से घसीटकर कुचला और ५० लाठी वालों ने मारा। उनकी हड्डियों की क्या दशा होगी यह तो अगर उनकी डाक्टरी जांच करायी होगी तो पता चलेगा कि कितनी भारी चोट आई है। श्रीमन्, एक नहीं, इसी प्रकार से ५०, १०० नौजवानों को मारा गया। इसके लिए एक प्लाट पहले ही बनाया गया था कि इसको मार डाला जाय। श्रीमन्, यह भी आश्चर्य की बात है कि वहां पर दफा १४४ भी दूसरे दिन घोषित की गयी। उस रोज जिस दिन यह घटना घटी, वहां पर दफा १४४ भी नहीं लगी थी। दूसरे दिन नागपंचमी का दिन था।

श्री अधिष्ठाता--

आप जो स्पष्टीकरण चाहते हैं उसको माननीय मंत्री जी समझ गये हैं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

पुलिस को गोली और डंडे चलाने का अधिकार है, लेकिन उन्हें ईंटे चलाने का अधिकार नहीं है। वहां पर ईंटें चलायी गयीं। यद्यपि शराब की दूकानें खुलने का २ बजे का समय है परन्तु उस दिन उन्हें ९ बजे ही खुलवा दिया गया और वहां पर गुंडे बिठा दिए गये। वहां पर माननीय सालिगराम जी भी थे।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठ जायं। जितनी बातें आपने कही हैं उन पर माननीय मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दे दें।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, कृपया आप उन्हें सुन लें.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मोहिले जी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है। अब जो प्रश्न उठा है उस पर स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

मैं, श्रीमन्, इस सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि वहां पर श्री जनेश्वर मिश्रा को मार डालने की साजिश वहां के अधिकारियों ने की थी। वहां पर किसी प्रकार की घोषणा

नहीं की गयी कि वहां पर दफा १४४ लगायी जा चुकी है। यह कहना भी सत्य नहीं है कि वहां पर गोली नहीं चली। वहां पर गोली चली और उस समय मैं वहीं पर मौजूद था। मैं चाहता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस पर विचार करें।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

मैं एक प्रश्न पूछ लूं? माननीय जनेश्वर मिश्रा को किसने मारा था?

श्री उग्रसेन--

पुलिस ने मारा था, यह आपने कहा है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या श्री जनेश्वर मिश्रा लक्ष्मी टाकीज के सामने गये थे?

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप उन्हें सुन लें। माननीय कल्याण चन्द मोहिले जी ने कुछ बातें कहीं। माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य में और उनकी बातों में कहीं अन्तर है तो माननीय गृह मंत्री जी यदि कोई स्पष्टीकरण दे सकें तो दे दें।

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि उन्होंने कोई सवाल पूछा भी है?

श्री अधिष्ठाता--

उन्होंने यह कहा कि उनके चोट आयी है। यह जो इन्होंने कुर्ता और धोती फेंकी है, इसके बारे में अगर आप कोई सफाई देना चाहें तो दे दें।

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, ये कपड़े उनके नहीं हैं।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

मैं एक प्रश्न मंत्री जी से करना चाहती हूं....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, प्रश्न इनको नहीं पूछना है। नियम ५२ इधर से आया है इसलिये हमको प्रश्न पूछने दें। इन्होंने तो इलाहाबाद में आग लगा दी और यहां भी लगाने खड़ी हैं।

(व्यवधान)

आप इनको बैठायें। हम लोगों के प्रश्न का उत्तर दिलावें।

श्री अधिष्ठाता--

आप जानते हैं कि नियमों के अन्तर्गत किसी भी सदस्य को अधिकार है प्रश्न पूछने का।

श्री मैनेजरसिंह--

दफा १४४ उस दिन नहीं लगा था, इसका उत्तर गृह मंत्री ने नहीं दिया और खून के सम्बन्ध में एक बदतमीजी का उत्तर उन्होंने दिया। आप हमारे हक की रक्षा करेंगे, आप कृपया उनसे उत्तर दिलावें कि दफा १४४ उस दिन लगी थी या नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

आपके इस प्रश्न का उत्तर माननीय गृह मंत्री देंगे। आपके प्रश्न का उत्तर दिलाया जायगा।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, नियम ५२ के अन्तर्गत मैं एक सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल स्पष्ट है कि मंत्री जी ने अभी कहा कि यह कपड़े श्री जनेश्वर मिश्रा के नहीं हैं, यह दूसरे के कपड़े लाये हैं। तो किन तथ्यों के आधार पर मंत्री जी ने यह कहा, जरा बता दें ?

श्री अधिष्ठाता--

आपकी भावनाओं से मुझे सहानुभूति है और आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा गृह मंत्री जी दें। लेकिन यदि आप चाहेंगे कि नियमों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही न हो तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। मने डाक्टर बाजपेयी को बुला लिया है पहले उनको प्रश्न कर लन द।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

क्या मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि लक्ष्मी टाकीज के सामने श्री जनेश्वर मिश्रा ने भाषण करते हुए यह कहा था कि एक गोली हमारे प्रधान मंत्री के लिये काफ़ी है ? क्या उनके पास इस सम्बन्ध में सी० आई० डी० की ऐसी रिपोर्ट है ?

(शेम शेम की आवाजें)

श्री हरगोविन्दसिंह--

ऐसी सूचना मेरे पास कोई नहीं आयी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री जनेश्वर मिश्रा मोटर नम्बर यू० पी० सी० ८८१६ में बैठे हुए थे और उन्हें पुलिस कप्तान श्री सक्सेना तथा मैजिस्ट्रेट ने हाथ पकड़ कर खींचा और बाहर लाठी और कुंदों से मारा, क्या इसकी सूचना है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं, सम्भवतः यह ठीक नहीं मालूम होता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

अभी मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा कि शराब की दूकान पर से ढेले-पत्थर पड़े। दुकान खुलती है करीब २ बजे एकार्डिंग टु रूल्स। और अभी जो मोहिले जी ने वक्तव्य दिया उससे मालूम हुआ कि ९, साढ़े ९ बजे के वक्त का यह वाकया है। तो क्या मंत्री जी ने इसकी जांच करवायी कि वह दूकान किसने खुलवायी और जो लोग उस पर बैठ कर ढेले चला रहे थे क्या उनमें प्लेन क्लोद्स में पुलिस के आदमी शामिल थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

दूकान किसने खुलवाई यह तो नहीं मालूम। लेकिन तीनों आदमी जो पत्थर चला रहे थे गिरफ्तार कर लिये गये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

अभी मंत्री जी ने कहा था कि यह कपड़े उनके नहीं हैं....

श्री हरगोविन्दसिंह--

उनके नहीं, इनके।

कुंवर श्रीपालसिंह--

मोहिले जी के ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां।

कुंवर श्रीपालसिंह--

मोहिले जी ने यह कहा कि जनेश्वर मिश्रा का कपड़ा है और खून इसमें लगा हुआ है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जनेश्वर मिश्रा को चोट लगी है यह हम तसलीम करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मोहिले जी को चोट नहीं लगी, यह गृह मंत्री जी ने कहा था....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलायेंगे कि यह जो इंक्वायरी आपने कराई है, यह किस अधिकारी से कराई है और जो जांच उसने की है क्या उसे आप सही समझते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

किसी जांच के लिये नियुक्ति नहीं की है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

मंत्री जी ने कहा कि मोहिले जी और सालिग्राम के चोट नहीं लगी और मोहिले जी ने सदन में बयान दिया कि मेरे चोट लगी है और पुलिस की लाठियों से लगी है तो क्या माननीय मंत्री जी जो यह बहुत से कन्ट्राडिक्शंस ह, इनकी जांच किसी ऊंचे अधिकारी से करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

यदि आपको याद होगा तो मोहिले जी ने यह कहा कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता . . .

श्री सत्यनारायण पांडेय--

उन्होंने कहा कि मुझे चोट लगी है, आप पूछ लें लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, रोना नहीं चाहता।

श्री अधिष्ठाता--

मैं पूछे लेता हूं मोहिले जी से। क्या आपको चोट लगी है ?

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

मैं भी मार खाने वालों में था। अब चोट लगी या न लगी यह दूसरा सवाल है। मेरे डंडे ने रोक लिया। यह मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर भी प्रहार किया गया।

श्री अधिष्ठाता--

यह साफ हो गया कि लाठी की कोई चोट नहीं लगी ?

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

जी हां।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

मोहिले जी को, सालिग्राम जी को माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुलिस ने लाठियों से नहीं मारा....

श्री अधिष्ठाता--

लाठी की चोट नहीं लगी यह कहा है, यह नहीं कहा कि लाठी नहीं चलाई। लाठी चलाई होगी लेकिन लगी नहीं।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

उन पर लाठी चलाई भी और लाठी लगी भी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

लगी।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

कहते हैं कि लगी और मंत्री जी का यह भी कहना है कि १४४ वहां लगी हुई थी जबकि मोहिले जी का कहना है कि लाउड स्पीकर से अथवा किसी से उन्होंने नहीं सुना। दूसरे दिन १४४ लगाई गयी। तो एक तरफ सदन के सदस्यों का बयान है और दूसरी तरफ पुलिस कप्तान की रिपोर्ट है जिसके बारे में स्पष्ट आरोप है कि उसने स्वयं घसीट कर लोगों को मारा, ऐसी परिस्थिति में क्या माननीय मंत्री जी इलाहाबाद में जो कांड हुआ उसकी न्यायायिक जांच या किसी उच्च अधिकारी से जांच कराने की कृपा करेंगे जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं, कोई जांच नहीं होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या गृह मंत्री के पास श्री सालिगराम जैसवाल, एम० एल० ए०, अध्यक्ष, राज्य सोशलिस्ट पार्टी की ओर से कोई तार प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने सारी घटना का चित्रण करते हुए बताया है कि पुलिस कप्तान और मजिस्ट्रेट ने अमुक नम्बर की कार से जनेश्वर मिश्रा को निकाल कर मारा और दूसरे नम्बर ९७८१ की जीप पर पार्टी का झंडा लगा हुआ था उसे उखाड़ फेंका और हर तरह से उनको तंग किया तो इस तार की किस के द्वारा जांच करायी गयी है और क्या माननीय गृह मंत्री यह उचित समझते हैं कि इस तार के आधार पर जिलाधीश के ऊपर के किसी अधिकारी से जांच कराने के लिये सदन को आश्वस्त करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

तार तो ऐसा जरूर आया है, लेकिन जांच अदालत सब चीजों की कर लेगी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद में इस तरह की घटनायें जैसे लाठी चार्ज, अश्रुगैस का प्रयोग, मारना, घायल करना तथा जेल में डालना आदि, पहली नहीं है बल्कि इससे पहले कई सिनेमाओं के ऊपर लाठी चार्ज तथा गोली चली है जिसकी चर्चा यहां हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले मैकू कांड हुआ था, उसमें भी लाठी चार्ज हुआ था और गोली चली थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इलाहाबाद में ऐसी घटनायें होती रहती हैं, इसको देखकर क्या मंत्री जी किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराने की व्यवस्था करेंगे ? ऐसी घटनायें जो इलाहाबाद में हुआ करती हैं उस का विशेष कारण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, ऐसी घटनायें क्यों हो जाती हैं इसका कारण मैं जानता हूं, लेकिन उसको यहां बताना मैं नहीं चाहता और न आवश्यक ही समझता हूं। कोई जांच नहीं कराना चाहता।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

माननीय सदस्य ने दोष लगाया है कि श्री जनेश्वर मिश्रा को मोटर से घसीट कर पुलिस कप्तान ने मारा और उसके प्रमाण में खुन से सने कपड़े माननीय सदन में पेश किये तो मैं कानूनी चीज जानना चाहता हूं कि जब किसी आदमी को चोट लगने के बाद गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी डाक्टरी मुआयना होना चाहिये। उनका डाक्टरी मुआयना हुआ या नहीं ? यदि, हुआ, तो किस तरह की चोटें रिपोर्ट में दी हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, वक्तव्य में स्पष्ट बताया गया है कि जनेश्वर मिश्रा के चोटें लगी हैं। डाक्टरी मुआयना के बारे में श्री शिवप्रसाद गुप्त बतायेंगे।

श्री शिव प्रसादगुप्त—

अधिष्ठाता महोदय, उनका डाक्टरी मुआयना भी हुआ था। उनके ९ चोटें आईं। नेचर आफ इंजरी सिम्पिल है, "Nature of weapon-Blunt Probable Duration-Fresh, a few hours old." जैसा कि माननीय सदस्य को भ्रम है ऐसी बात नहीं है। उनका डाक्टरी मुआयना हुआ है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इलाहाबाद के स्थानीय विधायकों की चर्चा की है कि वहां के विधायकों ने तार भेजा था तो उन्होंने वक्तव्य तैयार करते समय उचित नहीं समझा कि उनसे भी सूचना ले लें जिससे उनका वक्तव्य एकांगी न हो पाये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, वक्तव्य में विधायकों से पूछने की परिपाटी नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, जो वक्तव्य हमारे सामने आया है उससे मैं जानना चाहता हूं कि दस हजार के मजमे में से चुन चुनकर पुलिस ने जनेश्वर मिश्रा जैसे आदमियों को दुश्मनी से मारा तो क्या मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, २१ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। यदि दुश्मनी में मारते तो खुद क्यों पिटते।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जनेश्वर मिश्रा जो ९ महीने से डी० आई० आर० में जेल में थे और १५ दिन पहले ही छूटे थे, इन्होंने अनेक सभायें करके भष्ट और रिश्वतखोर पुलिस कप्तान और मैजिस्ट्रेट की आलोचना की थी ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? उस दिन जीप में से खींच कर के बुरी तरह से उनको पीटा गया और उस गाड़ी को ध्वस्त कर दिया गया, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं कितनी दफा इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कोई इसका जवाब नहीं आया है। मैं इलाहाबाद की सारी घटना के संबंध में सवाल नहीं करता। मैं तो माननीय जनेश्वर मिश्रा के संबंध में जिन्होंने इलाहाबाद में, इलाहाबाद के भ्रष्ट अधिकारियों क खिलाफ सभाएं की थीं .....

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात कह चुके ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप मंत्री जी से जवाब दिलाएं कि क्या मंत्री जी ने इसकी जांच करवायी है ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री तो कह ही रहे हैं कि सही जांच करवायी है ।

श्री उग्रसेन--

मंत्री जी के दिमाग में क्या बात है, मैं नहीं जानता । लेकिन मैं यह जानता हूं कि माननीय सुचेता कृपालानी के राज्य में जनतन्त्र कुचला जा रहा है । फिलहाल मजबूरन एक सवाल करना चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि लक्ष्मी टाकीज सिनेमा का मालिक सिनेमा बन्द करने को तैयार हो गया था ? वह तैयार हो गया था कि सिविल लाइन्स के बड़े बड़े सिनेमा बन्द हो गये हैं, तो मैं भी बंद कर दूंगा । लेकिन पुलिस कप्तान और मैजिस्ट्रेट सिनेमा के अन्दर गये, पुलिस वालों को ले कर । मालिक बन्द कर रहा था । लेकिन उन्होंने उसको मना किया बन्द मत करो और जनेश्वर मिश्रा पर टूट पड़े । उनको मारा-पीटा और उसके बाद बन्दूक छोड़ी । इस घटना की सूचना उनके पास है या नहीं कि वह कितने देर लक्ष्मी टाकीज में बैठे हुए थे और जबरदस्ती उन्होंने कहा कि सिनेमा मत बन्द करो और उल्टे हमारे लोगों पर हमला किया, यह भी घटना उनके सामने है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

मेरे पास यह सूचना है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने सिनेमा वालों को लिखा कि यदि आप सिनेमा बन्द नहीं करेंगे तो उसमें आग लगा दी जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

माननीय मंत्री ने यह कहा है कि सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने सिनेमा के मालिक के पास चिट्ठी लिखी कि अगर सिनेमा नहीं बन्द करोगे तो आग लगाएगें । मैं जानना चाहता हूं कि किस व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी और उसके खिलाफ इसके पहले क्या कार्यवाही की गयी ? यह सारे कुकृत्यों को छिपाने के लिये बात गढ़ी जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी बात को ध्यान में रख कर वह उत्तर देंगे ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, अगर धृष्टता माफ हो, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसको पढ़ कर सुना दूं--

"when cinema proprietors expressed their difficulty, Sarvashri Saligram Jaiswal, Dharamvir and their two companions are said to have threatened them that in case they were not prepared to close down their shows, all the cinema houses in the city which would be found running would be set on fire."

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं वह चिट्ठी चाहता हूं, जिसमें सालिग्राम जी जैसवाल के दस्तखत हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

श्रीमन्, इसके पहले.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह झूठ है, यह चिट्ठी झूठी है, यह सरकार के इशारे पर किसी सिनेमा मालिक की तरफ से लिखी गयी है। हरगोविन्द सिंह ने यह चिट्ठी फर्जी लिखाई है।

(श्री केशरीप्रसाद पांडेय के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पांडेय जी, आप बैठ जाइये, जब तक मंत्री जी अपनी बात समाप्त नहीं कर देते तब तक आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जिस व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी है उनका नाम और पता क्या है ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं। श्रीमन्, माननीय गृह मंत्री ने गलत बयानी सदन के सामने की है, इसलिये इनके खिलाफ मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की प्रश्न उठाता हूं।

(व्यवधान)

यह प्राइमाफेसी केस है, इसमें मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस देता हूं, इसकी आप आज्ञा दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

इस पर ४५ मिनट हो रहे हैं, इसको मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, मंत्री जी को समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० एस० पी० दोनों की है, उसी से उद्धृत कर रहा हूं .....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

देखिये, माननीय गृह मंत्री को वक्तव्य दे लेने दीजिये, उसके बाद यह विषय समाप्त हो जाएगा। जो भी लोग कह रहे हैं वह कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं लिखी जायगी।

श्री हरगोविन्दसिंह—

पहला खत सत्यप्रकाश मालवीय, सेक्रेट्री, स्टेट संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने सिनेमा ओनर्स को भेजा था कि आप लोग एक तारीख को अपना सिनेमा बन्द रखिये। उसके बाद सिनेमा प्रोप्राइटर्स ने अपनी मीटिंग की और तय किया हम सिनेमा बन्द नहीं कर सकते; एन्ड व्हेन दे रिसीव्ड दे सेकेंड लेटर फ्राम स्टूडेंट लीडर श्री वृज भूषण....

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, आप हिन्दी में कहिये। हमारी पार्टी ने कोई ऐसा पत्र नहीं भेजा है।

श्री हरगोविन्दसिंह—

दूसरा पत्र बृजभूषण तिवारी, स्टूडेन्ट लीडर ने भेजा और वह चिट्ठी मैं पढ़ रहा हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह आप अपने रिश्वतखोर और भ्रष्ट विभागीय अफसरों की रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं या कोई दस्तख में चिट्ठी पढ़ रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह विषय अब काफी समय से चल रहा है और इस पर डिस्कशन भी काफी हो चुका है तथा माननीय सदस्य अब मंत्री जी को सुनना भी नहीं चाहते हैं। इसलिये यह समाप्त किया जाता है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, आपने भी तो डंडे खाये होंगे, आप तो ध्यान रखिये। हम तो स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी तो खड़े हैं, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

सिनेमा वालों ने डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को लिखा कि हमको ऐसी धमकी दी जा रही है और आप हमारी रक्षा कीजिए। सरकार का फर्ज था कि हम उनकी रक्षा करते।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, हमारे सवाल का उत्तर नहीं मिला। मैंने पूछा था कि क्या कोई ऐसा पत्र है जिसमें सोशलिस्ट पार्टी के किसी नेता ने लिखा है कि सिनेमा बन्द कर दो नहीं तो आग लगा देंगे और आप पढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट ? तो क्या मंत्री जी के पास किसी सोशलिस्ट पार्टी के नेता का पत्र है ? यह तो सिनेमा के मालिक ने लिखा होगा, लेकिन हमारी पार्टी का भी कोई पत्र है ?

श्री अधिष्ठाता—

क्या मंत्री जी के पास कोई पत्र है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने बताया कि सिनेमा के मालिक ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा कि हमको ऐसी धमकी दी जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

एक व्यवस्था का सवाल है। श्रीमन्, आपने सुना सारे सदन ने सुना और कार्यवाही में नोट होगा, मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है सदन में कि सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने यह चिट्ठी लिखी कि अगर सिनेमा बन्द नहीं होगा तो आग लगा दी जायगी। चिट्ठी लिखे जाने की स्पष्ट चर्चा उन्होंने की है और इनके पास चिट्ठी नहीं है तो इससे स्पष्ट है कि यह झूठ बोलते है और सदन को गुमराह करना चाहते हैं और इसलिये मैं चाहता हूं कि इन्होंने जो 'चिट्ठी' शब्द का इस्तेमाल किया है उसको इनसे वापस लिवावें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पांडेय जी, उत्तेजना में कोई बात कहने से लाभ नहीं होता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

मान्नीय हरगोविन्दसिंह की एक आदत है कि वे सदन को गुमराह करने के लिये उट-पटांग बात किया करते हैं। इनके पास कोई चिट्ठी किसी नेता की नहीं है, लेकिन उन्होंने एक झूठ बात कह दी जैसे यह आये दिन कहा करते हैं। श्रीमन्, उसको इनसे वापस लिवाया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया बैठिये। दुबे जी कृपया बोलेंगे। नियम ५२ के अन्तर्गत १ घंटे से अधिक हो चुका है, अब इससे अधिक नहीं चलेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह घंटे का सवाल नहीं है। यह सवाल उत्तर प्रदेश के पुलिस राज्य की गुंडागर्दी का है। क्या यह पुलिस राज्य की गुंडागर्दी चलेगी और नियम ५२ नहीं चलेगा?

श्री उग्रसेन—

अधिष्ठाता जी, नियम ५२ में कहीं नहीं लिखा है कि आधा घंटा या पौन घंटा के बाद ही नियम ५२ खत्म हो जायगा। यह सिर्फ इलाहाबाद का सवाल नहीं है, यह हरगोविन्दसिंह की नीयत का सवाल है। यह एक दिन की बात नहीं है, हजारों घटनाएं ऐसी हैं जिसमें झूठी बात कहा करते हैं और अभी तक इस तरह की बातें कहते चले जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री रामसुन्दर पाण्डेय के खड़े होने पर) पाण्डेय जी, दुबे जी एक प्रश्न कर रहे हैं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप सब लोग बैठ जाइये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या आप इस पर व्यवस्था देंगे कि यह सदन जो आप चला रहे हैं इसमें माननीय दुबे को आपने बोलने के लिये कहा फिर आपने पाण्डेय जी को परमीशन दे दी और फिर उसके बीच में ही मिश्र जी को परमीशन दे दी। इस बीच में पाण्डेय जी भी बोलते रहे। आपने उनको फिर दोबारा इजाजत दे दी। इस पर फिर आपने सदन में व्यवस्था खड़े होकर दे दी कि अब झारखण्डेराय जी के प्रश्न के बाद कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है। तो जो आप व्यवस्था देते हैं क्या उसका ध्यान आपको रहता है कि उसको पालन करने के लिये आपको क्या करना है? कृपया हाउस की संसदीय परम्पराओं को मानते हुये आप सदन को चलायें।

श्री अधिष्ठाता—

भगवानदास जी, आपने जो बात कही है वह बहुत कुछ सत्य है और जो आपने लांछन लगाया वह भी बिलकुल सत्य है, लेकिन सदन की भावना को देखते हुये मैं यह चाहता हूं कि इस प्रश्न का शान्तिपूर्ण तरीके से निपटारा हो जाय। मैंने दुबे जी को बोलने के लिये बुलाया, लेकिन बीच में पाण्डेय जी खड़े हो गये। वह भी एक पार्टी के नेता हैं। वह अगर बोलते चल जाते हैं या दूसरे कोई भी माननीय सदस्य व्यवस्था उठाकर बोलने लगते हैं तो यह नियम के विरुद्ध बात हो सकती है। मैं आपके लांछन को स्वीकार करता हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि मैं व्यवस्थित ढंग से सदन को चलाने की चेष्टा करूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

जो उन्होंने कहा कि यह सूचना उनको सरकारी अधिकारियों से मिली कि जो प्रश्न-कर्त्ता हैं वह सिनेमा हाउस को चलायेंगे तो क्या उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया कि "सिनेमा टु सट आन फायर" क्या उनका कोई ओरिजिनल लेटर पी० एस० पी० या एस० एस० पी० के किसी अधिकारी का सरकार के पास है जिसके आधार पर सरकार ने यह व्यवस्था की ?

श्री अधिष्ठाता—

वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट भेजी है उस पर यह चर्चा है। सिनेमा के मालिकों ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि उनके पास इस तरह की धमकी आई है। माननीय गृहमंत्री की सूचना में क्या सत्य है यह तो वह जाने, लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सिनेमा के मालिकों ने एक पत्र लिखा उसमें उन्होंने यह लिखा कि सालिग्राम जैसवाल और हरेश्वर गोस्वामी और उनके साथी हमारे पास आये और इस तरह की बात की और जब हम लोगों ने असमर्थता प्रकट की तो उन्होंने कहा कि अगर आप बन्द नहीं करेंगे तो आग लगा दी जायगी।

श्री मैनेजरसिंह—

पहले माननीय गृह मंत्री ने यह स्पष्ट कहा है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने लिखित चिट्ठी दी कि यदि सिनेमा बन्द नहीं करोगे तो आग लगा दी जायगी। यह स्पष्ट कहा है जो प्रोसीडिंग में मौजूद है। अब वह कहते हैं कि डी० एम० की रिपोर्ट में यह लिखा है कि सिनेमा के मालिकों ने सूचना दी कि उन्होंने डी० एम० के पास आकर कहा। इसमें बिलकुल विरोधाभास है और गलत बयानी है। वह बाद वाली बात सही है या पहले वाली बात सही है, अगर पहले वाली बात गलत है तो हम विशेषाधिकार का सवाल उठाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

लेकिन जो वस्तुस्थिति है वह यह कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से उनको यह सूचना मिली और उनकी रिपोर्ट में ऐसा है।

(व्यवधान)

श्री मैनेजरसिंह—

आप कार्यवाही मंगा कर देख लें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक चिट्ठी है.....

श्री अधिष्ठाता—

यदि आप ऐसा समझते हैं कि उनके वक्तव्य में कोई विरोधाभास है तो आप इस प्रश्न को पुनः उठा सकते हैं।

श्री झारखंडेराय—

क्या माननीय गृह मंत्री कृपाकर बतलायेंगे कि सिनमा के प्रबन्धकों ने जो डी० एम० के खत लिखा तो इस रिपोर्ट के साथ किसी ऐसे पत्र की नकल भी नत्थी थी जो एस० एस० पी० के अधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने लिखा हो और जिसमें इस बात की धमकी या इशारा हो कि अगर सिनमा बन्द नहीं करोगे तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जायगा या सिनेमा बन्द नहीं करोगे तो आग लगा दी जायगी ? ऐसा कोई इशारा था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मेरे पास कोई खत नत्थी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० एस० पी० की जो रिपोर्ट है उसमे लिखा है कि सिनेमा प्रोप्राइटस ने उसको लिखा और कहा कि उनसे श्री जैसवाल जी, गोस्वामी जी और उनके साथियों ने कहा कि अगर सिनेमा पहली तारीख को बन्द नहीं होंगे तो हम आग लगा देंगे।

(श्री नाथूराम शिक्षक का नाम पुकारे जाने पर)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

श्रीमन्, आप प्रोसीडिंग्स मंगा कर देख लें, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एस० एस० पी० के सदस्यों ने लिख कर भेजा कि वे आग लगा देंगे यदि पहली तारीख को सिनेमा बन्द नहीं किया गया। यह बात गलत है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अब शिक्षक जी का यह अन्तिम प्रश्न होगा।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैंने नियम ५२ की सूचना दी थी तो मेरा स्पष्टीकरण होना चाहिये और इस पर अध्यक्ष की रूलिंग भी हो चुकी है कि यदि सदन के सदस्य सन्तुष्ट न हों तो वे डिबेट की मांग कर सकते हैं। इस पर सदन के सदस्य सन्तुष्ट नहीं है इसलिये आप इसके डिबेट के लिये एक दिन निश्चय कर दें।

श्री अधिष्ठाता—

अगर अध्यक्ष महोदय की ऐसी रूलिंग हो चुकी है तब तो यह और खुशी की बात है। आप उनको पत्र लिख कर या उनसे स्वयं मिल कर इस संबंध में बात-चीत कर लें।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री नाथूराम शिक्षक—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ४ दिन पहले से कई लाउड स्पीकर्स बांधकर जब कई दिनों से नगर में बराबर एलान हो रहा था कि पहली तारीख को हड़ताल होगी और स्थानीय अधिकारियों को पहले से ही पता था कि कुछ लोगों द्वारा सिनेमा में आग लगाने की धमकी दी गयी है तो स्थानीय अधिकारियों पर इसकी जिम्मेदारी थी कि वे वहां दफा १४४ लागू करते और यदि उन्होंने दफा १४४ को नहीं लगाया और यह घटना घटी, तो जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं, सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

आशा यह की जाती थी कि प्रदर्शन शान्तिमय होगा। इस वजह से कि चूंकि हर एक को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार और यह था कि शान्तिमय प्रदर्शन होगा इसलिये दफा १४४ नहीं लगायी गयी।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कब से मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और आप स्वयं ही एक तरफ गैरकानूनी काम कर रहे हैं उस कुर्सी पर बैठ कर, तो फिर कैसे काम चलगा ?

श्री अधिष्ठाता--

अच्छा, अब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा लें ।

श्री चन्द्रबली सिंह--

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का जो उचित समय था उस समय आपने नहीं उठाने दिया तो अब मैं क्या व्यवस्था का प्रश्न उठाऊं ?

श्री सत्यनारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, मुझे कुछ कहने दें ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री सत्यनारायण पाण्डेय जी, अब आपका प्रश्न अन्तिम होगा, उसके बाद यह प्रश्न समाप्त हो जायगा ।

श्री उग्रसेन--

सदन तो ५ बजे तक है, अभी क्यों समाप्त कर रहे हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

अधिष्ठाता महोदय, अन्तिम प्रश्न तो तब होगा जब कि माननीय हरगोविन्दसिंह इस कुर्सी से हट जायेंगे या यह सरकार ध्वंस हो जायगी ।

श्री अधिष्ठाता--

तब आप प्रश्न किससे पूछेंगे ?

श्री सत्यनारायण पाण्डेय--

क्या मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि पार्टी के दो कार्यकर्त्ताओं की मोटर ध्वस्त कर दी गयी, चकनाचूर कर दी गयी पुलिस की लाठियों द्वारा ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है और लाठियों से मोटर चकनाचूर नहीं की जा सकती, इसे सब कोई जानते हैं । (व्यवधान)

श्री सत्यनारायण पाण्डेय--

मैंने नियम ५२ में इसे स्पष्ट कहा है ।

श्री उग्रसेन--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित ....

श्री अधिष्ठाता--

जितने स्पष्टीकरण आप चाहते थे वह मंत्री जी ने दे दिये हैं ।

श्री उग्रसेन--

किन्तु उन के उत्तर से सवाल पैदा हो जाता है। क्या मंत्री जी को सालिग्राम जैसवाल के तार में इसकी सूचना नहीं प्राप्त हुई अथवा नियम ५२ में इसकी सूचना उनको नहीं मिली ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने यह कहा कि यह प्रश्न समाप्त हो गया। डेढ़ घंटा इसके लिये दिया जा चुका है। कभी भी नियम ५२ के लिये डेढ़ घंटे का समय नहीं मिला है। अब यह प्रश्न समाप्त हो चुका है। (व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि.....

श्री अधिष्ठाता--

मैं आप लोगों का बहुत आदर करता हूं। आप जितना बोलना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन यह प्रश्न समाप्त हो चुका है। माननीय गृह मंत्री जी अब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। यह प्रश्न अब खत्म हो चुका है। (व्यवधान)

("हरगोविन्दसिंह मुर्दाबाद" तथा "इस नादिरशाही का नाश हो" के नारे लगाये गये।)

श्री उग्रसेन--

मैं इस्तफा हुसैन साहब से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि उग्रसेन, तुम ठीक ही कहते हो। यह पुलिस बड़ी गुन्डा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह एक महत्वपूर्ण सूचना है जो मुझे आपको देनी है। आशा है कि आप इसे सुनेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और आपके जरिये से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हरगोविन्दसिंह जी पुलिस मंत्री हैं। उनको यह सरकार हटा दे या बरखास्त कर दे। अगर वह उन्हें बरखास्त नहीं करती है तो मैं कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश की जनता सरकार को बरखास्त कर देगी और यह भी कहना चाहता हूं कि जो गुन्डागर्दी प्रदेश में पुलिस की हो रही है और हरगोविन्दसिंह जी उसको बढ़ावा दे रहे हैं उसका असर प्रदेश में पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि वह अपने रवैये को तब्दील करें। मैं अपने दल के साथ इस गलत रवैये के खिलाफ और इस गुन्डागर्दी के खिलाफ सदन का दो मिनट के लिये परित्याग करता हूं।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

जब तक हरगोविन्दसिंह जी नहीं हटाये जायंगे तब तक यह नारा लगता रहेगा, क्योंकि जब तक यह रहेंगे तब तक पुलिस की गुन्डागर्दी रहेगी।

(इसके उपरान्त संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं भी इस वक्तव्य के विरोध में अपने दल सहित २ मिनट के लिये वाक आउट करता हूं।

(जनसंघ दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री झारखंडे राय--

माननीय गृह मंत्री के पूरे वक्तव्य को मैंने सुना और मैं समझता हूं कि आज का नहीं, पिछले ३ साल का जो उनका रवैया है उससे, उनके जवाबों से, उनके रुख से पुलिस का दमन पूरे प्रदेश में बढ़ जाता है और पुलिस की तरफ से जो दमन की कार्यवाहियां हो रही हैं उनमें पुलिस को प्रोत्साहन मिलता है। उनके रवैये जो इस घटना पर हैं उसे पुलिस को गलत प्रोत्साहन मिलता है। मैं उसका विरोध करता हूं और शासक पार्टी और शासक गुट से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इस रवैये को समाप्त करने की कोशिश करें अन्यथा इससे उन्हीं की हानि होगी। तो उनके पूरे रुख के विरोध में हम और हमारी पार्टी एक घंटे के लिये सदन का त्याग करती है।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

अलीगढ़ विश्वविद्यालय को पूर्ण मुस्लिम नियंत्रण में रखने तथा उससे उत्पन्न वातावरण के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता--

सदन को मुझे सूचना देनी है कि माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संबंध में जो नियम ५३ की सूचना दी है उसे अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार कर लिया है और वह किस तिथि को विवाद होगा उसकी सूचना बाद को दी जायगी।

†उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) विधेयक, १९६५

*वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह विधेयक बहुत छोटा-सा है और इसको लाने का कारण विश्वविद्यालय का जो अध्यापक मंडल और शिक्षक वर्ग है उसकी प्रार्थना है। हमारे प्रदेश में विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जो कालेजों के स्वीकार करते हैं और परीक्षा के समय परीक्षा उन कालेजों में होती है। पिछले कुछ वर्ष से विश्वविद्यालय का शिक्षक वर्ग भी इस बात की दिक्कत महसूस करता आया है कि परीक्षा के समय जब वह इनविजिलेशन करते हैं तो उनको कुछ कठिनाई होती है और परीक्षार्थी कभी-कभी धमकी भी देते हैं। इस चीज को दृष्टि में रखते हुये सन् १९५९ में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने भी इस तरीके की आशंका प्रकट की थी और उस समय यह बात महसूस की गयी थी, क्योंकि शिक्षक भी यद्यपि वह शासन के कर्मचारी नहीं हैं, सार्वजनिक कर्मचारी हैं, जब वह विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा की देखभाल करते हैं तो उनका कार्य सार्वजनिक है ऐसे सार्वजनिक कार्य को करते हुये यदि उन पर कोई आक्रमण हो या उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार हो तो उन्हें उस तरीके की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये जैसी कि लोक सेवा में अनुरत अन्य व्यक्तियों को होती है। इसी चीज को दृष्टि में रखते हुये सन १९५९ में इस सदन में एक विधेयक उपस्थित किया गया था। जिसके अन्तर्गत यह जो माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक परीक्षाओं की देख-रेख करते थे उनको लोक-सेवक के अधिकार दिये जाते थे उस समय के लिये जब तक की परीक्षा होती थीं। श्रीमन्, यद्यपि यह परीक्षायें थोड़े समय के लिये ही होती हैं किन्तु उनका प्रबन्ध काफी पहले से करना होता है। कभी-कभी यह देखा गया है कि परीक्षा में यदि कोई लगन और दृढ़ता के साथ कार्य करता है तो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसलिये यह उचित समझा गया कि परीक्षा के दिनों में इनको लोक-सेवक के अधिकार परीक्षा समय होने के एक माह पूर्व से परीक्षा समाप्त

---

†२ अगस्त, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होने के दो माह पश्चात् तक दिये जायं । इससे शिक्षकों को, परीक्षा की देखरेख का जो काम करना पड़ता है, उस समय में कुछ आश्वासन मिलेगा और अपना काम करने में सुविधा भी होगी । विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा उपकुलपति ने भी इस बात की प्रार्थना की थी कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को भी इसी तरीके के अधिकार उपलब्ध हो जाने चाहिये । हमने भी इसको आवश्यक समझा कि जब वे परीक्षाओं की देखभाल करते हैं तो उनके इस कार्य को सार्वजनिक महत्व का काम समझा जाय और उसी के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । इसमें कोई बहुत-सी धारायें नहीं हैं । यह विधेयक केवल उन विश्वविद्यालयों पर ही लागू होगा जिन्हें राज्य सरकार की विज्ञप्ति में घोषित किया जायेगा और उन पर लागू होगा जिन्हें राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है । समस्त विश्वविद्यालयों के साथ यह समस्या नहीं है । जैसे लखनऊ या इलाहाबाद विश्वविद्यालय हैं जहां कि अन्दरूनी पढ़ाई होती है वहां इस तरह की समस्या उपस्थित नहीं हो रही है । इसलिये इस विधेयक में यह है कि आवश्यकतानुसार जहां आवश्यकता पड़े इसको गजट कर दिया जाय और उन विश्वविद्यालयों के शिक्षक वर्ग को भी यह अधिकार दे दिये जायं । और कोई विशेष बात इस विधेयक में नहीं है । यह विधेयक उसी आधार पर है जो विधेयक यह सदन में पास हो चुका है माध्यमिक शिक्षक वर्ग के लिये । मैं आशा करता हूं, यह सदन इस विधेयक को स्वीकार करेगा ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय को पूर्ण मुस्लिम नियंत्रण में रखने तथा उससे उत्पन्न वातावरण के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उमाशंकरप्रसाद का जो नियम ५३ का प्रस्ताव स्वीकार हुआ है उसे मैं पढ़ कर सदन में सुना दे रहा हूं ।

"अलीगढ़ विश्वविद्यालय को पूर्ण मुस्लिम नियंत्रण में रखने के नाम पर प्रदेश में फैलाई जा रही पाकिस्तानी भावनायें तथा शान्ति भंग करने की उत्तेजनाओं के परिणामस्वरूप अवांछनीय वातावरण सृजित हो रहा है । तनाव के वातावरण से उत्पन्न लोक महत्व की इस सुनिश्चित प्रविलम्बनीय विषय पर चर्चा करने के लिये निवेदन है कि नियम ५३ के अधीन २ १/२ घंटे के लिये विवाद का समय निर्धारित करने की कृपा करें ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) विधेयक, १९६५ (क्रमागत)

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने भी उस सम्बन्ध में कुछ लिखकर दिया था और उसका कारण भी बताया था । लेकिन वह कहीं भी कार्यक्रम में नहीं है । इसलिये आप मुझे पहले विरोध में बोलने का मौका दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको इजाजत मिल जायेगी । पहिले कमलासिंह जी को बोलने का मौका दीजियेगा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

पहिले मुझे बता दीजिये कि वह एजेन्डे में कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री अधिष्ठाता—

स्पीकर साहब से पत्र लिखकर आप पूछ लेंगे ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, आप कार्यवाही वालों से यहीं पर पूछिये कि आखिर परसों जब मैंने लिखकर विरोध किया, उसका कारण दिया वह कार्यवाही में क्यों नहीं छपा है, उसका कारण क्या है ?

श्री अधिष्ठाता—

इसकी जानकारी करके आपको बतला दिया जावेगा । यह बड़ा गम्भीर प्रश्न आपने किया है । यदि गलती हुई है तो नियमित कार्यवाही की जावेगी ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास के अन्दर देवे ।

इस विधेयक के खंड ४ को देखने के बाद मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हमारा शिक्षा विभाग सम्बन्धी अगर कोई बिल आये और उसमें इस तरह की बात रक्खी जाय जैसा कि इस विधेयक के अन्दर रक्खा गया है तो बड़े आश्चर्य की बात होती है । माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि यह ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है जहां पर गजट द्वारा घोषणा की जावेगी । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक का सवाल है यह ओरिजिनल बिल है । यह नहीं कि किसी अमेन्डमेन्ट के रूप में इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है । अगर ओरिजिनल बिल कोई भी यह सदन पास कर दे तो माननीय मंत्री बताने की कृपा करें कि किस वक्त यह विधेयक लागू समझा जायेगा ? आज से लागू समझा जावेगा उस रोज से जिस रोज से गवर्नर महोदय अपनी स्वीकृति देंगे या माननीय मंत्री जिस दिन अपने आदेश से चाहेंगे, लागू होगा । जहां तक खंड १ का सवाल है उसमें दिया हुआ है कि इस अधिनियम का शीर्षनाम क्या है । दूसरे उसका प्रसार क्या है । इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा । लेकिन इसमें आपने एक बात नहीं की । यह विधेयक जो सदन पास करेगा वह किस दिन से पास होगा ? सबसे पहले काम जो मंत्री जी को करना चाहिये था या ला विभाग के लोगों को करना चाहिये था वह देखते कि यह विधेयक किस दिन से लागू होगा । मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई खामी नहीं हो सकती ।

श्री अधिष्ठाता—

जहां तक संविधान की व्यवस्था है और जहां तक मुझे जानकारी है जब यह विधेयक आप स्वीकृत कर देंगे और सभी प्रोसीजर के बाद राज्यपाल महोदय द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद गजट में प्रकाशित होगा तब से यह लागू हो जावेगा । यह संविधान की व्यवस्था है ।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर यह व्यवस्था है तो जितने बिल्स इस सदन में प्रस्तुत किये गये हैं . . . .

श्री अधिष्ठाता—

यह संविधान की व्यवस्था है ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो यह बता रहा हूं कि प्रवर समिति में भेजने का कारण क्या है, क्यों भेजा जाय । जितने बिल आये हैं, हर विधेयक के अन्दर यह दिया जाता है कि यह तुरन्त लागू होगा या गजट में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिया जावेगा तब से लागू होगा । मगर डिफरेन्ट पार्ट्स में, जब जब इसे गजट द्वारा प्रकाशित किया जावेगा तब तब वह लागू होगा । लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है । सबसे बड़ी चीज यह है कि यह सरकार डंडे के बल पर शासन करना चाहती है । यह देखा जा रहा है कि जितने कानून बन रहे हैं सब जगह पनिशमेन्ट छोड़कर कानून और कायदे को सामने रखकर सरकार यह चाहती है कि हमेशा लोगों पर मुकदमें चलाये जायें और इस तरह से डंडे के बल पर शासन चलाया जाय । मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री से कि उनका पहिला कर्तव्य यह था कि सदन को बतलाते कि इनडिसीप्लिन लोगों में जो फैल रहा है उसका क्या कारण है । यह भी बतलाते कि इनडिसिप्लिन जो फैल रहा है लड़कों के अन्दर या यूनिवर्सिटीज के अन्दर या कालेजों के अन्दर उसका कारण क्या है ....

(इस समय २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल प्रभाकर पीठासीन हुये ।)

या कालेजों के अन्दर उसका कारण क्या है और इस सरकार ने उसको रोकने के लिये क्या उपाय किया है ? मुझे अफसोस है कि एक शिक्षा मंत्री से मैं जो उम्मीद कर रहा था उसको ताक पर मंत्री जी ने रख दिया और एक ऐसी बात सामने रख दी कि आप उनको पब्लिक सर्वेंट घोषित कर्ने जा रहे हैं । पब्लिक सर्वेंट घोषित करने से कोई किसी को आप बचा नहीं सकते । जब तक कि आप जड़ से जिसकी वजह से कि यह इंडिसिप्लिन हो रही है, उसकी तह में नहीं जायेंगे तब तक कोई भी कानून आप बनावें, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप कुछ कर नहीं सकते । हो सकता है कि इससे यूनिवर्सिटी के सौ दो सौ लड़कों को आप सजा दिला दें, लेकिन इंडिसिप्लिन जो फैल रहा है यूनिवर्सिटी और कालेजों के अन्दर उसको आप बन्द नहीं कर सकते उसके कारणों की तह में जाकर जब तक आप उसका निरूपण नहीं करेंगे तब तक विधेयक पास करने से कोई फायदा नहीं होगा । इसलिये सब से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि इंडिसिप्लिन क्यों लड़कों में फैल रही है ।

एक सदस्य--

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । आज दो विधेयक हैं । तो कितना-कितना समय इनके लिये आपने निर्धारित किया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

साढ़े तीन तक यह समाप्त हो जाय और उसके बाद दूसरा ले लें ।

श्री कमलासिंह यादव--

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, श्रीमन् मैं यह बता रहा था कि पहली बात जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये वह यह है कि सरकार को पता लगाना चाहिये कि वह कारण क्या है जिससे यूनिवर्सिटी और कालेजों में लड़कों के अन्दर अराजकता फैलती जा रही है । पहला कारण यह है कि पुराने जमाने में अध्यापकों में लीडरशिप की भावना थी, वे हमेशा अपने चरित्र और विद्वत्ता के बल पर नेतृत्व करते थे । लेकिन आज कालेजेज और यूनिवर्सिटीज के अन्दर वह लीडरशिप की भावना खत्म हो गई, उनमें वह विद्वत्ता भी नहीं है और लीडरशिप की भावना भी नहीं है । उसका कारण यह है कि पुराने जमाने के अध्यापक राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं होते थे । लेकिन जब यह हिन्दुस्तान गुलाम था उस समय विद्यार्थियों में एक जागृति की भावना और बगावत की भावना पैदा करने की कोशिश की गई । नतीजा उसका यह हुआ कि उनमें कानून तोड़ने की भावना पैदा की गई और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो

[श्री कमलासिंह यादव]

सरकार ने यह कोशिश नहीं की कि भावना जो कि बच्चों में पैदा की गई थी, उसको किसी तरीके पर एक नया मोड़ दिया जाय। नतीजा यह हुआ कि आज भी सब यूनिवर्सिटीज और कालेजेज राजनीतिक आदमियों के हाथों में हैं। हर जगह स्टूडेंट्स यूनियन्स के लीडर राजनीतिक लोग हैं चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। जिस प्रतिष्ठा की निगाह से लड़के अध्यापकों को देखते थे वह खत्म हो गई है। उसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। स्कूलों और कालेजों में पहले, २५, ३० लड़कों के ऊपर एक अध्यापक होता था जो उनकी हर दिक्कत को देखता था, पर्सनल टच हर लड़के से रखता था। लेकिन आज २००, ३०० लड़कों के ऊपर एक टीचर है। नतीजा यह है कि टीचर लैक्चर देकर चला जाता है, चाहे लड़के उसे समझें या नहीं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

२००, ३०० विद्यार्थियों पर एक अध्यापक वाला कौन सा कालेज या स्कूल है ?

श्री कमलासिंह यादव—

सब स्कूलों में जाकर देख लीजिये।

तो सबसे पहली चीज लास आफ लीडरशिप है। टीचर्स में नेतृत्व पैदा करना चाहिये ताकि लड़के सद्भावना और आदर के साथ उनकी ओर देखें और उनमें विद्वत्ता और नेतृत्व की भावना जारी रहे। मैं इसके कारणों की डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि क्यों वह नेतृत्व खत्म हो रहा है। उसके बारे में हुमायूं कबीर साहब ने १९५५ में एक पुस्तक लिखी है। उसे पढ़ने से माननीय मंत्री जी को बहुत-सी जानकारी हो जायगी और भी बहुत-सी किताबें हैं जिन्हें माननीय मंत्री जी जानते होंगे।

टीचर्स का मौजूदा पे स्केल भी एक कारण है जिसकी वजह से विद्यार्थी उनका सम्मान नहीं करते हैं। पढ़ने के बाद हर जगह नौकरी की परेशानी है। जब कोई नौकरी नहीं मिलती है तो कालेजों और यूनिवर्सिटियों में घुसने की कोशिश करते हैं। नतीजा यह है कि जिनकी निष्ठा विद्वता में है वे कालेजों और शिक्षा संस्थाओं में नहीं पहुंच पाते हैं चूंकि ये संस्थाएं पालीटीशियन्स के हाथों में हैं। जिनमें ज्यादातर लोग सिफारिश के आधार पर घुस रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि आज शिक्षा संस्थाओं में लड़के अधिक तादाद में हैं, यही हालत यूनिवर्सिटीज में भी हैं। उन लड़कों में गरीब और अमीर भी हैं। होस्टल में गरीब लड़के नहीं रह सकते हैं। जिनके पास पैसा नहीं वे अलग जाकर गांव में या यूनिवर्सिटी के पड़ोस में रहते हैं। उनका स्टैंडर्ड आफ लिविंग लो होता है। इससे लड़कों में भेद-भाव पैदा होता है, जिससे ऊंच-नीच की भावना जागृत होती है। अगर माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि लड़कों में अनुशासन हो तो उन्हें चाहिये कि ८० परसेंट, जैसा कि आक्सफोर्ड या यू० एस० ए० वगैरह में है, अगर आप ८० परसेंट नहीं कर सकते तो जितनी अधिक कर सकें उतने अधिक लड़कों की सहायता स्कालरशिप के रूप में करें। इस तरह से लड़के अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा करने की कोशिश करेंगे।

एक बात के लिये मैं अवश्य धन्यवाद मंत्री जी को दूंगा कि एन० सी० सी० जो उन्होंने कायम की है उससे भी आज कुछ अनुशासन की भावना लड़कों में पैदा होनी चाहिये। इसको प्रोत्साहन देना चाहिये। फारेन कन्ट्रीज में लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट आर्गनाइजेशस के द्वारा गरीब लड़कों को इमदाद की जाय। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो मैरिट के हैं, लेकिन उनकी इकोनामिक कंडीशन खराब होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इन लड़कों के लिये ऐसी संस्थाएं कायम करनी चाहिये जिनसे उनको इमदाद मिल कर वे आगे तरक्की कर सकें और देश का भला कर सकें।

जैसे यह असेम्बली वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज और कालेजों में भी पार्लियामेंट होती हैं । वह भी विरोधी दल वगैरह के मेम्बर होते हैं । अगर सही मानों में उनका उपयोग किया जा तो उससे भी बहुत काफी फायदा हो सकता है और लड़के अधिक तादाद में उसमें भाग ले सकते हैं ।

सबसे पहली चीज जो माननीय मंत्री जी को करनी चाहिये वह यह है कि ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटीज में रखना चाहिये जिनमें शिक्षा की लगन हो, और उनका पे स्केल अधिक से अधिक होना चाहिये । दूसरी बात यह है कि नैशनल स्कालरशिप होनी चाहिये । कुछ आदमी नैशनल फेम के रखने चाहिये जो अच्छे-अच्छे कालेजों में जाकर डिसिप्लिन और शिक्षा के बारे में लोगों को लेक्चर दे सकें । टीचर एक ही विषय को बहुत दिनों तक पढ़ाते-पढ़ाते मोनोटोनस महसूस करने लगते हैं । उनके लिये एक रिफ्रेशर्स कोर्स बनाया जाय, जिसमें हर साल या २, ३ साल के बाद प्रोफेसर लोग जावें और उन्हें एक नये प्रकार की ट्रेनिंग दी जाय एक्सपर्ट्स के द्वारा । इस तरह से एक नयी जिन्दगी उन लोगों में आवेगी और नतीजा यह होगा कि वे लोग अच्छे तरीके से और सुचारुरूप से काम कर सकेंगे । अधिक से अधिक आदमी फारेन जावें और वहां ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करें, वहां की योजनाओं को देखें जो कि फारेन कंट्रीज में शिक्षा के मुताल्लिक कार्यान्वित की जा रही है

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कमलासिंह जी, यह ऐजूकेशन पर नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं केवल प्वाइन्ट्स गिना रहा हूं । टर्की में यह चीज है कि ऐजूकेशनल मैटर्स में, जैसे यह बिल ऐजूकेशन के बारे में है, उसके बारे में एजूकेशन विभाग के कुछ प्रोफेसरों की एक कमेटी बना दी जाती है और उसके सामने वह बिल रख दिया जाता है । वह उस पर विचार करते हैं और उस पर रिपोर्ट देते हैं । फिर वह गवर्नमेंट की ओर से बिल के रूप में रखा जाता है । अगर इस प्रकार से उनसे राय मांगी जायगी तो शिक्षकों का उत्साह बढ़ेगा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी इस तरीके को यहां भी अख्तियार किया जा सकता है । इसलिये इस प्रकार की एक कमेटी यहां भी बना दी जानी चाहिये । कौंसिल में हर साल एक-एक आदमी हटा दिया जाता है । अगर ऐसा रहा तो एक दिन वह आयेगा कि ये लोग राजनीतिक चेतना से बिलकुल दूर हो जायेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार की कमेटी बना दी जायगी तो वे भी अपनी राय दे सकेंगे और पालिटिक्स में पड़ कर जो कालेज और यूनिवर्सिटी बरबाद हो रही हैं, वह भी न होंगी ।

हमारे जो स्टुडेंट्स फारेन कन्ट्रीज जाते हैं उनको काम भी मिल जाता है ।

इसी प्रकार से हमारे यहां भी विद्यार्थियों को पार्टटाइम काम मिल जाना चाहिये ताकि लड़के पैसा पैदा करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रख सकें । इन शब्दों के साथ मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्रीजी इस बिल में कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे विद्यार्थियों में बढ़ने वाली, अराजकता को एकदम रोका जा सकेगा ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) विधेयक, १९६५ को सदन की एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दे ।

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं अपने माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं । बधाई किस बात की ? शायद उत्तर प्रदेश को छोड़कर, संसार में जहां-जहां भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे यूरोप में हों, अमेरिका में हों या एशिया में हों, इस तरह का बिल अभी तक कहीं नहीं आया । किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसी समस्या खड़ी नहीं हुई, लेकिन इस बिल के उद्देश्य और कारणों में माननीय मंत्रीजी ने लिखा है कि अपने कृत्यों का निर्वहन निर्भयतापूर्वक कर सकें

[श्री शिवेन्द्रप्रताप]

टीचर और टाट, इसलिये वे इस बिल को इस सदन के सामने लाये हैं। समस्या क्या है ? लोग इम्तहान में लड़ते हैं। इसलिये इस बिल की आवश्यकता पड़ गयी और माननीय मंत्रीजी इस बिल के द्वारा इस समस्या को समाप्त कर देना चाहते हैं कि झगड़ा न हो। किन में ? इनविजिलेटर्स में और स्टुडेंट्स में। बड़ी सीधी सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इस बात को माननीय मंत्री जी बड़ी सफाई से कहते हैं। शायद वे पहले कहीं टीचर भी थे। इसीलिये स्टुडेंट्स और टीचर्स में जो झगड़ा होता है उसको मिटाने के लिये ही वे इस बिल को यहां लाये हैं।

इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश इन्टरमिडियेट ऐक्ट १९५१ के अनुबंधों के अनुसार इसको रखा गया है। इसकी बिना पर माननीय मंत्री जी पहले कहते हैं कि यहां पर इसको इसलिये रख दिया गया है क्योंकि बोर्ड के लिये भी इस कानून को बनाया गया था और उसके बनने के बाद इनविजिलेटर्स और स्टुडेंट्स की समस्या हल हो गयी है। माननीया मंत्री जी, अगर मैं कोई बात गलत कह रहा होऊं तो आप मुझे रोक दीजिये। मंत्री जी ने हमारे इन्टर और हाई स्कूल के बच्चों के साथ ही एम० एस० सी०, एल० एल० डी० और एल० एल० एम० और पता नहीं किन-किन को मिला दिया। एक तरफ तो हाई स्कूल का बोर्ड का इनविजिलेशन जो करता है वह टीचर है और यह प्रोफेसर डीन और हेड्स के लिये है क्योंकि इनविजिलेशन की परिभाषा तो बहुत विस्तृत है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बिल का उद्देश्य क्या है ? हमारे समाजवाद समाज में जैसी कि यह लोग कल्पना कर रहे हैं उसमें यह समस्या क्यों खड़ी हुई ? आज हमें सोचना पड़ता है कि विद्यार्थी और इनविजिलेटर क्यों लड़ते हैं।

फिर हमारे मंत्री जी कहते हैं कि तदनुसार यह बिल पुरःस्थापित किया जाता है। मंत्री जी चाहते हैं कि झगड़ा बन्द हो जाय विद्यार्थी और इन विजिलेटर्स का। आप चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बना दें कि जो विद्यार्थी मानें या फिर सजा हो, लेकिन कोई प्रिवेन्शन का तरीका नहीं है जो मंत्री जी ने सोचा हो। उन्होंने सोची तो सजा की बात सोची और मंत्री जी ने अपने विद्यार्थियों का मुकाबला किया क्रिमिनल्स से वह कहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है और वह उसको रोकना चाहते हैं अपने कानून से तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। बड़ा मोटी सी बात है कि एक इनविजिलेशन हो रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी में या किसी उसके अफिलियेटेड कालेज में जैसे कान्यकुब्ज कालेज है और एक विद्यार्थी ने एक टीचर को जब वह इनविजिलेशन के बाद होस्टल को चला तो एक चाकू मार दिया। अब ला आफ दि लैंड है कि पुलिस आयेगी, एफ० आई० आर० लगेगी। अब आप इनविजिलेटर को पब्लिक सर्वेन्ट बनाना चाहते हैं ? अगर कोई हम्ला करे तो आई० पी० सी० है लेकिन आप पब्लिक सर्वेन्ट उन को बनाकर स्पेशल कानून बना रहे हैं। मान्यवर जब परीक्षा होगी यूनिवर्सिटी में तो क्या वह झगड़े को बचाने के लिये पुलिस खड़ी नहीं करेंगे ? और जब इलाहाबाद या आगरा विश्वविद्यालय में पुलिस जायगी तो क्या मंत्री जी वहां की आटोनामी का भंग नहीं करेंगे? एक तरफ तो वह इन संस्थाओं की आटोनामी की बात करते हैं और दूसरी ओर पुलिस को पोस्टिंग करने की बात करते हैं, एफ० आई० आर० भी लाज करेंगे।

अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक आटोनामस बाडी है, आप ने वहां पुलिस मे जो झगड़ा हुआ, टीचर्स ने रिजेन्ट किया विद्यार्थियों ने रिजेन्ट किया और नेशन ने रिजेन्ट किया क्योंकि विद्यार्थियों का एक विशेष मनोविज्ञान और विद्यार्थी उसी मनोवैज्ञानिक ढंग से जुर्म करते हैं जैसा कि संसार के अन्य देशों में भी होता है। हमारे मंत्री जी इनविजिलेटर की परिभाषा में कहते हैं कि "अन्तरीक्षक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी केन्द्र के अधीक्षक को किसी केन्द्र पर परीक्षा के संचालन तथा पर्यवेक्षण में सहायता दे।" मैं एक प्रश्न करता हूं कि टीचर्स आते हैं साइकिल पर और वह अपने चपरासी को साइकिल थमा देते हैं और उसके बाद वे चले जाते हैं इम्तिहान लेने के लिये। इम्तिहान लेने के बाद वे नैनीताल चले जाते हैं। मान्यवर, जब वे वहां पर चले जाते हैं और वहां जाकर फ्लैट पर घूमने जाते हैं। वहां पर उनको स्टैब कर दिया जाता है। तब हमारे इन्विजिलेटर साहब अदालत में खड़े होते है और कहते हैं कि इसकी आशंका थी कि मैं इसकी कापी पर नम्बरों की गड़बड़ कर दूंगा।

इसमें आपने ड्युटी के बारे में भी कुछ नहीं रखा है। आपने इसमें कहा है कि " (क) केन्द्र का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं लेने के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा निश्चित् किसी संस्था या उसके भाग, अथवा किसी अन्य स्थान से है, और इसके अन्तर्गत उससे संलग्न संपूर्ण भू-गृहादि भी है"

तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इनवीजिलेटर की परिभाषा के अन्दर आप उसे पब्लिक सर्वेन्ट कहते हैं। चूंकि चैन्सलर भी हेल्प करता है, प्रोवाइस चैन्सलर भी हेल्प करता है इसलिये सब पब्लिक सर्वेन्ट हो जायंगे। एक प्रोफेसर या डीन, फैकल्टी आफ आर्ट्स या साइन्स जो कि वास्तव में इनवीजिलेशन नहीं करता है यानी लैपट राइट नहीं करता है लेकिन वह ऐक्शन लेता हैं। उस वक्त अगर कोई गड़बड़ी हो जाय युनिवर्सिटी में तो आप उसे पब्लिक सर्वेन्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, श्रीमन्, जब आप किसी को पब्लिक सर्वेन्ट कहते हैं तो किसी गजट में आप नोटीफाई करते हैं कि ये पब्लिक सर्वेन्ट हो गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसे कौन करेगी, सरकार करेगी, या चैन्सलर करेगा या वाइसचैन्सलर करेगा। इस बिल के स्कोप को आप इतना क्यों बढ़ा रहे हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में कोरम नहीं है। १३ आदमी इधर बैठे है और १३ आदमी उधर बैठे हैं।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री शिवेन्द्रप्रताप--

मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो यह बिल लाया गया है यह इल-कन्सीव्ड है और यह समस्या का समाधान नहीं करता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस समस्या को न हमारे मंत्री जी और न उनके अधिकारियों ने दोनों दृष्टिकोण सामने रख कर देखा है। दृष्टिकोण इसमें यह नहीं होना चाहिये कि हम स्टूडेंट और टीचर्स और इनविजिलेटर्स के झगड़े कैसे बन्द कर दें। हमारी दृष्टिकोण यह होना चाहिये था कि वह क्या बात है जिसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं और इनको पहले किस प्रकार से रोकें। अगर न रुकें तो किस प्रकार से उनको सजा दें।

(डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मान्यवर, कुछ समय निर्धारित कर दें क्योंकि काफी लोग बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, ५, ५ मिनट सब माननीय सदस्य बोलें।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मैंने विरोध में बोलने के लिये लिखा था। समर्थन और प्रवर समिति भेजने के बाद विरोध क्या? या तो साफ-साफ कह दीजिये कि आपके साथ इस सदन में कभी न्याय नहीं होगा.....

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात बेजा है। इतने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, आपके साथ क्यों अन्याय हो रहा है?

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मैंने परसों लिख कर दिया और अभी तक कार्यवाही में नहीं छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मंत्री महोदय ने जो विधेयक सदन में पेश किया है उसका मैं स्वागत करती हूं और माननीय कमलासिंह तथा शिवेन्द्रप्रताप ने जो प्रवर समिति में भेजने को प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करती हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ माननीय कमलासिंह के भाषण को सुन कर जिसमें उन्होंने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की बात कही जिसमें कि न कोई कानूनी अड़चन है, न कोई टेक्नीकल बात है जिस पर कि विचार किया जाय और न कोई सिद्धान्त की बात है। माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया उसमें जो तथ्य आपने पेश किये उनका सारांश यही निकला कि जिस तरह से हम यह मानते हैं कि मनुष्य को चोरी नहीं करना चाहिये, हिंसा नहीं करना चाहिये, हत्या नहीं करना चाहिये, लेकिन फिर भी आदमी करते हैं इसलिये समाज की रक्षा के लिये सरकार कानून बनाती है और उसके अन्तर्गत ऐसा कार्य करने वाले को सजा भी दी जाती है। तो ये सिद्धान्त की बात है कि विद्यार्थी और अध्यापकों के बीच में ऐसा संबंध होना चाहिये कि वहां श्रद्धा और भक्ति से विद्यार्थी काम करें और ऐसी समस्यायें पैदा न हों, लेकिन यदि ऐसा मौका आ जाय तो सरकार का कर्त्तव्य है कि ऐसे नागरिकों को जो ऐसे महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हों और जिनके काम में समय-समय पर बाधा उपस्थित करने की कोशिश की जाती है। उनकी रक्षा का भी सरकार उपाय करे और यह मांग अध्यापक वर्ग की तरफ से वर्षों से चली आई थी। इस विधेयक के जरिये वह कार्य पूरा होता है जिसकी वजह से मैं इसका स्वागत करती हूं।

माननीय कमलासिंह ने कहा कि पुराने जमाने में अध्यापक लीडरशिप रखते थे, उनमें इतनी योग्यता थी जिसकी वजह से विद्यार्थी अनुशासन में रहते थे। यह बात अपनी जगह बिलकुल सही है, लेकिन साथ ही साथ हमको यह नहीं भूलना चाहिये जैसी कि शिकायत उन्होंने भी की कि राजनीतिक दल विद्यार्थियों के बीच, यूनियनों के बीच में सब जगह काम करते हैं और इसकी वजह से अनुशासनहीनता उनमें पैदा होती है। मैं भी इससे सहमत हूं और मेरे विरोधी पक्ष के भाई मुझे माफ करेंगे। यदि मैं यह कहूं कि इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों पर है, न कि सरकार पर है। मेरे सामने उदाहरण के है। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी की यूनियन का आज जो प्रेसीडेंट है श्री बृजभूषण तिवारी। उनको पास टेलीफोन है, आफिस है और वह समाजवादी युगजन सभा का निर्माण किये हुए हैं और उसका सारा कार्य संचालन उसी यूनियन बिल्डिंग के द्वारा होता है। तो यह अराजकता उत्पन्न करने वाली स्थिति के जनक हम राजनीतिक दल के लोग ही हैं। इस विधेयक के द्वारा अध्यापक और लड़कों के बीच का जो संबंध है चरित्र संबंधी, काम संबंधी उसमें कोई कमी नहीं आती है। वह तो है ही। यह भी मैं मानती हूं कि ९८ प्रतिशत विद्यार्थी अपने गुरुओं को श्रद्धा की नजर से देखता है और केवल दो प्रतिशत विद्यार्थी ऐसा होता है जो इस तरह की बातें आती है। लेकिन वह दो फीसदी विद्यार्थी काफी न्युसेन्स वेल्यु बन जाता है। कानून एक्सेप्शन के लिये नहीं होता है। वह एक सार्वजनिक चीज होती है। तो इस कानून के द्वारा एक महीने पहले या दो महीने पहले प्रोटेक्शन देने की बात हम करते हैं तो क्या गलत करते हैं? यह एक इन्नोसेंट बिल है, बहुत अच्छा बिल है। इसमें केवल सुरक्षा की बात है। इसीलिये सरकार इसे लाई है। मैं इसका स्वागत करती हूं।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपध्यक्ष महोदय, यह विधेयक है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) विधेयक। मैंने जब इसका शीर्षक पढ़ा तो मैंने समझा कि माननीय मंत्री जी शायद परीक्षा संचालन का कोई अच्छा विधान सोच रहे हैं जैसा कि विदेशों में होता है कि हर मास की परीक्षा पर खयाल किया जाता है। मैं समझा कि एक अच्छा विधेयक आ रहा है। एक परीक्षक एक विद्यार्थी को ३२ नवम्बर और दूसरे को ३३ नम्बर दे देता है। एक पास और

दूसरा फेल हो जाता है। यह मापदंड परीक्षा का बिलकुल गलत सिद्धान्त पर आधारित है इस विधेयक का नाम इनविजिलेटर्स को पावर देने वाला बिल होता तो ठीक था और इसका नाम तो परीक्षा संचालन संबंधी विधेयक है, लेकिन यहां पर अध्यापकों को, इन्विजिलेटर्स को पब्लिक सर्वेंट के अधिकार दे रखे हैं। इसलिये यह विधेयक प्रवर समिति में जाना चाहिये जो तैयार करे कि किस तरह से परीक्षायें हों, विद्यार्थियों की भी परीक्षा के दिनों में समस्यायें होती हैं और उसका इसमें कहीं भी समावेश नहीं है। हमारी पूर्व वक्ता डाक्टर राजेन्द्र कुमारी जी ने कहा कि पार्टी पोलिटिक्स के कारण ही शिक्षा संस्थाओं में अराजकता फैलती है। लेकिन वह अराजकता जो अध्यापकों को पीटते हैं वह दूसरे विद्यार्थी होते हैं और जो विद्यार्थियों की यूनियन होती है वह अध्यापकों को नहीं पीटती है। वह तो सरकार को पीटती है जब सरकार शुल्क शिक्षा के ऊपर लगाती है। दूसरे तत्व उनको मारा करते हैं। इसलिये हमारा अनुरोध है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और परीक्षा संबंधी एक अच्छा विधेयक प्रस्तुत किया जाय। यूथ कांग्रेस की हो लोग लड़वाते हैं। अभी माननीय बनारसीदास जी ने पैसा देकर चुनाव लड़वाया। जब ये लोग हार जाते हैं तो रोते हैं। आज सरकार कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिये हर तरह सरकारी मशीनरी का प्रयोग करती है। अंत में मेरा अनुरोध है कि यह विधेयक प्रवर समिति में जाना चाहिये।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से हम देख रहे...

श्री उपाध्यक्ष—

आप २/३ मिनट ही लीजिये।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, ५ मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं। मैं दो आदमी को बुलाना चाहता हूं। एक आपको और दूसरे डाक्टर साहब को।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, व्यवस्था इस बात की है कि अब तक नियम है कि जब कोई खड़ा हो और पहले जिस पर आपकी नजर पड़े वह बोलेगा, लेकिन आपने....

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आप पहले हमारी बात सुनें। हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने गलत बयानी की है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, मुझे अधिकार है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

आप नियमावली दिखाइये।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, आप बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

बैठ रहा हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

आप गुस्सा करेंगे तो कैसे काम चलेगा ? आप शान्त रहें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह गुस्सा करेंगे तो कैसे सदन का काम चलेगा ? सदन को कोई माननीय सदस्य कंट्रोल नहीं कर सकता है, चेयर करेगी । इस तरह से जो बात करते हैं वह ठीक नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

आजकल जितने विधेयक आ रहे हैं वे पूर्ण नहीं होते और निरंतर प्रवर तथा संयुक्त समितियों में भेजे जाते हैं । इसी तरह का यह भी एक विधेयक शिक्षा मंत्री जी की ओर से है । इसका शीर्षक भी शुद्ध नहीं है । यह ठीक है कि आप समझ रहे हैं कि विद्यार्थी परीक्षा के समय उद्दण्ड हो जाते हैं, उसके लिये आपने अध्यापकों को पब्लिक सर्वेन्ट बना दिया है । इसके मायने यह हैं कि एक महीने पहले और दो महीने बाद तक वे पब्लिक सर्वेंट रहेंगे, यानी तीन महीने के लिये आपने उनको पब्लिक सरवेंट बना दिया है । अगर वे किसी के घर में चोरी करते रहें तब भी पब्लिक सर्वेंट रहेंगे और अगर कोई बदमाशी करेंगे तब भी पब्लिक सर्वेंट रहेंगे । आई० पी० सी० में लिखा है कि जिस समय कोई पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा हो उस समय वह पब्लिक सर्वेंट होगा । आपको फिर से इसमें तरमीम करनी होगी । माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि इस तरह की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिये, इस तरह की बात की जानी चाहिये । आपने जो विधेयक बनाया है उसमें तीन महीने के लिये उनको पब्लिक सर्वेंट के अधिकार हो जायेंगे । लेकिन वह अपने पब्लिक सर्वेंट के अधिकार को उसी समय प्रयोग कर सकते हैं जब उनके उस विशेष काम में कोई इंटरफियरेंस करेगा । कोई दूसरा काम जो उनकी पब्लिक ड्यूटीज में नहीं आता होगा, उसमें उनको अधिकार नहीं होगा । यह बिल इस प्रकार से अपूर्ण है । इसमें फिर संशोधन लाना पड़ेगा ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित है इसमें कबीर के शब्दों में जो गुरुगोबिन्द से भी बड़ा माना जाता रहा है उसको अब मंत्री जी सेवक बना कर मार खाने से बचाने की कोशिश इस विधेयक द्वारा कर रहे हैं । और इसकी प्रेरणा जो उत्तर प्रदेश इंटरमीडीएट ऐक्ट, १९२१, में पास हुआ था उससे मिली । तब से उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद् परीक्षाएं ले रही हैं और मार खाने से बचाने की सुविधा के बावजूद अधीक्षक और अन्तरीक्षक मार तक डाले जा चुके हैं । मार खाते रहे हैं । मंत्री जी ने अगर ठंढे दिल से सोचा होता तो पाते कि यह जो विधेयक आ रहा है यह विधेयक कितना निरीह, उपहासजनक और दुर्बलता का द्योतक है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या परीक्षा लेने वालों को केवल लोक-सेवक का नाम दे देने से ही परीक्षार्थियों को रूह कांप जायगी, कि वह हमें निकाल ही न देंगे बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा १८६ सजा हो जायगी, क्या वह इससे डर जायेंगे और परीक्षाएं ठीक ढंग से संचालित होंगी । सोचने की बात है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता क्यों पैदा हुई है । वह गरीबी की दशा में पढ़ रहे हैं । उनके पास पैसा नहीं है, किताबें नहीं हैं । अध्यापक असंतुष्ट हो कर विषयांतर करके शासन की बुराइयों की चर्चा पढ़ाते समय करने को प्रस्तुत हैं । परीक्षक अनापशनाप प्रश्न दे देते हैं । परीक्षा में उनके जीवन-मरण का प्रश्न पैदा हो जाता है तो वह नकल करके भी पास होना चाहता है ताकि वह माता-पिता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करके उनके सामने

मुंह दिखाने के लायक हो जांय। वह इतनी दूर की बात नहीं सोचेगा कि इनको लोक-सेवक बना दिया गया है और इनके प्रति अनुचित व्यवहार करने से उसको दंड मिल सकता है। जिसके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं, पढ़ कर भी जिसको बेकार रहना है, कम से कम वह पास हो कर निकलना चाहेगा। आप जो चाहें सजा दे दें लेकिन इससे वह परीक्षाओं के संचालन की गड़बड़ियां और त्रुटियां नहीं दूर होंगी। इतना जान लेने के बाद अगर शिक्षा मंत्री इस बिल को वापस लेकर पहले एक समिति बैठा दें कि क्यों विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता और असन्तोष फैल रहा है और उनकी त्रुटियों को दूर करें तभी वह शिक्षा मंत्री के उत्तरदायित्वपूर्ण पद से एक वास्तविक सेवा कर सकेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान, जैसा हमारे डा० रघुनाथसिंह ने कहा, गुरुओं की तो बहुत ऊंची परम्परा रही है। मैं भी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। योग्य प्रोफेसर जो होते हैं उनके आचरण और व्यवहार का तरीका बड़ा ही सराहनीय रहा है, उससे हम प्रभावित रहे हैं। उनके व्यक्तित्व से हम सदैव प्रभावित रहे हैं। किन्तु जो अध्यापक और गुरुजन अपने पद की गुरुता से और अपने व्यवहार से विद्यार्थियों को और समाज को प्रभावित नहीं कर सकते उनका कोई प्रभाव इस प्रकार के कानून बना देने से और धारा १८६ के अन्तर्गत सजा भी रखने से विद्यार्थियों पर नहीं पड़ेगा। विद्यार्थी प्रेम से, व्यवहार और उनके व्यक्तिगत आचारण से प्रभावित हुआ करते हैं। जो अध्यापक या गुरुजन अयोग्य हैं, विद्वान नहीं हैं, अनुशासनहीन हैं, उनकी परवाह और इज्जत कोई कभी नहीं करेगा। इस बिल के द्वारा आप अयोग्य और उद्दण्ड अध्यापकों को यह अधिकार देने जा रहे हैं कि उनकी यह प्रवृत्ति और बढ़े। इस तरह के बिल से उद्दण्ड अध्यापकों, न पढ़ाने वाले अध्यापकों, और जो विद्यामन्दिरों में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं उनको बल मिलेगा। इसके साथ ही साथ इससे विद्यार्थियों और अध्यापकों के पवित्र सम्बन्ध में एक तनाव और कटुता भी पैदा होगी, इससे शिक्षा मन्दिरों का सारा वातावरण बिगड़ जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

जबसे यह बिल पेश हुआ तब से इस कुर्सी पर बैठने वाले चाहे कृष्णानन्द जी हों या आप हों, सबसे मैं बराबर अर्ज कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद भी आप मौका नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से जानबूझकर यह काम हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी पार्टी के २–३ आदमी बोल चुके हैं, समय कम है, अब आप बैठ जायें।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरफ के भाषणों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इससे बढ़ कर मूर्खतापूर्ण और कोई बिल नहीं हो सकता। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। मंत्री जी धारा १८६ को पढ़ कर समझ लें। धारा ३२३ में डंडे आदि से आक्रमण होने पर सजा की व्यवस्था है और यहां पर धारा १८६ है। ३२३ धारा में जो सजा है, उसमें एक साल की सजा दी जा सकती है और एक हजार रुपया जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। लेकिन जो ऐटम बम मंत्री जी शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों के खिलाफ रखना चाहते हैं यह कह कर कि यह पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं और उनको यदि किसी तरह से मारा पीटा जायगा तो उनको हम कुचल देंगे। श्रीमन्, उसमें क्या सजा है? तीन महीने की और ५०० रुपया जुर्माना या दोनों ही सजायें दी जा सकती हैं। एक बात आप सोचिये। ३२३ में बहुत साधारण सजा है जबकि इसके लिये आप इतनी सजा रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त गवाह मिलना भी आवश्यक है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]
और जब तक आपको गवाह नहीं मिलेगा तब तक उसको सजा नहीं होगी। केवल उनको पब्लिक सर्वेन्ट्स बना देने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद समय की बात आती है। यदि इनविजीलेशन के समय में ऐसी कोई बात की व्यवस्था हो तो माना जा सकता है किन्तु परीक्षा के एक मास पूर्व और २ मास पश्चात् तक इस बात की व्यवस्था करना बहुत ही गलत है। डिस्चार्ज आफ ड्यूटी का आब्स्ट्रक्शन जब होगा जब वह ड्यूटी पर हो किन्तु पहले और परीक्षा के बाद इसका सवाल कहां उठता है, यह समझ में नहीं आता है। माननीय मंत्री जी इसको बतावें कि कौन सा डिस्चार्ज आफ ड्यूटी उस समय होगा। अगर कोई स्टूडेंट उसको आब्स्ट्रक्ट करता है तो वह कौन सी ड्यूटी है जिसे वह करने जा रहे हैं और जिसके लिये आप १८६ का उपयोग करने जा रहे हैं? यह बिलकुल फाल्स है। और आप शिक्षा मंत्री हैं। अगर कोई अशिक्षित करता को उसके लिये कहा जा सकता था, लेकिन आप तो शिक्षा के विशेषज्ञ समझे जाते हैं। अगर वह गलती करता तो क्षम्य होता और अगर आप कर रहे हैं तो वह क्षम्य नहीं होगा। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि आप ला डिपार्टमेंट से राय लीजिये कि उस वक्त कौन सी आफिशियल डिस्चार्ज आफ ड्यूटी होगी जिसके लिये सजा दी जा सकती है। अगर इस तरह की बेवकूफी की बात हो कि जब आफिशियल ड्यूटी खत्म हो जाय उसके बाद भी अगर कोई आब्स्ट्रक्शन हो तो सजा दी जाय तो उसका नतीजा सिर्फ यह होगा कि रुपया बरबाद होगा, दुश्मनियां वहां बढ़ेंगी और जिस नतीजे पर आप पहुंचना चाहते हैं वह भी हल नहीं होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रवर समिति में भेज कर इसको ठीक करा लिया जाय, उसके बाद ही अगर कोई चीज होगी तो वह ठीक होगी।

श्री शिवेन्द्रप्रताप--

पहले तो मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि शिक्षा मंत्री जी या उधर के भाइयों की बातों का क्या जवाब दूं। सिर्फ यह कह कर अपना रिजोल्यूशन रखना चाहता हूं कि जिस समस्या का समाधान इस बिल के द्वारा आप करना चाहते हैं वह आप कर नहीं पायेंगे क्योंकि इस तरह से स्टूडेंट्स की इनडिसिप्लिन को नहीं रोका जा सकता है। इसलिये आप चाहें संयुक्त प्रवर समिति को भेजिये, हम तो उसे भी अनावश्यक समझते हैं, लेकिन आप चाहें तो भेज दीजिये जिससे वहां सोच विचार हो जाय।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

श्रीमन्, प्रवर समितियों में भेजने के जो प्रस्ताव रखे गये हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं उनकी आवश्यकता नहीं समझता कि प्रवर समिति में चले जाने से उस उद्देश्य की पूर्ति होगी जिसे हम करना चाहते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

तो वापस ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्हें बोलने दीजिये।

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं जो चीजें शिक्षा से सम्बन्धित हैं उनके सम्बन्ध में इधर वा उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य जो दिलचस्पी रखते हैं उनकी तरफ से जो भी सुझाव आते हैं उन पर बहुत ध्यान से सुनकर विचार करने की कोशिश करता हूं। यदि मुझे यह प्रतीत होता कि इस विधेयक में कोई ऐसी आवश्यकता है कि प्रवर समिति में जाकर इसमें कोई सुधार हो सकता है या इसका कोई विस्तार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सकता है तो मैं इस बात पर एतराज न करता। श्रीमन्, मैं श्री कमलासिंह जी का बहुत अनुगृहीत हूं कि उन्होंने अपना प्रवर समिति का प्रस्ताव पेश करते समय विधेयक में जो धारा रखी गई है उसका विरोध नहीं किया, लेकिन इससे आगे क्या होना चाहिये या जो वह रोग है इस विषय में उन्होंने चर्चा किया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो अनुशासन की कमी विद्यार्थियों में पाई जाती है इस विधेयक के द्वारा उस समस्या का समाधान होने वाला हो, ऐसी बात नहीं है। यह उस समस्या का समाधान करने के लिये पूर्ण है भी नहीं। इसका केवल एक उद्देश्य है और वह केवल उद्देश्य यह है कि शिक्षक जो आजकल परीक्षाओं की देखभाल करते हैं उनको आज के वातावरण में इस बात की आशंका होने लगी है कि यदि उनको अपना उत्तरदायित्व पूरा करना है तो उनको लोक सेवक के अधिकार होने चाहियें। यह नई बात नहीं है। यह लोकतंत्र में सर्वमान्य सिद्धान्त है। इस देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी यदि कोई सार्वजनिक सेवा करता है, यदि वह लोक सेवा करता है.....

श्री शिवेन्द्रप्रताप—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दुनिया के किसी देश में ऐसा नियम है।

श्री कैलाशप्रकाश—

यदि माननीय सदस्य मेरी बात को सुनने का प्रयास करते तो शायद इस नतीजे पर पहुंचते कि मैंने केवल यह बात कही है कि यदि कोई सार्वजनिक कार्य करता है, यदि कोई लोक सेवा करता है, तो उनका उत्तरदायित्व इस तरीके का होता है कि जिसमें उन पर आक्रमण की आशंका हो सकती है। जिस समय वे संकट के समय कार्य करते हैं तो उनको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्र की प्रणाली के अन्तर्गत अन्य देशों में इस तरीके का अधिकार दिया गया है। इस तरीके से अधिकार को देना कोई अनुचित या असाधारण बात नहीं हैं। जो शासन में कार्य करते हैं, शासन के अन्तर्गत सेवा में रहने वाले इस तरीके का काम करते है उनको इस तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं। यहां पर यह प्रश्न उठता है कि हमारे यहां शिक्षा संस्थायें ऐसी भी है जो काम तो वही करती हैं जो राज्य की तरफ से चलने वाली शिक्षा संस्थायें करती है, लेकिन उनमें जो लोग काम करते हैं उनकी सेवायें राज्य सेवा में नहीं हैं। इसलिये जो राज्य सेवा में काम करने वालों को अधिकार प्राप्त होते है वह इनको नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूं और मुझे हर्ष नहीं है कि मुझे इस तरीके का विधेयक यहां लाना पड़ा। मैं इस बात को मानने लगा हूं कि शिक्षक और शिक्षार्थियों में सम्बन्ध ऐसी बातों के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिये। जैसा कि कहा गया और सम्भवतः काशीनाथ मिश्र जी ने कहा वह बात अपनी जगह पर सही है कि शिक्षकों का नियंत्रण प्रेम, स्नेह और विद्वता के द्वारा होना चाहिये। उसकी श्रद्धा होनी चाहिये और उसका आदर होना चाहिये। श्रद्धा और आदर के द्वारा जो सम्बन्ध बनते हैं वह सम्बन्ध वास्तव में अच्छे होते हैं और शिक्षा संस्थाओं में, इन शिक्षा के मन्दिरों में, वह बात होनी चाहिये। यह बात अपनी जगह पर बिलकुल सही है मैं इसको स्वीकार करता हूं। इसकी आवश्यकता है किन्तु वास्तविकता ऐसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते है। जो वास्तविक परिस्थिति सामने हैं उसका मुकाबला करने की आवश्यकता है। हम इस विधेयक को अपनी मर्जी से नहीं लाये हमारी विशेष इच्छा नहीं थी, लेकिन जब शिक्षकों की ओर से इस प्रकार की मांग की गयी कि उनको अपना कार्य करने में, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में कठिनाई पैदा होती है, तब इस तरह से विधेवक को लाने की बात सोची गयी। जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका, पहले तो माध्यमिक शिक्षकों वर्ग की ओर से यह कठिनाई उपस्थित हुई तब उसमें कुछ किया गया और अब विश्वविद्यालय शिक्षक वर्ग की मांग है। जानबूझ कर विश्वविद्यालय शिक्षकों को उस वक्त छोड़ दिया गया था, इस वजह से कि यह आशा की जाती थी कि विश्वविद्यालय और कालेज जो होते हैं उनके विद्यार्थियों में यह समस्या नहीं उपस्थित होनी

[श्री कैलाशप्रकाश]

चाहिये और इसलिये उनकी आवश्यकता नहीं समझी गयी। लेकिन जब आज वे लोग जिनको कि यह काम करना है, वे लोग जिनको यह उत्तरदायित्व वहन करना है, बार-बार इस बात की मांग करते हैं कि ऐसा होना चाहिये तो मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं होना चाहिये, क्योंकि हम तो यह चाहते हैं कि वे अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें, उनके मन में कोई आशंका न रहे, कोई भय न रहे और उनको वह सुरक्षा प्राप्त हो सके जो सुरक्षा और लोकसेवकों को प्राप्त है। केवल यही उद्देश्य इस विधेयक का है और मैं समझता हूं कि इस सीमित दायरे का उद्देश्य इस विधेयक को पारित करने से पूरा हो जायगा, क्योंकि उस शिक्षा समुदाय को जिसने इस बात की मांग की है और जिसने इसको चाहा है, उसको इस बात का आश्वासन हो जायगा, उसे इसका विश्वास हो जायगा, कि शासन उनकी ऐसी मांगों को, उनके उत्तरदायित्व को पूरा करने में पूरा सहयोग देना चाहते हैं।

श्री कमलासिंह यादव--

एक महीना पहले और एक महीना बाद वाली बात से आपका क्या मतलब है, इसको भी जरा समझा दें।

श्री कैलाशप्रकाश--

प्रश्न यह है कि एक महीना पहले और दो महीने बाद वाली बात क्यों रखी गयी है, इसको भी मैं इस विधेयक को उपस्थित करते समय पहले कह चुका था कि यदि वह अंकुर है, यदि इस तरीके के कुछ व्यक्ति हैं जो भय से अपना काम कराना चाहते हैं, जो परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं और डराना चाहते हैं उनके लिये ऐसी चीज का होना ज्यादा आवश्यक है, जिन दिनों परीक्षा प्रारम्भ करने का अवसर हो, और जब तक परीक्षा समाप्त हो। जिस रोज परीक्षा समाप्त हो जाय उसी रोज परीक्षा समाप्त नहीं होती। परीक्षा के अन्तर्गत मूल्यांकन भी आता है। कापियां परीक्षकों के पास जाती हैं और उस जमाने में उनको परेशान किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि परीक्षा के दो महीने के बाद भी अगर उनको सुरक्षा दे दें तो इसमें कौन सी ऐसी बात हो जाती है? यदि शिक्षकों पर आक्रमण नहीं होता और उन पर बेजा दबाव नहीं डाला जाता तो भी दो महीने बाद तक उनको सुरक्षा दी जाती है तो कोई वैसी बात नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव--

इनविजिलेटर्स तो एग्जामिनर नहीं होते हैं?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, जो पर्यवेक्षक या इनविजिलेटर होते हैं वे टीचर्स हैं और एग्जामिनर्स उन्हीं में से नियुक्त होते हैं इसलिये वे उसी के अन्तर्गत आ जाते हैं। मैं निवेदन करूं कि...

श्री शिवेन्द्रप्रताप--

इसको आप प्रिज्यूम न करें।

श्री कैलाशप्रकाश--

मैंने आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुना है और उसको सोचने विचारने का प्रयास किया है, इसलिये आप भी मेरी बातों को जरा सुनें। दूसरा प्रश्न प्रस्तावक महोदय ने यह उठाया है कि उनको चिन्ता है अनुशासन की। यह तो मैं कह चुका हूं कि इस विधेयक से कोई अनुशासन उपस्थित करने पर बड़ा भारी लाभ होने वाला नहीं है। यदि आपके सामने समस्या वह है तो मैं इसको स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि इस विधेयक के द्वारा उस समस्या का सुलझाव नहीं होता। हां, यह मैं मानता हूं कि यदि वह समस्या न होती तो आज इसकी आवश्यकता नहीं थी। जहां तक इस अनुशासन को रखने का संबंध है, यह बात कही गयी कि इस पर विचार नहीं हुआ

है। श्रीमन्, यह प्रश्न आज कल न इस प्रदेश में ही, वरन् विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये, न केवल माध्यमिक संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिये बल्कि यह इस देश का एक ऐसा प्रश्न बन गया है कि जिस पर बहुधा चर्चा होती है। यह प्रश्न ऐसा है कि जिस पर जब भी शिक्षा संबंधी कोई कमेटी या कमीशन बैठता है तो इस पर विचार किये बिना वह नहीं रह सकता और इसके लिये केन्द्रीय सरकार भी चिन्तित रहती है और देखती रहती है। यह प्रश्न ऐसा है कि अक्सर हमारे सामने उपस्थित होता रहता है और खड़ा होता रहता है।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी, समय का भी खयाल रखें। पूरा साढ़े तीन बजे तक समाप्त होना है।

श्री कमलासिंह यादव---

सदन से कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। सिर्फ सजेशन है श्रीमान् जी का कि चार बजे तक समाप्त हो जाना चाहिये। दूसरे बिल पर कोई खास संशोधन नहीं है। उस पर जनरल डिस्कशन हो जायगा।

श्री कैलाशप्रकाश---

बहुत अच्छा, श्रीमन्। यह जो प्रश्न अनुशासन का उठा, वास्तव में यह चिन्ता की बात है और वास्तव में यह प्रश्न ऐसा है कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों सबको इस पर गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है। आखिरकार यही लोग हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जो कालेजों में पढ़ते हैं और देश और प्रदेश का भार इन्हीं को सम्हालना है। यदि आज हम उनमें एक अनुशासनहीनता की भावना देखते हैं तो स्वतंत्रता के पश्चात् अपने देश के निर्माण करने की जो कल्पना हमने कर ली थी वह इन्हीं के आधार पर चल सकती है और लोकतंत्र भी इन्हीं के आधार पर चल सकता है और मैं इस बात को निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों में इस अनुशासनहीनता की समस्या को हल करने के लिये इधर के और उधर के माननीय सदस्यों के जो सुझाव होंगे उन सुझावों को मैं सदा स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

अभी कमलासिंह जी ने एक बड़े महत्व का सवाल उठाया कि कुछ पोलिटिकल पार्टीज विद्यार्थियों में क्यों काम करती हैं इस पर भी हमें विचार करना चाहिये। आचार्य नरेन्द्रदेव कमेटी जिस समय बैठी थी इस प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था पर विचार करने के लिये तो उनके सामने भी यह सवाल आया था। और आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी ने भी यह संस्तुति की थी कि विद्यार्थियों में पोलिटिकल पार्टीज को इस तरह से हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि वह संस्तुति यद्यपि एक ऐसे उच्च व्यक्ति की अध्यक्षता में हुई थी और आशा थी कि उसकी संस्तुतियों को अच्छी प्रकार से कार्यान्वित किया जायगा और उसमें कामयाबी होगी, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गयी और कमी यह थी कि यह काम समूहिक रूप से ही हो सकता है। इसे एक या दो पार्टियां नहीं कर सकतीं। एक दो पार्टियां इसका पालन करें और दूसरी न करें यह नहीं हो सकता। इसलिये मैं तो आवाहन करता हूं। पोलिटिकल पार्टीज को काम करने के लिये और बहुत से क्षेत्र पड़े हुये हैं और इसलिये हम लोगों को तय कर लेना चाहिये कि जहां तक विद्यार्थियों का संबंध है, उनकी यूनियन आदि का संबंध है, उनसे हम कोई संबंध नहीं रखेंगे। उनको अपने शिक्षा संबंधी और विकास संबंधी काम करने देंगे। यदि माननीय सदस्य और उनकी पार्टियों का सहयोग हमें इस बात में प्राप्त होगा, जो भी यहां हैं उनका, तो मैं सहर्ष उसमें जो भी हमारा सहयोग होगा देने के लिये तैयार हूं। हम किसी तरीके से भी उन विद्यार्थियों को यह भावना देना चाहते हैं कि आपका क्षेत्र जब तक आप विश्वविद्यालय में हैं विद्या उपार्जन करते हैं, शिक्षा उपार्जन करते हैं, शिक्षा का अध्ययन करते हैं। उसमें आप रहिये और इस क्षेत्र को छोड़ दीजिये। वही अच्छा है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव--

प्रोत्साहन देने के लिये कोई बात कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

यह तो पोलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठ कर तय करना है। संयम का सवाल है, इसमें कानून बनाना मुश्किल है। अगर अन्य पार्टी हिस्सा लेंगी तो दूसरी पार्टियों को प्रोत्साहन मिलता है कि हमें क्या करना है जैसे कि नेता लोग बैठ कर तय कर लें कि पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो शिक्षा संस्थाओं में भी अगर तय कर लें तो हमारा बहुत बड़ा काम हो सकता है। यह मेरे हाथ की बात नहीं है, आत्मसंयम का सवाल है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

शिक्षा मंत्री को जानकारी करा दूं कि आचार संहिता के नियम आपके द्वारा नहीं बनाये गये। यह नियम बनाया गया कि किसी दल का कोई बालिग उस दल से इस्तीफा देकर तब दूसरे दल में जायगा, उसको आपने तोड़ दिया। वह तो सब ने मिल कर बनाये थे।

श्री कैलाशप्रकाश--

विषयांतर होने से तो काम नहीं चलता। मैं तो एक विशेष सीमित क्षेत्र की बात कर रहा हूं। जो मुझसे सहयोग होगा वह मैं देने के लिये तैयार रहूंगा। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस से भी सहयोग मिलेगा।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

यह तो आपकी व्यक्तिगत बात रही। आपका दल धोखा देता है।

श्री कैलाशप्रकाश--

कौन किस को धोखा देता है, यह बात तो दूसरी है। यह बात कही गयी कि विद्यार्थियों को ऐसा वातावरण देना चाहिये जिससे वह ठीक तरीके से अध्ययन कर सकें जिससे अनुशासनहीनता न हो। मैं इसे स्वीकार करता हूं उन्हें उत्साह देना चाहिये। कमलासिंह जी ने कहा कि गरीब विद्यार्थियों को मौका होना चाहिये कि अच्छे तरीके से पढ़ सकें। मैं भी स्वीकार करता हूं और शायद उनकी जानकारी में हो, मैंने एक पुस्तक वितरण करवाई कि जो विभिन्न तरह की सहायता दी जाती है विद्यार्थियों को वह जिस प्रयोजन के साथ और जिस आशय से दी जाती है वह बहुत देर से पहुंचती है, उसमें देर लग जाती है। उस पुस्तक के द्वारा मैंने विद्यार्थियों को और माननीय सदस्यों को यह जानकारी कराई कि क्या उनको सुविधा प्राप्त हो सकती है, जैसे फीस माफी, स्कालरशिप, नेशनल स्कालरशिप, इनका अच्छे तरीके से प्रयोग हो जाय तो संभवतः जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको आगे पढ़ने में कठिनाई न हो।

यह कहा गया कि पे सकेल्स कम हैं। यह अध्यापकों का मामला सदन में कई बार उठ चुका है और मैंने स्वीकार किया था कि प्राथमिक शिक्षकों का वेतन बहुत कम है जिससे वह अपना उत्तरदायित्व वहन करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। बजट में साढ़े तीन करोड़ की सुविधा रखी गयी थी और जो नयी सुविधा शिक्षकों को दी गयी है उससे २० रुपया प्रत्येक शिक्षक के और बढ़ा दिये गये।

प्राथमिक शिक्षकों को १०० मिलेंगे, माध्यमिक शिक्षकों को ४० रुपये माह का तथा जो डिग्री कालेजों में पढ़ाते हैं उनको ४० रुपये माह का लाभ होगा। इससे १० करोड़ रुपया सालाना का भार शिक्षा के बजट पर बढ़ जायेगा। आज तमाम सुविधायें तो एक दम उपलब्ध नहीं करायी जा सकतीं, किन्तु जैसे-जैसे हमारी तरक्की होती जायेगी, आर्थिक हालत सुधरेगी, और सुविधायें भी दी जायेंगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें, इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है और सदन इस विधेयक को पास करे।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं मूल प्रस्ताव को ही पहले लेता हूं। अगर वह पास हो जाता है तो अन्य प्रस्ताव गिर जायेंगे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) विधेयक, १९६५, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

परिभाषाएं

२—इस अधिनियम में जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'केंद्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं लेने के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा निश्चित किसी संस्था या उसके भाग, अथवा किसी अन्य स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे संलग्न संपूर्ण भू-गृहादि भी है;

(ख) 'अन्तरीक्षक' (इनविजोलेटर) का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी केंद्र के अधीक्षक को किसी केंद्र पर परीक्षा के संचालन तथा पर्यवेक्षण में सहायता दें;

(ग) 'केंद्र का अधीक्षक' का तात्पर्य किसी केंद्र पर आयोजित अथवा आयोजित की जाने वाली विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का संचालन तथा पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत ऐसे केंद्र का अपर अधीक्षक अथवा सम्बद्ध अधीक्षक भी है;

(घ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के किसी ऐक्ट/अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से है जिसके राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसा विश्वविद्यालय घोषित किया हो जिस पर यह अधिनियम लागू हो।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

अधीक्षक तथा अन्तरीक्षक लोक सेवक होंगे

३—केंद्र का प्रत्येक अधीक्षक और प्रत्येक अन्तरीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा अथवा परीक्षाओं के दौरान में और ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के पूर्व एक माह के लिए और समाप्त होने के बाद दो माह के के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा २१ के अर्थ में लोक-सेवक समझे जायेंगे।

श्री शिवेंद्रप्रताप—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ की दूसरी तथा तीसरी पंक्ति से अधोलिखित निकाल दिया जाय।

"और ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के पूर्व एक माह के लिये तथा पंक्ति ३ के अन्त में 'दो माह' के स्थान पर '१५ दिन' लिख दिया जाय।"

मान्यवर, मैं एक मिनट ही लूंगा। मैं एक बात ही केवल जानना चाहता हूं और वह यह कि इसमें खंड ३ में जो परीक्षा शुरू होने के १ माह पूर्व से इसे लागू करने की बात कही गयी है इसकी क्या आवश्यकता है। क्या आप समझते हैं कि कोई स्टूडेंट किसी इनविजिलटर

[श्री शिवेंद्रप्रताप]

पर पहले से हमला कर सकता है ? इसको आप समझा दीजिये । ३० दिन पहले या ६० दिन के बाद में वह कैसे हमला कर सकता है ? फिर अगर कोई अध्यापक अपनी पत्नी के साथ सिनेमा देखने जाता है, वहां और किसी स्टूडेंट से झगड़ा हो जाता है और वहां कोई स्टूडेंट उसके चाकू मार देता है तो उसको भी क्या इसी परिभाषा के अन्तर्गत माना जायेगा ? क्या उसको भी आप यह कहेंगे कि उसने इसलिये यह किया क्योंकि उसके (विद्यार्थी) संबंध उनके (अध्यापक) साथ खराब थे ? इसे आप कृपया स्पष्ट कर दें । और मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि इससे पूर्व भी माध्यमिक शिक्षकों के लिये, संभवतः १९५९ में, विधेयक पारित हुआ था । उसमें भी यही चीज थी । उसका अनुभव तब नहीं हुआ । मैं समझता हूं कि यदि इसको भी पारित कर दिया जावेगा तो कोई इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करेगा । हम यहां पर बात माध्यमिक शिक्षकों की कर रहे हैं । वह तो जैसा वहां था वैसा ही यहां भी आया है ।

श्री शिवेंद्रप्रताप—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा के और निम्न शिक्षा के शिक्षकों का सोशल, इन्टैलेक्चुअल और एथिकल लेविल एक है या क्या उस स्टूडेंट का जो माध्यमिक लेविल का है और जो ला में है या वह स्टूडेंट जो रिसर्च कर रहा है उसका स्टैन्डर्ड एक है ? मैं तो इस पर बड़ा कंफ्यूज्ड हूं । मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं । शायद यह मेरी कमजोरी है । मंत्री जी तो इसको बड़ी अच्छी नीयत से पेश करना चाहते हैं । मैं नहीं समझ पा रहा हूं ।

श्री कैलाशप्रकाश—

मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ की दूसरी तथा तीसरी पंक्ति से अधोलिखित निकाल दिया जाय:—

"और ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के पूर्व एक माह के लिये"

तथा पंक्ति २ के अन्त में "दो माह" के स्थान पर "१५ दिन" लिख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४

अधिनियम संख्या ४५, १८६० ऐक्ट संख्या ५, १८९८	४—केंद्र के किसी अधीक्षक या अन्तरीक्षक पर धारा ३ में उल्लिखित अवधि में आक्रमण, या आपराधिक बल-प्रयोग करने को लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालना समझा जायगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा १८६ के अधीन दंडनीय होगा और वह संज्ञेय अपराध होगा, भले ही कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ में कोई बात दी हो ।	अधीक्षक या अन्तरीक्षक पर आक्रमण, आदि

श्री शिवेंद्रप्रताप—

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो वह अस्वीकार हो चुका है ।

*श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ की दूसरी पंक्ति में शब्द "अवधि में" व "आक्रमण" के बीच में शब्द "परीक्षा से संबंधित" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह प्राविधान करना चाहिये कि झगड़ा या मामला जो परीक्षा से संबंधित हो तो ही मामला चलेगा केवल वही मामला जो उनके कर्त्तव्य निर्वहण से संबंधित हो, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि यह बात जो है कि आक्रमण हो या बाधा हो वह परीक्षा से संबंधित हो, यह बात वैधानिक प्रतीत होती है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैंने इस संशोधन पर बहुत विचार किया और यह शब्द यदि रख दिया जाय तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या इससे लाभ होगा। नुकसान तो मुझे समझ में आया। मान लीजिये एक विद्यार्थी है वह परीक्षा दे रहा है और इनविजिलेटर जो देखभाल कर रहा है और उसने उसके ऊपर कुछ कड़ाई की। वह हाल से बाहर निकलकर गया। इनविजिलेटर भी अपने घर गया। और फिर बदला लेने की भावना से कहीं दो तीन रोज बाद आक्रमण उस पर कर दिया, तो वह परीक्षा सम्बन्धी होगा या नहीं होगा? और क्यों इन झगड़ों को खड़ा किया जाय? मैं समझता हूं कि इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है और इस संशोधन की भी आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ की दूसरी पंक्ति में शब्द "अवधि में" व "आक्रमण" के बीच में शब्द "परीक्षा से सम्बन्धित" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा-संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाओं के संचालन से सम्बद्ध कुछ विषयों के निमित्त व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा-संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) विधेयक, १९६५, पारित किया जाय।

मैं माननीय सदस्यों का बहुत अनुगृहीत हूं कि उन्होंने इस विधेयक पर विचार किया और मैं अब यह प्रार्थना करता हूं कि इसको पारित करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि केवल तलवार या कानून या सजा के सहारे अनुशासन नहीं रखा जा सकता और जब तक कानून, लाठी गोली या सजा के जरिये आप काम करेंगे तब तक अनुशासन चलने वाला नहीं है। अनुशासन को बनाये रखने के लिये एक स्वस्थ वातावरण आपको इस प्रदेश के विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में बनाना पड़ेगा कि जिससे अभिभावक या विद्यार्थी किसी प्रकार से उससे विचलित न हो सकें। मैं एक उदाहरण दूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी को उसे सुनना चाहिये और उस पर मनन करना चाहिये। आप देखें, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक धारा १४ है। उसके अनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित १४ पूर्वी जिले आते हैं और उन १४ जिलों की शिक्षा संस्थाओं की परीक्षाओं का संचालन गोरखपुर विश्वविद्यालय करता है। उन १४ में हर जिले में एक दो डिग्री कालेज हैं, कहीं बी०एस०सी० की पढ़ाई होती है, कहीं बी०एस०सी० (ए०जी०) की पढ़ाई होती है, कहीं कामर्स के साथ बी०ए० की पढ़ाई होती है। इस प्रकार विभिन्न विषयों के डिग्री कालेज वहां हैं। १९५६ में गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक पास हुआ था। तब से आज तक नौ वर्ष का जमाना बीत रहा है, क्या आपने कभी सोचा कि इस विश्वविद्यालय से संबंधित १४ जिलों के जो २५ से ज्यादा डिग्री कालेजेज हैं, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी बी०एस०सी० और बी०एस०सी० (ए०जी०) पढ़ने के बाद या बी०ए० की शिक्षा लेने के बाद एम०ए०, और एम०एस०सी०, या एम०एस०सी० (ए० जी०) करने के लिये कहां जायं, कहां उनको इससे आगे की शिक्षा मिलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका इस बिल से क्या संबंध है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, यही तो अनुशासन है। अगर आप डिग्री कालेज और खोलें और डिग्री कालेज खोलने के बाद वहां से पढ़कर निकलने वाले नवयुवकों को नौकरी न दें, पढ़ने की इच्छा रखते हुए भी उनको पढ़ने के साधन न दें, स्कूल न दें, सामान न दें, और फिर लाठी गोली के बल पर अनुशासन बनाये रखना चाहें, तो मैं समझता हूं कि इससे अनुशासन चलने वाला नहीं है। मैं एक निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से मेरठ विश्वविद्यालय में, आगरा, कानपुर और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एम० ए० की कक्षाओं के लिये संबद्ध डिग्री कालेजेज को अधिकार दे दिया गया है उसी प्रकार से गोरखपुर विश्वविद्यालय को भी दिया जाना चाहिये और उसकी १४ वीं धारा को परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये और उन स्कूलों जैसे आजमगढ़, बलिया आदि के कालेजों को जहां की हालत अच्छी है, उनको एम०ए० शिक्षा के पढ़ाने की इजाजत दे दी जानी चाहिये। कम से कम २०–२०, ४०–४० सीट्स कर दी जायं। हजारों की लाइन वहां लगी हुई है। भला अनुशासन भंग न हो तो क्या हो ? अनुशासन रखने के लिये आपको शिक्षा संस्थाओं को अच्छी प्रकार से रखना होगा। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये और गोरखपुर विश्वविद्यालय की संबंधित धारा को बदला जाना चाहिये। हो सकता हो आपकी समझ में, मैं विषयान्तर कर रहा होऊं, लेकिन माननीय मंत्री जी को इस संबंध में विचार जरूर करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके लिये जरूर जल्दी ही कोई संशोधन विधेयक लायेंगे।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो यह विधेयक पास करा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह इनविजिलेटर्स और एग्जामिनर्स का सवाल है, ऐसी बात नहीं है और न जैसा कि वे कहते हैं। दो महीने की बात है, यह तो रिजल्ट निकलने तक की बात है । इसमें मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान रजिस्ट्रार और नंबर जोड़ने वाले तथा अन्य की ओर भी दिलाना चाहता हूं जिनका इन एग्जामिनेशन्स से संबंध रहता है । आज आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को देखिये । नतीजा जब निकला तो मालूम हुआ कि लड़का फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया है लेकिन जब मार्क्स शीट आयी तो मालूम हुआ कि थर्ड डिवीजन में पास हुआ है । यह सारी गड़बड़ी कहां होती है ? इसलिये इस बिल का संबंध उनसे भी करना होगा । माननीय मंत्री जी ने जो बिल इस समय रखा है उससे विद्यार्थियों और शिक्षकों में तनाव ही पैदा होगा । जो शिक्षक अपनी बुद्धि के बल पर विद्यार्थियों में अनुशासन पैदा नहीं कर सकता है, वह क्या कर सकता है ? कानून से अनुशासन होने वाला नहीं है । मैं यद्यपि शिक्षक नहीं हूं, फिर भी मुझे अगर किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिये भेज दिया जाय, मैं उनमें अनुशासन कायम कर सकता हूं । जिस अध्यापक को अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं है, जो पार्टी पालिटिक्स में भाग लेता है, जो चोरी से कांग्रेस के मेम्बर बनाता है ऐसे ही अध्यापक कहते हैं कि ऐसा कानून बनाइये । मैं आपके द्वारा इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरह के कानून को हर्गिज पास न होने दे क्योंकि इस तरह के बिल के पास हो जाने से पार्टी पालिटिक्स और भी अधिक होगी ।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, यह बिल जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और जिसको उन्होंने खंडशः पास भी करा लिया है, अब भी सदन इसको पास न करे, तो अच्छा होगा । यह बिल इतना अपूर्ण है कि इससे हमारी कोई भी मंशा पूरी नहीं हो सकती । यह इनविजिलेटर्स और एग्जामिनर्स का ही सवाल नहीं है बल्कि अन्य लोग भी उन परीक्षाओं में भाग लेते हैं, उनसे भी इस कानून का संबंध होना चाहिये । लेकिन उन लोगों को इनमें नहीं रखा गया है । एग्जामिन होने से रिजल्ट निकलने की जितनी भी प्रक्रिया होती है, उसके पूरी होने तक की यह बात है । लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि केवल दो महीने की ही बात है । जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशनों के अध्यापक हैं यदि वह काम करना चाहते हैं तो जैसा कि अभी इस साल समस्या हुई, मंत्री महोदय ने सरकारी कर्मचारी, पुलिस और फौज के लोगों को काम पर इनविजिलेशन के लिए लगा दिया, लेकिन मंत्री जी वह व्यवस्था इसलिये लाये हैं कि पबलिक सर्वेंट कह कर उन की सर्विस को जबरदस्ती लिया जा सके ।

तीसरी बात यह है कि जो व्यवस्था इसमें है केवल एक धारा से अधिकार देने से यह समस्या हल नहीं होती । अगर किसी पर आघात हो, कोई मारा जाय तो उसके लिये कम्पेनसेशन की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिये थी, इस तरह से यह अभी अपूर्ण है और इस तरह से यदि यह पास हो गया तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध न होगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, यू०पी० से यह बिल पास हो रहा है, बहुत एग्जामिनर्स दूसरे सूबों के भी होंगे और अगर उन पर आघात होगा तो जब एग्जामिनर्स को पब्लिक सर्वेंट समझा जायगा तो दूसरे सूबों के लोग इसका पालन कैसे करेंगे ?

*श्री रामायण राय—

इस मासूम बिल के ऊपर मैं ऐसा नहीं समझता था कि ....

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या बिल भी मासूम होता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

श्री काशीनाथ जी, आप बैठें।

श्री रामायणराय—

मुझे आशा नहीं थी कि श्री काशीनाथ जी मिश्र जैसे विद्वान लोग ऐसे समय जब कि एक आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त शिक्षा मंत्री जी ने एक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है उसका भी वह अवसर न रहते हुए भी विरोध करेंगे। प्रश्न यह नहीं है कि अनुशासन के लिये यह कितना आवश्यक है। उधर से कहा जा रहा था कि कानून, के द्वारा लाठी, गोली के द्वारा, विद्या मंदिरों में अनुशासन कायम नहीं रखा जा सकता। हम भी इस का स्वागत नहीं करते, कुछ दोस्तों ने और मंत्री जी ने भी अभी बोलते हुए यह कहा था कि मुझे इस तरह के विधेयक को सदन मे लाते समय कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है, लेकिन वस्तुस्थिति की एक मांग थी। क्या यह सही नहीं है कि आज परीक्षकों पर छात्रों की ओर से हमले होते हैं ? अगर यह सही है तो राज्य सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह उनको सुरक्षा प्रदान करे और मैं समझता हूं कि अपने उसी दायित्व के निर्वहन हेतु माननीय शिक्षा मंत्री जी इस विधेयक को सदन के समक्ष लाए हुए हैं। मैं माननीय काशी नाथ जी को स्मरण दिलाऊंगा कि एक ऐसा समाज, जिसके अगुआ रात दिन इस बात के प्रयत्न में लगे हुए हैं कि विधान सभा जैसी पवित्र संस्था में भी उसके नियमों को तोड़ कर रहेंगे, चलने नहीं देंगे, बार-बार उनकी ओर से उस प्रकार का प्रयास किया जाता है, ऐसे समाज के द्वारा छात्रों के सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है उस आदर्श के रहते अध्यापक बेचारे उनके प्रभाव से विद्यार्थियों को मुक्त कैसे रख सकते हैं ? मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने समय की एक महान् आवश्यकता की पूर्ति की है, माननीय काशीनाथ जी अपने नेता से परामर्श न करें, स्वयं वह एक अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, विश्वविद्यालय से ऊंची से ऊंची विद्या उन्होंने प्राप्त की है। उनका कहना है कि आज आचार्य नरेन्द्र देव जी जैसे कुलपति के दिन नहीं रहे। लेकिन मैं आप से कहूंगा कि आज उनके जैसे विद्यार्थी भी नहीं रहे, आज विद्यार्थियों की ओर से जिस प्रकार का अपने गुरु के प्रति आचरण किया जाता है, उसको देखते हुए ही राज्य सरकार को विवश होकर एक अप्रिय काम करने का निश्चय करना पड़ा है और वह इसलिए, मान्यवर, जैसे कि मैंने प्रारम्भ में ही बताया है कि आज की परिस्थिति का यही तकाजा है। और जगह की बात को जाने दीजिए, आज से कुछ वर्ष पूर्व इसी लखनऊ में मेडिकल कालिज में छात्रों ने एक विद्यार्थी को इन्ट्रोडक्शन में ही गायब कर दिया था। आज तक पता नहीं चला कि वह विद्यार्थी कहां चला गया। माननीय काशीनाथ जी उस विद्यार्थी के अभिभावकों के हृदय से जाकर पूंछे कि यह वातावरण बना कैसे। मैं तो ऐसा समझता हूं कि उधर के बैठने वाले साहब इन विश्वविद्यालयों को अपने राजनीतिक सिद्धान्त के अड्डे बनाये हुए हैं। वास्तव में उन विद्यार्थियों के उद्दंड को रोकने के लिए ही इस बिल को माननीय शिक्षा मंत्री जी लाये हैं। अगर यहां पर बैठने वाले लोग इन बातों का उत्तर नहीं देते हैं तो इसका कतई यह मतलब नहीं है कि आप इस प्रकार के तर्क सदन में प्रस्तुत करें। माननीय काशीनाथ जी कुछ फरमा रहे हैं कि मैं काशी विश्वविद्यालय के यूनियन का सभापति था। यह सही है कि मैं था पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सभापतित्व काल में यह नहीं हुआ कि लड़के और लड़कियों को यौन सम्बन्धी बातों को लेकर अध्यापकों के ऊपर कीचड़ उछाला गया हो। हमारा लक्ष्य यह था कि यह देखा जाय कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कठिनाई के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़े।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होने इस बिल को लाकर समय की आवश्यकता की पूर्ति की है।

*श्री कैलाशप्रकाश—

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस सम्बन्ध में कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं थी परन्तु माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने एक बात उठायी, वैसे तो वह सवाल भी विषयान्तर है क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित है। अतः मैं उसके विषय में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय की आवश्यकता भी नहीं है और मैं माननीय उपाध्यक्ष की मंशा को भी समझ रहा हूं, लेकिन इतना अवश्य निवेदन कर दूं कि इस प्रश्न पर विचार हुआ है और होता रहता है। ऐसा नहीं है कि विचार न हुआ हो। विचार करके निर्णय किसी की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। कभी अगर वे बात करेंगे तो मैं बतला दूंगा, लेकिन यह विधेयक जो लड़के पढ़ रहे हैं, उनके सम्बन्ध में है। जो पढ़ा रहे हैं, उनकी श्रद्धा न हो, उनका तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं यह समझता हूं कि वे स्वयं भी इस की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं। यहां पर अन्य माननीय सदस्यों की ओर से भी इसका स्वागत हुआ है। हमारे साथी माननीय रामायण राय जी ने इसका बहुत ही अच्छे ढंग से स्पष्टीकरण कर दिया है जैसा कि मैं भी नहीं कर सकता था। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको पारित करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५

वित्त उपमंत्री (श्री जयरामवर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इसके सम्बन्ध में अध्यादेश है। इसलिये सबसे पहले तो मंत्री जी को इस अध्यादेश के अननुमोदन का प्रस्ताव लाना चाहिये था। यह विधेयक कैसे आया। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका तो यह कायदा है कि अननुमोदन का प्रस्ताव अपोजीशन की तरफ से आता है और वह पास हो जाता तब यह नहीं आता।

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५, पर विचार किया जाय।

यह एक छोटा सा विधेयक है। उसका दायरा बहुत सीमित है।

इसका सम्बन्ध केवल २ टाउन एरिया कमेटीज से है। बलिया जिले की टाउन एरिया कमेटी रेवती का चुनाव प्रदेश के अन्य स्थानीय निकायों के साथ नवम्बर, १९६४ में हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट इलाहाबाद ने एक याचिका पर इसके कुछ वार्डों के चुनाव का फल घोषित होने से स्थगित कर दिया। इसलिये इस टाउन एरिया कमेटी का समय जो ३१ दिसम्बर, १९६४ को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†३ अगस्त, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री जयराम वर्मा]

समाप्त हो रहा था यह आवश्यक हो गया कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ के अन्तर्गत बढ़ाया जाय और समय ३० जून, १९६५ तक के लिये बढ़ा गया। हाईकोर्ट में इस बात का भी एक प्रार्थना-पत्र दिया गया कि स्थगन आदेश पर जल्दी आदेश हो जाय या वह वापस ले लिया जाय। लेकिन हाई कोर्ट ने उसके सम्बन्ध में कोई और कार्यवाही नहीं की और वह स्थगन आदेश बराबर प्रभावी रहा। इसलिये अब यह आवश्यक हुआ कि इसका समय फिर और बढ़ाया जाय। इसके सिवा सरकार के पास और कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। इसके अतिरिक्त इटावा जिले की जसवन्तनगर टाउन एरिया कमेटी का पहली बार अतिक्रमण जुलाई, १९६३ में हुआ था। १ साल के लिये। फिर यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि अवधि और बढ़ायी जाय और ऐसा कर दिया गया। दो साल की पूर्ति ५ जुलाई, १९६५ को हो गयी। लेकिन सरकार को प्रतीत हुआ कि उसकी स्थिति में और सुधार लाने के लिये आवश्यक है कि उसका समय और बढ़ाया जाय। लेकिन यू० पी० टाउन एरियाज कमेटी अधिनियम, १९१४ की धारा ३६ के उपबन्धों के अधीन किसी टाउन एरिया कमेटी का अतिक्रमण दो वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिये यह जरूरी हुआ कि उसमें संशोधन किया जाय। उस समय विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा था इसलिये टाउन एरिया कमेटी रेवती का कार्य-काल ३१ दिसम्बर, १९६५ तक बढ़ने के लिये और टाउन एरिमा कमेटी, जसवन्तनगर को अतिक्रमण ३१ दिसम्बर तक बढ़ाने के लिये या उसके पहले उसके पुनः संगठन की तारीख तक बढ़ाने के लिये जो भी पहले हो, एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। अब यह विधेयक उसी अध्यादेश को नियमित करने के लिये सदन के सामने लाया गया है और मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसी दृष्टि से इस विधेयक पर विचार करे और अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपूर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक मास के अन्दर देदें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे।) जहां तक इसमें द्वितीय संशोधन का सवाल है उसमें मेरा निवेदन है कि जहां तक काशीनाथ मिश्र जी के टाउन एरिया का सवाल है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उसके बारे में सरकार के हाथ में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जिससे वह उसका एक्सटेंशन करती अथवा जो टाइम नियुक्त था उसके अन्तर्गत निर्वाचन कराती। लेकिन जहां तक इटावा का ताल्लुक है उसके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है और वह यह है कि जहां आप सुपरसीड करते हैं टाउन एरिया को तो सेक्शन ३६ में यह दिया हुआ है कि दो साल से ज्यादा का अतिक्रमण सरकार नहीं कर सकती और इस तरह आप आर्डिनेन्स के जरिये जो पीरियड बढ़ाते हैं उस पीरियड तक आप उस टाइम एरिया के अन्दर रहने वाले लोगों के जो प्रजातांत्रिक अधिकार होते हैं उनका हनन करने जा रहे हैं। साथ ही यह भी प्रतिबन्ध आपने लगा दिया है, "प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण से जो राज्य सरकार के वश के बाहर हो, किसी स्थानीय निकाय का ३१ दिसम्बर, १९६४ के पूर्व सामान्य निर्वाचन करना अथवा उसे पूरा करना या निकाय के पुनःसंगठन को विज्ञापित करना सम्भव न हो तो, राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसे स्थानीय निकाय के सम्बन्ध मे यह धारा उस प्रकार प्रभावी होगी मानो अंक तथा शब्द ३१ दिसम्बर, १९६४ के स्थान पर अंक तथा शब्द, "३० जून १९६५" रख दिये गये हों। तो इसमें यह साफ दिया हुआ है कि राज्य सरकार के बस के बाहर हो तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इटावा के सम्बन्ध में कौन-सी ऐसी बात थी जो आपके बस के बाहर थी जिसकी वजह से आपने निर्वाचन नहीं कराया ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि धारा ३६ के अन्तर्गत पहले आपने एक साल एक्सटेंड किया और फिर दोबारा दो साल एक्सटेंड किये और इस प्रकार सरकार ३, ४ साल मनमाने ढंग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से एक्सटेंड करेगी। जहां देखा कि उसकी मेजारिटी है वहां तो फौरन चुनाव हो जायगा और जहां देखा सरकार की हार है वहां कुछ न कुछ अड़चन लगा कर सुपरसीड कर दिया। इटावा के बारे में उपाध्यक्ष महोदय जानते होंगे, मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

वहां सभी मेम्बर कांग्रेस के थे जब उसे सुपरसीड किया गया।

श्री कमलासिंह यादव--

मालूम होता है कि वहां दो पार्टीज होंगी। उसमें ऐसी अध्यक्ष होगा जो उनकी इच्छानुसार नहीं था। इस तरह की चीज हो सकती है। ऐसे मामलों में आपको अधिकार नहीं है। लेकिन सुपरसेशन के पीरियड को आप अपनी इच्छानुसार एक्सटेंड कर लें तो यह चीज ऐसी नहीं है जिसकी सदन आज्ञा दे। जब तक मंत्री जी इसका एक्सप्लेनेशन स्पष्ट रूप से न दे दें तब तक यह चीज ठीक नहीं होगी। मैं समझता हूं कि जो अधिकारी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से निश्चित समय पर चुनाव नहीं हो सके उसको पनिशमेंट दिया जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इसकी प्रवर समिति में भेजेंगे ताकि सब चीजें इसमें आ जायं।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश में जसवंतनगर टाउन एरिया और रेवती टाउन एरिया का सवाल है। इन दोनों की भिन्न-भिन्न स्थिति है। जसवंतनगर टाउन एरिया में अतिक्रमण किया है और रेवती का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। जहां तक कार्यकाल बढ़ाने का सवाल है उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है क्योंकि वे जनता के चुने हुए हैं। सब चुनाव हो चुका था। अध्यक्ष के चुनाव की गणना हो रही थी कि हाई कोर्ट में रिट दाखिल हो गया। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार जिस तरह कार्य करती है उसकी ओर मैं माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। रेवती टाउन एरिया में जहां हमारी पार्टी का चेयरमैन है, वहां के कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि यह जीत जायगा इसलिये हाई कोर्ट में रिट ले आये। इस तरह के कार्य कांग्रेस पार्टी और सरकार की तरफ से हो रहे हैं। वहां मंडल कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ने रिट दाखिल किया।

एक टाउन एरिया में तो अतिक्रमण का सवाल है और दूसरी में कार्यकाल बढ़ाने का सवाल है। इन दोनों को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखना होगा। अतिक्रमण का पीरियड एक्सटेंड नहीं होना चाहिये। अगर टी०ए० का काम ठीक नहीं समझते हैं तो चुनाव की व्यवस्था कराइये। इस तरह से अध्यादेश लाना ठीक नहीं है। जब किसी टाउन एरिया का या किसी भी संस्था का चाहे वह जिला परिषद् हो या कोई भी हो, जहां चुनाव होता हो और जब चुनाव की प्रतिक्रिया शुरू हो गई हो तो ऐसा होना चाहिये कि किसी तरह से रिट दाखिल न हो सके। एक तरफ तो मुकदमा दाखिल करके चुनाव स्थगित करा देते हैं और दूसरी तरफ सरकार विधान सभा में इस चीज को लाकर जनता के पैसे का अपव्यय करती है। इस तरह की विरोधी बातें, समझता हूं कि सरकार और कांग्रेस पार्टी के जरिये हो रही है। जन धन का अपव्यय हो रहा है अतिक्रमण का मैं विरोध करता हूं और जसवंतनगर का जल्दी से जल्दी चुनाव कराइये।

श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)--

उपाध्यक्ष जी, अभी जैसा कि कमलासिंह जी ने मंत्री जी से प्रश्न किया था कि रेवती टी० ए० के अतिक्रमण का समय क्यों एक्सटेंड किया और जसवंतनगर टी० ए० के चुनाव क्यों स्थगित कराये गये, इसके सम्बन्ध में विशद व्याख्या सदन के समक्ष नहीं की गई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सहदेवसिंह]

सदन को इस बात की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि वह सारे तथ्य सदन के सामने रखे जांय जिनके कारण जसवंतनगर टाउन एरिया का अतिक्रमण हुआ। उस अतिक्रमण के बाद सारे उत्तर प्रदेश में, टाउन एरिया कमेटीज और म्युनिसिपल बोर्डों का चुनाव हुआ। उसमें जसवंतनगर की जनता भी इस बात की आशा कर रही थी जब सारे कस्बों में चुनाव होंगे तो वहां भी चुनाव होंगे, लेकिन वहां चुनाव नहीं हुए। तो यह बताएं कि वह क्या हालात थे जिनके कारण वहां चुनाव नहीं कराये गये? यह कहा गया कि वहां पर कांग्रेसी सदस्य थे। जहाँ-जहाँ कुछ कांग्रेस के कुछ सदस्य थे वहा अपोजिशन पार्टी के भी सदस्य थे। वस्तुस्थिति यह थी कि अध्यक्ष महोदय को काम चलाना मुश्किल हो गया था। अध्यक्ष को कमेटी के लोगों को विश्वास नहीं प्राप्त हो रहा था। ऐसी हालत में सरकार से जोड़ गांठ करके सुपरसीड किया गया। नहीं तो उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता। इटावा में म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष कांग्रेसी है। ३१ मार्च, १९६५ से पहले बजट पास होना चाहिए था, वह पास नहीं हुआ। कमिश्नर साहब को ऐप्रोच किया गया। दो महीने का उन्होंने समय दिया। अप्रैल, मई भी बीत गया। अगस्त आ गया और बजट नहीं पास हुआ। वहां का काम ठप्प है। स्थानीय निकायों में जो कार्य होने चाहिए वह नहीं हो रहे हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है इसलिए सरकार तरफदारी कर रही है। नहीं तो बहुत पहले उसके अतिक्रमण के आदेश हो जाने चाहिए थे। तो एक तो वह हालात बताएं जिनकी वजह से जसवन्तनगर टाउन एरिया कमेटी का अतिक्रमण किया गया और दूसरे जब बाकी शहरों का चुनाव हुआ तो जसवन्तनगर टाउन एरिया का चुनाव क्यों नहीं हुआ। तीसरे इटावा, म्युनिसिपल बोर्ड, जहां पर बजट भी पास नहीं हुआ, उसका अतिक्रमण क्यों नहीं किया गया? क्या इस वजह से नहीं किया गया कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हैं? ८० हजार आबादी का एक शहर है वहां स्थानीय लोक जीवन, सफाई और निर्माण कार्य का कोई प्रबन्ध नहीं है। मैं इस वक्तव्य के साथ उस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, यह तो सरकार का अल्पकालिक संशोधन अधिनियम बनाकर शासन चलाने का तरीका है इससे प्रजातन्त्रीय शासन नहीं चल सकता। अगर आप देखें तो १९६३ से १९६४ तक कई बार संशोधन लाकर चुनाव खिसकाये गये, कभी छः महीने के लिए, कभी आठ महीने के लिए। मार्च, १९६५ में जो अल्पकालिक संशोधन विधेयक लाया गया था वह केवल ३१ मार्च के लिए था। माननीय कमलासिंह ने उसमें संशोधन देकर उसको ३० जून करवा दिया था। लेकिन २० जून तक भी पूरा नहीं हो सका। आप देखिए तो किस प्रकार की लचर दलील दी जाती है कि इन इन कारणों से हमको यह आवश्यक हो गया। वैसे तो जैसा श्री कमलासिंह जी ने कहा कि पहला कारण हाई कोर्ट वाला था। हाईकोर्ट के विषय में भी देखें तो रिट दायर करने वाले कौन हैं, एक दल विशेष के लोग हैं। यह इन लोगों ने इसलिये किया है जिससे कि दूसरे दल के लोग वहां न आ सकें। यदि हाई कोर्ट वाली बात के कारण इसे छोड़ दें तो जसवन्तनगर वाली में क्या बात है? यदि आपने उसे भंग कर दिया था तो आप अब तक इतने समय में उसका दुबारा चुनाव भी करा सकते थे, किन्तु आपने अपने स्वार्थ के वश होकर ऐसा नहीं होने दिया और वह टाउन एरिया सुपरसीडेड ही पड़ी रही। और वहां भी आपने अल्पकालिक व्यवस्था कर दी और उसके बाद भी जो यह संशोधन रखा गया है, उसमें भी उसे आगे मूल अधिनियम कहने की बात कही गयी है। श्रीमन् यह जो भावना है कि जहां पर सरकारी पार्टी का निकायों में प्रभुत्व है वहां पर चुनाव न कराये जायें और जहां पर गैर-सरकारी लोगों का असर है वहां पर किसी बहाने से उसे भंग कर वहां पर अल्पकालिक व्यवस्था कर दी जाय, यह बहुत ही अनुचित है, और प्रजातन्त्र की भावना के सर्वथा विपरीत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं तो श्रीमन्, यह भी कहूंगा, हमारे सामने एक फैजाबाद म्युनिसिपैलिटी है, उस पर भी विरोधी दल यानी जनसंघ के लोग आ सकते हैं, इसलिये वह सुपरसीडेड है। इस कारण हो सकता है कि आगे उसके लिये भी तृतीय संशोधन लाने की जरूरत पड़ जाये। तो हमारी और हमारी सरकार की जो यह भावना है वह बहुत गलत है। हर एक पार्टी के साथ न्याय होना चाहिये। उसे अवसर मिलना चाहिये और समय पर चुनाव होने चाहिये। अभी इसी सरकार ने जब नगरमहापालिकाओं के चुनाव का समय आ गया और उनमें जनसंघ की सफलता की काफी आशा हो गयी तो सरकार ने उसके चुनाव आगे के लिये टाल दिये। चुनाव की तिथि निश्चित हो गयी, मंत्री जी से बार-बार पूछा गया तो बराबर यह उत्तर मिला कि चुनाव समय पर होंगे किन्तु विरोधी लोग न आ पायें, इस आशंका से आखिरी समय में चुनाव स्थगित कर दिये गये। तो यह एक ऐसी बात है जब हम चुनाव जीत सकें, हमारी पार्टी के आपसी झगड़े दूर हो सकें, और ऐसी स्थिति आ जाये कि हम जनता को ज्यादा प्रभावित कर सकें तो चुनाव हों, यह भावना बहुत ही अनुचित है। देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, सरकार का ऐसा व्यवहार होना चाहिये कि देश की सारी जनता को विश्वास हो कि जिस समय की घोषणा होती है, उस समय पर कार्य होता है। तो यह जो भावनायें हैं उनका मैं विरोध करता हूं। श्रीमन्, वैसे मंत्री जी कहेंगे क्या करें, हाईकोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में यदि सरकार और उनके दल के लोग चाहते तो हाईकोर्ट में यह केस न होता। तो यह जो दल विशेष के लोगों का पक्ष करने के लिये इस तरह के बिल लाये जाते हैं वह बहुत गलत है। यह अल्पकालिक व्यवस्था तो संकटकालीन स्थिति के कारण ही बनाई गयी है, साधारण अवस्था के लिये नहीं।

*श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित विधेयक का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में जो दोनों ओर से दलीलें दी गयी हैं, मुझे उनको सुनने का अवसर मिला है। सामान्यत: यह बहुत छोटा-सा प्रस्ताव है और इसमें हस्तक्षेप करने की मेरी कोई मंशा नहीं हुई। लेकिन मेरे एक मित्र ने विवाद के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें कहीं, जिसको नहीं कहना चाहिये था और जिनके कारण मैं बाध्य हो गया उनका प्रतिवाद करने के लिये। जसवन्तनगर, टाउन एरिया कमेटी को लेकर एक बात कही गयी और इटावा पर आकर वह उतार दी गयी। मैं उन माननीय मित्र का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनका जो रवैया है कि वह समय, असमय जब भी उनको मौका मिलता है कांग्रेस और उसके कुछ खास व्यक्तियों पर ही आक्षेप किया करते हैं। जसवन्तनगर की स्थिति यह है जब वहां का शासन अनेक प्रयत्नों के बावजूद नहीं चल सका, वहां के डी० एम० ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया जिलाधीश और एस० डी० एम० ने कि वहां सुधार हो जाय, लेकिन वह नहीं हुआ तो उसकी दशा को पूर्णरूप से सुधारने के लिये उसको सुपरसीड कर दिया गया। मैं यह पूछता हूं कि आप भी तो एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं जैसे हम हैं तो क्या आपका दायित्व इसके लिये नहीं है ?

श्री सहदेवसिंह--

चुनाव क्यों नहीं कराते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

चुनाव तो समय पर हो ही जायगा, लेकिन चुनाव यदि दो-चार महीने टल जाते हैं तो क्या गजब हो जायगा ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरे मित्र को एक बोरा सीमेंट जब नहीं मिल पाता तो क्या गजब हो जाता है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

काशीनाथ जी । उनको बोलने दीजिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मेरे दोस्त पालीवाल जी क्यों नहीं अपनी सरकार को सचेत करते कि जरा होश से काम करे ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

आपको जब सीमेंट एक बोरी नहीं मिलता तो क्यों शोर मचाते फिरते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह ठीक नहीं है, उनको बोलने दीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी बात का नोटिस ले रहे हैं । मेरी बात जरा उन्हें बुरी लगती है इसलिये वे टोंक रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपनी बात कहिये, उनको छोड़िये ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

श्रीमन्, मैं अपनी बात ही तो कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे माननीय दोस्त मुझे अपनी बात कहां कहने देते हैं । खैर यह बात जो जसवन्तनगर की मैंने कही थी, अब इटावा की बात खामखा छेड़ दी गयी । इटावा में, जो वस्तुस्थिति है उससे सभी परिचित हैं । हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने वहां की चुंगी का ऐसा दूषित वातावरण बना दिया है सत्ता प्राप्त करने की भावना से, इतना तोड़ मरोड़ किया है, इतना पार्टीबाजी का रद्दा लगाया है कि आज दुर्भाग्य से वह चुंगी अपना बजट तक नहीं पास कर सकी, लेकिन मैं अपने माननीय मित्रों से जानना चाहता हूं कि इस स्थिति का दायित्व किस पर है ? क्या इसका दायित्व उन पर नहीं है ? वह ठंडे दिल से सोचें कि उनके साथी वहां क्या कर रहे हैं ? इटावा चुंगी की बेहबूदी के लिये जो काम होने चाहिये उनमें उनके साथियों का क्या कंट्रीब्यूशन है ? वह प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन है । हमारी सरकार बहुत सी चीजें नहीं कर पाती । वह तो नगरपालिका है, बड़ी-बड़ी संस्थायें भी अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पातीं । तो इसमें उसका अधिक दोष नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह पास होगा ।

*श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

अभी माननीय पालीवाल जी ने कहा कि वहां का शासन ठीक से नहीं चल रहा था । इसलिये उसे सुपरसीड कर दिया गया, लेकिन सुपरसेशन तो कोई हल नहीं हुआ । अगर नहीं चलता तो फिर से चुनाव करवा लिया जाय, लेकिन माननीय मंत्री जी का ही जिला फैजाबाद है वहां की नगरपालिका सुपरसीडेड है । क्यों नहीं चुनाव कराना चाहते हैं ? रेवतीगंज की टाउन एरिया के खिलाफ तो रिट है, लेकिन फैजाबाद में सब म्यूनिसिपैलिटियों के चुनाव हो जाने के बाद भी क्यों नहीं चुनाव हुआ ? जौनपुर में भी सुपरसेशन चल रहा है । तो इस सरकार का तो यह रवैया है कि जहां सूट उनकी पार्टी को नहीं करता है, जहां समझते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, वहां के लिये तमाशा बना रखते हैं और सुपरसीड कर देते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

किसी टाउन एरिया या नगरपालिका के सुपरसेशन से किसी की प्रसन्नता नहीं होती, लेकिन वह तो उस स्थान के लोगों की अकर्मण्यता का परिचायक होता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

पालीवाल जी, तिवारी जी को बोलने दीजिये, आप बोल चुके ।

श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट--

यह तो सिर्फ एक बहाना आर्डिनेंस का ले लिया जाता है । जहां समझते हैं कि हम विजयी नहीं होंगे वहां यह सब तमाशा करते हैं । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं और जो प्रस्ताव रखा गया है उसका स्वागत करता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी से केवल यह जवाब दिलवा दें कि जो जसवन्तनगर का टाउन एरिया है, उसका दोबारा पीरियड एक्सटेंड किया गया तो उसका कारण क्या है । तब उसके बाद मैं अपना जवाब दूंगा । ऐसी क्या दिक्कत आगई जो सरकार के कंट्रोल के बाहर थी ?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमान् जी, पहली बात तो यह है कि जिन बातों की तरफ संकेत किया गया, उनका संबंध धारा ३ से है । जसवन्तनगर का यह मामला एक नई धारा को बढ़ाकर लाया गया है । धारा ३ से धारा ५ का संबंध में नहीं है । धारा ५ बिलकुल स्वतन्त्र धारा है और जिन कारणों से उसको एक्सटेंड किया गया है वह इससे भिन्न हैं । जहां तक कठिनाई का संबंध है उस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि कारण यह थे कि उसकी स्थिति को ठीक करने के लिये और उसमें सुधार करने केलिये जितना समय जरूरी था वह कम पड़ गया । ५ जुलाई के पहले वह नहीं हो पाया । जिस उद्देश्य को लेकर वह काम किया गया था अगर वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो फिर आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिये कुछ समय और लिया जाय । जिला-मैजिस्ट्रेट ने इस बात की रिपोर्ट की कि इसमें कुछ सुधार हुये हैं, लेकिन कुछ और सुधार होने के लिये यह जरूरी है कि इसके अतिक्रमण का समय कुछ और बढ़ाया जाय ।

दूसरी बात यह थी कि टाउन एरिया में एक सुधार यह रहा है कि वहां पर २ लाख ८४ हजार रुपये की लागत से एक जलकल योजना चल रही है । वह योजना अभी पूरी नहीं हुई है । तो इसके लिये भी यह जरूरी समझा गया कि जल वितरण की योजना पूरी हो जाय और सुचारु-रूप से वह लागू हो जाय तब इसका चुनाव कराया जाय तो अच्छा होगा.....

श्री कमलासिंह यादव--

मैं यह पूछना चाहता हूं और वे मेरा जवाब दें । इसमें यह दिया हुआ है कि राज्य सरकार के बस के बाहर हो तब पीरियड बढ़ाया जा सकता है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार के बस के बाहर कौन सी बात थी जिसकी वजह से सुपरसेशन का पीरियड बढ़ाया गया ?

श्री जयराम वर्मा--

मैं पहले यह निवेदन कर रहा था शायद कमलासिंह जी ने ध्यान नहीं दिया कि जसवन्त-नगर का मामला धारा ३ में नहीं रखा गया है । धारा ५ में रखा गया है । धारा ५ में वह

[श्री जयराम वर्मा]

बात नहीं है कि वह काम जब सरकार की शक्ति के बाहर हो तब वह उसमें रखा जाय। धारा ५ नई धारा बढ़ाई गई है। जसवन्तनगर के मामले को इसके अन्दर लाने के लिये यह बढ़ाई गई। क्या दिक्कत थी वह मैंने बतला दी जिसकी वजह से यह उचित समझा गया कि उसका अतिक्रमण कुछ दिन के लिये और बढ़ा दिया जाय। ५ जुलाई को समय समाप्त हो रहा था। चुनाव की व्यवस्था करने के लिये कम से कम २ महीने की जरूरत पड़ती है तो उतना समय भी चाहिये। अगर दो महीने पहले से इन्तजाम न हो तो वह नहीं हो सकता था। उसका पहले से अगर इन्तजाम न हो तो चुनाव होना सम्भव नहीं है। चूंकि चुनाव होना सम्भव नहीं था और जिस उद्देश्य के लिये वह काम किया गया था उसकी पूर्ति नहीं हुई है, उसको पूरा करना जरूरी था, जो विकास का काम चालू किया गया है वह पूरा हो जाय, नहीं तो २ लाख ८४ हजार रुपये की जो जलकल योजना है, वह भी खटाई में पड़ जायगी। यह भी ठीक नहीं होगा। उस टाउन एरिया का कल्याण हो जाय, इन चीजों को सामने रखते हुए यह किया गया कि ३१ दिसम्बर, ६५ तक या उसके पहले जब तक कि टाउन एरिया का पुनर्गठन न हो जाय, टाउन एरिया सुपरसीड रहेगी। आगे चल कर चुनाव हो जायगा जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आयेंगे और जब वहां का इन्तजाम उनके हाथों में होगा तो जलकल योजना का संचालन भी सुचारु रूप से हो चुका होगा और वे अपनी टाउन एरिया का संचालन भी ठीक से कर सकेंगे। इसी दृष्टि से इसके सुपरसेशन का समय बढ़ाया गया है।

*श्री कमलासिंह यादव----

श्रीमन्, मुझे माननीय मंत्री जी की बातों को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं समझता था कि जो वित्त मंत्री के साथ रहता है उससे कम से कम ऐसा आर्गुमेंट सुनने को मिलेगा जिससे हम संतुष्ट हो सकेंगे। विधेयक के अन्दर खासतौर से दिया गया है कि जब राज्य सरकार के बस के बाहर की कोई बात हो तब ही अतिक्रमण का समय बढ़ाया जाय, लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता कि जहां तक सुधार की बात है, या कंस्ट्रक्शन की बात है वह तो निर्वाचन काल के बाद भी तो टाउन एरिया कमेटी बनती, वह वहां कंस्ट्रक्शन करवाती और वहां सुधार करती और जो चाहती वह करती। माननीय मंत्री जी से यह भी मालूम हुआ कि वह कांग्रेसी सदस्यों की मेजारिटी थी, तो ऐसी हालत में जब कि कांग्रेसी सदस्यों की मेजारिटी हो और साथ ही आपकी सरकार भी हो तो फिर क्या वजह है जिसकी वजह से सुपरसेशन पीरियड को बढ़ाया गया? मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मुझे माननीय रक्षपाल सिंह की बातों को सुनकर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना आपकी बातों को सुनकर। अगर इस तरह की मनोवृत्ति बढ़ती गयी तो फिर आगे कैसे काम चल सकेगा। चुनाव इसलिये किया जाता है कि यह राइट आफ सिटिजनशिप है। टाउन एरिया के अन्तर्गत रहने वालों को इस बात का अधिकार है कि वे अपनी टाउन एरिया कमेटी बनावें, यह पब्लिक राइट है, लेकिन आज आप उनके हाथ से टाउन एरिया को लेकर अपने आफिसरों के जरिये उस काम को कराना चाहते हैं जो कि मैं समझता हूं कि उनका विशेषाधिकार है। वह इसलिये कि टाउन एरिया के सदस्य जो कि निर्वाचित होते हैं एक तरह से यह उनके अधिकारों का हनन करना है और उनके अधिकारों को छीनना है। इसलिये आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भविष्य में कोई ऐसी बात न करें जिससे सुपरसेशन का पीरियड इस तरह से बढ़ाया जाय।

ये कुछ मोटी-मोटी बातें हैं। पिछली बार जब यह विधेयक अमेंडमेंट के रूप में आया था तो उसमें मार्च या अप्रैल रखा गया था, जब भी मैंने यह संशोधन पेश किया था कि जून रख दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बात का पूरा खयाल रखना चाहिये कि जब भी वह चाहे पीरियड बढ़ाने की बात को लेकर एक विधेयक टेबिल पर रख दे तो यह कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत अच्छी बात नहीं होगी और बहुत जरूरी भी न होगी। क्योंकि इस तरह से सिर्फ पीरियड बढ़ान की बात को लेकर कोई विधेयक टेबिल पर रख दिया जाता है तो जो इम्पार्टेंट बिल होते हैं उनका तो नम्बर आता नहीं है क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और प्रिफरेंस ऐसे विधेयक को मिल जाता है। बहुत से इम्पार्टेंट विधेयक बचे रह जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ऐसे अधिकारीगण जो कि ठीक समय से कारगुजारी नहीं करते, उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही भी करना चाहिये ताकि इन चीजों का रिपीटीशन न हो। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे।

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, बहुत कुछ जवाब तो मैं दे चुका। जहां तक जसवन्तनगर का सवाल है मैं उसकी सफाई कर दूंगा। माननीय कमलासिंह जी धारा ३ और धारा ५ को जोड़ रहे हैं। धारा ३ में यह है कि कमेटी का पुनः संगठन सरकार की शक्ति के बाहर हो तब वह कार्यकाल किसी कमेटी का बढ़ायेगी। तो चुनाव करना संभव नहीं हुआ। तो यह दफा ३ का सवाल है। इसमें अतिक्रमण का सवाल नहीं है। अतिक्रमण का सवाल नयी धारा ५ को बढ़ा कर लाया गया है। धारा ३ को ५ से वह जोड़ते हैं, लेकिन उसका उससे कोई सबंध नहीं है। जो कारण धारा ३ में दिये गये हैं उनकी आवश्यकता धारा ५ में नहीं है। इस विधेयक और अधिनियम को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए तो यह भ्रम नहीं रहेगा।

पिछली बार जो समय बढ़ाया गया था जिसके लिये कमलासिंह जी के कहने के अनुसार उनका ही संशोधन माना गया था। उस समय केवल रेवती का प्रश्न था। अतिक्रमण की अवधि बढ़ाना उस वक्त सरकार के हाथ में था और सरकार उसका समय ५ जुलाई तक बढ़ा चुकी थी। वह समय बढ़ चुका था इसलिये उस पिछले संशोधन विधेयक से जसवन्तनगर का कोई संबंध नहीं था। इस संशोधन विधेयक को उसके लिये लाया गया है और एक नयी धारा जोड़ कर अतिक्रमण का समय बढ़ाया गया है क्योंकि पुराने ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार के पास ऐसा अधिकार नहीं था कि वह अधिक समय बढ़ा सकती। इसीलिये यह विधेयक लाया गया है।

जहां तक रेवती टाउन एरिया कमेटी का सवाल है श्रीमन्, मैं इसे अच्छी तरह से निवेदन कर चुका हूं कि वह भी सरकार की शक्ति के बाहर था। जब एक याचिका के आधार पर हाई-कोर्ट इलाहाबाद ने वहां एक रोक लगा दी तो सरकार ने इस बात की भी कोशिश की और एक अलग से प्रार्थना-पत्र दिया कि उसमें जल्दी की जाय इसलिये कि हम समय बढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन.....

श्री कमलासिंह यादव--

कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिटीशन था।

श्री जयराम वर्मा--

वह ही इस अधिकार से वंचित क्यों हों? अगर सब के अधिकार समान हैं तो उसे भी पिटीशन करने का अधिकार है। इसलिये दोनों मामलों में समय बढ़ाना आवश्यक था और चूंकि उस समय विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा था इसलिये वह अध्यादेश पुरःप्रख्यापित किया गया। अब उसकी जगह पर यह विधेयक लाना जरूरी है और इसलिये यह आपकी मंजूरी के लिये लाया गया है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह इसी दृष्टि से कि किसी तरह से भी काम चलने वाला नहीं था, विचार करके उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ तथा ४

उ०प्र० अधिनियम संख्या २२,१९३३ की धारा ३ का संशोधन।

२---उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, अंक और शब्द "३० जून, १९६५" के स्थान पर अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, १९६५" रख दिए जायें।

नयी धारा का बढ़ाया जाना।

३---मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा ५ बढ़ा दी जाय :---

टाउन एरिया कमेटी के अतिक्रमण की अवधि को अस्थायी रूप से बढ़ाना। यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४।

"५ जसवंतनगर टाउन एरिया कमेटी के अतिक्रमण की अवधि इस टाउन एरिया कमेटी के पुनः संघटन के दिनांक तक बढ़ी रहेगी, किन्तु ३१ दिसम्बर, १९६५ के बाद नहीं, और इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि का वही प्रभाव होगा जो यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ३६ की उपधारा (१) के अधीन दिए गए आदेश का होता।"

निरसन और अपवाद उ० प्र० अध्यादेश संख्या ४, १९६५।

४---(१) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९६५ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम २८ जून, १९६५ को प्रारम्भ हुआ हो।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और ४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ को और संशोधित करने के लिए---

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

संक्षिप्त शीर्षनाम

१---यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५, पारित किया जाय।

श्री उग्रसेन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और वह किन तथ्यों पर आधारित है उस ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह सही है कि एक राजनीतिक दल के हाथ में शासन है, मगर जहां तक जनतंत्र का सवाल है सब काम बहुत बुरे हुए। वे काम समय पर होते हैं जबकि संसद और विधान सभा के चुनाव होते हैं। वे तो समय से अब तक हुए हैं, आगे हों या न हों। उसमें तो दस्तन्दाजी संसद ने भी नहीं की जहां उनको हक रहता है इलेक्शन कमीशन में, मगर जहांतक हमारी सरकार का मामला है तो महापालिका या जिला परिषद् या छोटे-छोटे टाउन एरियाज और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, नगरपालिकाएं हैं वहां सरकार हमेशा अपनी मर्जी से चुनाव कराती है। जब देखती हैं कि हम जीत रहे हैं तो चुनाव कराती है वरना नहीं कराती। रेवती टाउन एरिया में हमारे दल के लोग हैं। वहां के चुनाव न होने पर जब एतराज किया गया तो कहते हैं कि आप ही तो राज्य करेंगे तो उसमें क्या एतराज है? लेकिन हमारा तो सिद्धांततः एतराज है कि जिस निकाय और टाउन एरिया के चुनाव का समय आये तो चुनाव कराये जायं। मगर दूसरे प्रकार से रिट कराकर के कार्यकाल बढ़ाया जाता है। गांव सभाओं के चुनाव हो जाने चाहिए थे। मैं कहता हूं कि गांव पंचायतों के चुनाव नहीं कराने जा रहे हैं। वह जब सन् १९६७ में देख लेंगे कि हम आ गये तब कराये जायेंगे। अगर गांव सभा के चुनाव हो जायं तो सरकार समझती है कि जो नीचे की इकाई है वह पलट जायगी। मंत्रिगणों ने तो इस तीन महीने के दौरान में जनतंत्र पर बड़े-बड़े भाष्य और भाषण किये हैं, कम से कम इस चुनाव प्रक्रिया को नहीं तोड़ना चाहिए। असल में संविधान और विधान की चेरी यह सरकार नहीं है बल्कि वह संविधान और कानून को अपना नौकर समझती है। यह हिटलर के कानूनों के अनुसार चलना जानते हैं। यह दो टाउन एरिया के चुनाव का सवाल नहीं है, बल्कि सिद्धांत का सवाल है और सोशलिस्ट पार्टी सिद्धांत पर विरोध करना चाहती है और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। यों तो इसको आप पास करा लेंगे, संख्यासुर का बल है, लेकिन इसका कम से कम इस्तेमाल करें।

जनतंत्र का जहां तक सम्बन्ध है उसमें दोनों ओर से योगदान हो तभी वह सफल हो सकता है। मैं आपको बतलाऊं कि हाउस आफ कामंस में रोज १२ महीने में ९ महीने बैठक होती है। जब पंत जी का राज्य था तो साल में ७ महीने होती थी। संपूर्णानन्द जी के जमाने में साल में ६ महीने होती थी। माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी के जमाने में जो कि बड़ी जालिमाना सरकार कही जाती है उसमें भी ४ महीने बैठक होती थीं और माननीया प्रातःस्मरणीया के जमाने में मुश्किल से दो महीने होती है। अभी ३-४ दिन में असेम्बली बन्द हो जायगी, तब कामराज क बुलाने पर दौड़ पड़ेंगी। क्योंकि वहां भी ठीक-ठाक करना होता है। तो असेम्बली होती नहीं है। कम से कम पच्चीसों बार हाउस आफ कामंस में प्रस्ताव आया। विरोधी दल के नेता हीथ साहब जो अभी आये हैं वह उछल पड़े। जब वह उछले तो सत्तारूढ़ पार्टी भी उछल पड़ी। यहां अगर वैसा करते हैं तो कह दिया जाता है कि गुन्डागर्दी करते हैं। दो तरह की सभ्यता श्रीमन् हैं, एक पूंजीवादी सभ्यता तथा दूसरी सर्वहारा सभ्यता। हम सर्वहारा सभ्यता को अपनाते हैं तो बदनाम कर दिये जाते हैं। (व्यवधान) अगर हिन्दुस्तान में जनतंत्र को कायम रखना है तो यहां के मंत्रियों को चाहिये कि वे हाउस आफ कामन्स की कार्यवाही को पढ़ा करें। वहां से हमें कुछ सबक सीखना चाहिये। यहां एक प्रीविलेज का सवाल उठा, कितनी ही यहां पर उस पर टिप्पणी की गयी, कितनी ही बहस हुई, २८ जजों का मामला पेश था, उसकी रिपोर्ट अखबारों में तो छप गयी, मगर हमें तभी तक नहीं मिली। हमारे पास चिट्ठियां आ रही हैं कि आपको तो रिपोर्ट मिली होगी उसकी कापी हमें भेज दीजये। मैंने जवाब दे दिया कि हम

[श्री उग्रसेन]

वह एम०एल०ए० नहीं जो हमको रिपोर्ट मिले। तो यह है आपका जनतंत्र। सारी खबर अखबारों में छप गयी, सब अंग्रेजी में लिखी गयी, एक प्रति हिन्दी में छाप दी। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं।

श्री जयराम शर्मा--

श्रीमान् जी, माननीय उग्रसेन जी ने सिर्फ रेवती टाऊन एरिया की बात कही कि उसका कार्यकाल क्यों बढ़ा दिया गया। वहां का काम तो चुनी हुए कमेटी कर रही है। क्या जनतंत्र तब कायम रहता जब वह कमेटी समाप्त कर दी जाती। हाईकोर्ट के सामने मामला पेश है। उसने अभी फैसला दिया नहीं है। अगर इसके समय को न बढ़ाते तो क्या फल होता? टाऊन एरिया कमेटी समाप्त हो जाती। उसका इन्तजाम फिर सरकार के हाथों में आ जाता। क्या वह जनतंत्र के अनुसार होता?

श्री कमलासिंह यादव--

उनका कहना है कि कानून आपकी चेरी नहीं होनी चाहिये।

श्री जयराम शर्मा--

चेरी कहां है? हम तो कानून के मुताबिक ही काम करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बिल को पास करें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ पर नियुक्त प्रवर समिति के मनोनीत सभापति के नाम की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष--

एक तो मुझे यह सूचना देनी है कि नियम २०२(१) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष ने श्री फूलसिंह जी को उत्तर प्रदेश पशु परिरक्षण एवं संरक्षण विधेयक, १९६५ से सम्बन्धित प्रवर समिति का सभापति नियुक्त किया है।

श्री खेमचन्द के रिपब्लिकन पार्टी से निष्कासन के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरी यह एक चिट्ठी है मौलाना हलीमुद्दीन राहत मौलाई की--वह यह है कि मुझे आपको सूचित करना है कि कि रिपब्लिकन पार्टी आफ इन्डिया की उत्तर प्रदेश शाखा के वार्षिक अधिवेशन में कुछ शिकायत की बिना पर श्री खेमचन्द, एम०एल०ए० को रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यता से ६ साल के लिये निकाल दिया गया है। अब वे रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
५ अगस्त, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२५ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६५ के पहले गुरुवार के प्रश्न संख्या १ के उत्तर में उल्लिखित उद्योगों का विवरण

क्रमांक	उद्योग का नाम	क्रमांक	उद्योग का नाम
१	चर्मशोधन	१०	ताड़ वस्तु
२	ग्रामीण तेल घानी	११	होजरी
३	कलाथ तेल एवं साबुन	१२	बढ़ईगिरी
४	दरी व निवार	१३	कुम्हारगिरी
५	चर्म उद्योग	१४	हस्तनिर्मित कागज
६	लोहारगिरी तथा फिटर का काम	१५	गुड़ एवं खांडसारी
७	सिलाई	१६	वैल्डिग बिजली द्वारा
८	हस्तकरघा	१७	हाथ धान कुटाई
९	खिलौना निर्माण		
			योग.. १७ प्रकार के उद्योग

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३२ पर)

ब्लाक का नाम	बनाये गये कुंए १९६२–६३–६४			पूरे किये गये कुंए १९६२–६३–६४			अधूरे कुंए १९६२–६३–६४		
१—बड़ागांव ..	९	१२	१५	८	७	७	१	५	८
२—बबीना ..	६	४	६	६	२	१	—	२	५
३—तालबेहट ..	१२	७	७	८	४	१	४	३	६
४—जखौरा ..	३	११	१०	३	५	१	—	६	९
५—बिरिया ..	४	१२	२७	४	६	१०	—	६	१७
६—वार ..	७	९	२	६	५	४	१	४	२
७—महरौनी ..	५	८	२	२	६	—	३	२	२
८—मड़ावरा ..	१०	३	१७	१०	२	३	—	१	१४
९—बारा ..	८	१८	२१	८	११	४	—	७	१७
१०—मऊरानीपुर ..	४	१९	२२	४	१७	१४	—	२	८
११—गुरसराय ..	४	१९	१३	३	१४	६	१	५	७
१२—बामौर ..	५	९	१७	४	५	९	१	४	८
१३—मोठ	३	२५	१०	३	१४	६	—	११	४
१४—चिरगांव ..	४	—	१४	४	—	४	—	—	१०
	८४	१५६	१८३	७३	९८	६६	११	५८	११७

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३४ पर)

झांसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए पुलिस कर्मचारियों के संबंध में विवरण

नाम	गिरफ्तारी की तिथि	धारा
१—कां० ४८५ सी०पी० मधु सूदन शर्मा	१–१२–६४	३९५/३९७ भा० दं० विधान
२—कां० ११७ ए०पी० भानुप्रतापसिंह	१–१२–६४	,,
३—कां० ६७६ सी०पी० नाथू राम	१–१२–६४	,,
४—कां० ३१८ सी०पी० राम किशन	१४–१२–६४ (आत्म समर्पण)	,,
५—कां० ३७९ ए०पी० राम सनेही	८–१२–६४	,,
६—कां० ११२ ए०पी० बादाम सिंह	४–१२–६४	,,
७—कां० ८६३ सी०पी० जयराम कटियार	८–१२–६४	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३५ पर)

१९६३–६४ तथा १९६४–६५ में देवरिया जिले में भटनी, भाटपाररानी, बनकटा तथा सलेमपुर विकास खण्डों में बने हुए तथा बनाए जाने वाले राजकीय नलकूपों की सूची

ब्लाक का नाम		गांव का नाम
भटनी	१	बहोरवा
	२	जिगना मिश्र
	३	नुनखार मुकुन्दी
	४	बेलवा बाबू
	५	मझगांवा
	६	सुल्लालपुर
	७	डिमसा
	८	घाटी
	९	जगन्नाथ छपरा
	१०	खिरिया
	११	भटनी खास
भाटपाररानी	१	मिगारी
बनकटा	१	बनजरिया
	२	सिरसिया
	३	बसहा बुजुर्ग
	४	लक्ष्मन चौक
	५	फुलवरिया किशन राय टोला
	६	खखसिया दक्षिण
	७	भटमलिया
	८	छपवा कलां
	९	पिपरा पछेल उत्तर पट्टी
	१०	अहरोल बघेल
	११	परसिया छितनी सिंह
सलेमपुर	१	बरसोपार
	२	किश्न महुआ
	३	सिसवा दिक्षित
	४	बछौर
	५	परसिया भंडारी
	६	सोनौला
	७	धनगड़ा
	८	अतूकौला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३५ पर)

परिशिष्ट "क"

कंकर चूना उद्योग, आरा मशीन उद्योग, साबुन उद्योग, हड्डी की खाद का उद्योग, सींग की कंघी का उद्योग, लेन्सपावरिंग उद्योग, चमड़े क जूते और अटैची का उद्योग, सिलाई मशीन के पुर्जे का उद्योग , मोटर टायर ट्यूब की मरम्मत का उद्योग, जनरल इन्जीनियरिंग उद्योग, एलक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, सायकिल व रिक्शा की मरम्मत का उद्योग, मोटर रिपेयर स्पेयर पार्ट उद्योग, पीतल के बर्तन का उद्योग, बिस्कुट उद्योग, कटलरी उद्योग, ज्योमित के सामान का उद्योग, चलनी का उद्योग, ढलाई उद्योग, बाल्टी उद्योग, बरफ उद्योग, तागे की रील का उद्योग, फिनाइल उद्योग, लकड़ी के खिलौनों का उद्योग, छर्रा स्प्रिंग्स तथा एयरगन का उद्योग, नटबोल्ट का उद्योग, दरी निवाड़ उद्योग, चाक तथा स्याही उद्योग, बूट पालिस उद्योग, चांदी के तार का उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग, पी० आर० टाइप लैट्रिन उद्योग, तांबे की जाली व तार उद्योग, सेनेटरी सामान उद्योग, टेलरिंग, बढईगिरी, तेलघानी उद्योग, फरनीचर एवं लकड़ी के काम का उद्योग, बाटल इंक उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग, लोहारगिरी, रस्सीबान उद्योग, बेंत के काम का उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, बुक बाईंडिंग उद्योग और हेयर आयल उद्योग ।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३६ पर)

क्रम-सं०	जिलों के नाम	डकैती	कत्ल	१९६४ भाग लेने वाले छात्रों की सं०	क्रम-सं०	जिलों के नाम	डकैती	कत्ल	१९६५ (३०-६-६५ तक) भाग लेने वाले छात्रों की सं०
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१-वाराणसी		१	..	५	१-मेरठ		..	१	५
२-मेरठ		१	२	१९	२-बुलन्दशहर		१	..	१
३-सुल्तानपुर		१	..	१२	३-मुजफ्फरनगर		..	३	१३
४-खीरी		..	१	१	४-सहारनपुर		..	२	३
५-हमीरपुर		..	२	४	५-देहरादून		..	१	१
६-बरेली		..	१	१	६-वाराणसी		१	..	७
७-मुजफ्फरनगर		..	१	१	७-आजमगढ़		१	..	१
८-जौनपुर		..	२	२	८-बाराबंकी		१	..	लगभग ३००-४०० छात्र ।
९-आजमगढ़		१	..	१५					
१०-बाराबंकी		१	..	२					
११-फतेहपुर		१	..	१					
१२-इलाहाबाद		..	१	२					
१३-झांसी		३	१	५					
१४-गोंडा		१	..	४					
१५-मथुरा		..	१	१					

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३३–३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४१ पर)

तालिका "क"

बस्ती जिले में सन् १९६४ में कत्ल, डकैती और चोरी के मामलों की संख्या

थाना	कत्ल	डकैती	चोरी	थाना	कत्ल	डकैती	चोरी
१	२	३	४	५	६	७	८
बांसी ..	२	..	२५	कोतवाली ..	१	१	१४३
छावनी ..	१	२	३३	लौटन ..	२	..	२०
चिल्हिया	१	१	२९	महुली ..	१	२	२३
दनघटा	२	१	१८	मेंहदावल ..	१	५	५४
ढेबरुआ	..	१	१३	मुंडरेवा	४	..	२७
डुमरियागंज	२	३	१८	पैकोलिया ..	..	..	३६
दुधारा	..	..	२१	परसुरामपुर	४	१	३९
इटवा ..	१	..	१०	रूधौली ..	२	..	१५
कलवारी	१	..	२६	सौनहा ..	..	..	९
कप्तानगंज	३	..	३५	त्रिलोकपुर ..	१	१	४
खलीलाबाद	४	..	६५	उस्का बाजार ..	..	२	४४
					३३	२०	७७०

संसद पुस्तकालय

तालिका "ख"

बस्ती जिले के कत्ल, डकैती और चोरी के १९६२, १९६३ तथा १९६४ के तुलनात्मक आंकड़े

अपराध	१९६२	१९६३	१९६४	
कत्ल ..	२८	४१	३३	१९६४ में १९६३ के मुकाबले में ८ घटनायें कम तथा १९६२ के मुकाबले में ५ घटनायें ज्यादा हुईं।
डकैती ..	२३	२०	२०	१९६४ में १९६३ के मुकाबले में डकैती की घटनायें बराबर तथा १९६२ के मुकाबले में ३ घटनायें कम रहीं।
चोरी ..	५९०	५५४	७०७	१९६४ में १९६३ के मुकाबले में चोरी की १५३ घटनायें अधिक तथा १९६२ के मुकाबले में ११७ घटनाएं अधिक रहीं।

बस्ती जिले के सन् १९६४ के कत्ल, डकैती और चोरी के चालान किये गय मामलों में से सजायाब छुटे हुए मामलों की संख्या तथा प्रतिशत।

तालिका "ग"

वर्ष १९६४

अपराध			चालान हुए मुकदमों की संख्या	अब तक सजायाब हुए मामलों की संख्या	अब तक सजायाब हुए मामले चालान किये गए मामलों के कितने प्रतिशत हैं
					प्रतिशत
कत्ल	..	..	२७	१५	५५.५५
डकैती	..	..	१८	३	१६.६७
चोरी	..	..	२२०	७८	३५.४५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

नवाबगंज सहकारी गन्ना समिति लि० नवाबगंज की वार्षिक साधारण सभा दिनांक ५ मई, १९६३ में पारित प्रस्तावों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

प्रस्ताव	सभा का निर्णय	कार्यवाही
सभापति का चुनाव ..	.. सर्व सम्मति से श्री राजा राघवेन्द्रप्रतापसिंह राजा साहब मनकापुर सभापति चुने गये।	
१—गत वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि। ..	गत वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही पढ़ी गई तथा सर्व सम्मति से पुष्टि की गई।	किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
२—वर्ष १९५९—६० व १९६०—६१ तथा १९६१—६२ के वार्षिक रिपोर्ट तथा बैलेंस शीट की स्वीकृति। ..	तीनों वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट तथा बैलेंस शीट पढ़ी गई तथा सर्व-सम्मति से पास की गई। साथ ही साथ यह भी तय किया गया कि अगले वर्ष एजेन्डे के साथ ही वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाय। यह भी तय पाया गया कि यदि समिति से शेयर का पूरा हिसाब सीजन के पहिले प्रत्येक मेम्बर को न दे दिया जाय तो शेयर की कटौती न की जाय।	चूंकि सदस्यों के जमा हिस्सों की धनराशि का हिसाब पूर्ण रूपेण तैयार नहीं हो सका अतः सीजन १९६३—६४ का तथा १९६४—६५ में कटौती नहीं की गई।
३—वर्ष १९६३—६४ के लिये अधिकतम उत्तरदायित्व सीमा निश्चित करने पर विचार।	वर्ष १९६३—६४ के लिये अधिकतम उत्तरदायित्व सीमा १० (दस) लाख रुपया सर्व सम्मति से निर्धारित किया गया। ..	किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव	सभा का निर्णय	कार्यवाही
४—बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या (अ) दिनांक २९—११—६१ तथा प्रस्ताव सं० ३ दिनांक २८—११—६२ जो समस्त कटौतियों के सम्बन्ध में है की स्वीकृति पर विचार ..	गत वर्षों की सभी कटौतियां सर्व सम्मति से स्वीकृत की जाती हैं साथ ही साथ अगले सीजन १९६३—६४ के लिये निम्न कटौतियां निम्न प्रकार से करने के लिये स्वीकृति दी जाती है।	प्रस्तावानुसार कटौतियां वर्ष १९६२—६३ में की गई तथा जो धनराशि वसूल हुई वह निम्न प्रकार है :—
	(अ) श्री गांधी विद्यालय नवाबगंज के हेतु २५ नये पैसे प्रति गाड़ी मिल गेट के सदस्यों से।	१०,७३४.६३ रुपया
	(ब) श्री बाल्मीकि विद्यालय विक्रमजोत (बस्ती) के लिये २५ नये पैसे प्रति गाड़ी विक्रमजोत के किसानों से। ..	३,५४१.२२ रुपया
	(स) विक्रमजोत, बस्ती के सदस्यों से चंदा स्वरूप एक रूपया प्रति सदस्य श्री बाल्मीकि विद्यालय विक्रमजोत के भवन निर्माण हेतु।	३,४९३.०० रुपया
	(द) रगड़गंज ब्रेक के बेलसर तथा बेगमगंज व अमदही स्कूलों के लिए २५ नये पैसे प्रति गाड़ी वहां के किसानों से कटौती करना स्वीकृत किया गया। परन्तु वहां के डेलीगेटों की मीटिंग के बाद जैसा इसके बंटवारे को तय करें वैसा ही वितरण होगा और वही सभी को मान्य होगा।	१,००४.८९ रुपया
	(य) आंख अस्पताल गोंडा तथा बस्ती के हेतु समस्त क्षेत्र से तीन पैसे प्रति गाड़ी।	गोंडा .. १,४२८.६५ बस्ती .. ४३१.२१ योग .. १,८५९.८६
	(फ) श्री सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला नवाबगंज के हेतु चुनाव क्षेत्र नं० १, २, ३, ४ और ५ से २५ नये पैसे प्रति मेम्बर।	१,०१२.७५ रुपया
५—आंख अस्पताल गोंडा तथा बस्ती के हेतु ६ नये पैसे प्रति गाड़ी अवैतनिक मंत्री जिला गन्ना कमेटी गोंडा के पत्र	पत्र का अवलोकन किया गया तथा सर्व सम्मति से केवल ३ नये पैसे आंख अस्पताल हेतु कटौती करना स्वीकृत किया गया। ..	कटौती की गई जैसा कि प्रस्ताव ४ ब में दर्शाया गया है।

स० डी० सी० सी० ९ वि० १६–६–६२ के अनुसार कटौती करने की स्वीकृति पर विचार ।		
६–गन्ना आयुक्त लखनऊ के पत्र सं० यफ० यम० ३८३ सी (८) ७२ के अनुसार जिला गन्ना अधिकारी गोंडा के पत्र संख्या २ (२१) बी० दि० २३–८–६२ की स्वीकृति जो गन्ने की कीमत से कुछ प्रतिशत राजकीय अल्प बचत योजना के हेतु कटौती कराने के सम्बन्ध में है।	पत्र का अवलोकन किया गया तथा सर्व सम्मति से तय किया गया कि किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। इस मद में कोई कटौती न की जाय ।	
७–संचालक मंडल के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु चुनाव क्षेत्र नं० १, २, ३, ४, ७, ८ तथा ११ जो क्रमशः नवाबगंज कटरा जगदीशपुर, भूपतिपुर, तुलसीपुर, विक्रमजोत तथा तरबगंज है, से चुनाव करने पर विचार । ..	निम्न व्यक्ति उनके नाम के आगे अंकित चुनाव क्षेत्र से निर्विरोध चुने गये ।	किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
	चु० क्षे० निर्विरोध १––श्री योगेन्द्र सिंह .. .. ,, १ २––श्री राम सिंह उर्फ लाल सिंह .. ,, २ ३–श्री तीरथ राम तिवारी .. ,, ३ ४––श्री जंग बहादुर सिंह .. ,, ७ ५––श्री हनोमान सिंह .. .. ,, ११ चुनाव क्षेत्र नं० ४ का चुनाव किया गया जिसके फलस्वरूप श्री नरसिंह नारायण सिंह डायरेक्टर घोषित किये गये। चुनाव क्षेत्र नं० ८ में भी चुनाव किया गया श्री प्रताप नरायन सिंह डायरेक्टर घोषित किये गये।	
८–अन्य प्रस्ताव सभापति की अनुमति से (अ) कुछ डेलीगेटों द्वारा भेजे गये प्रार्थना पत्र पर विचार जो श्री दयानन्द वैदिक विद्यालय वजीरगंज को कटौती से हिस्सा देने के सम्बन्ध में है।	प्रार्थना-पत्र देखा गया तथा सर्व सम्मति से निश्चय किया गया कि इस स्कूल को कटौती से सहायता हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त होने पर दी जाय। ..	दयानन्द वैदिक विद्यालय वजीरगंज को मान्यता प्राप्त नहीं हुई अतएव कोई सहायता नहीं दी गई ।

प्रस्ताव	सभा का निर्णय	कार्यवाही
(ब) गन्ने के गाड़ियों से तीन आना प्रति गाडी म्युनिसिपल बोर्ड नवाबगंज द्वारा वसूल किया जाता है उसकी वसूली बन्द करने हेतु डेलीगेटों द्वारा आये हुये प्रार्थना-पत्र पर विचार। . .	पत्र का अवलोकन किया गया तथा सर्व सम्मति से तय किया गया कि इसकी प्रतिलिपि गन्ना आयुक्त लखनऊ, जिला गन्ना अधिकारी गोंडा तथा सचिव, गन्ना विकास विभाग उ० प्र० को इस अनुरोध के साथ भेजी जाय कि वे इसे बन्द कराने की कृपा करे। . .	जी० ओ० सं० ७८ पी० ११बी ३०/४९ दि० ७-२-५३ के अनुसार जिलाधीश गोंडा के आदेशानुसार गन्ने की गाड़ियों पर ३ आना प्रति मन नगरपालिका नवाबगंज वसूल कर रही है अतः प्रस्तावों पर किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

पुलिस की ज्यादती के खिलाफ प्रस्ताव

आज की पब्लिक कैरियर आपरेटर सोसाइटी बदायूं की विशेष सभा में कल बतारीख १२–८–६४ को उझानी थाना की पुलिस द्वारा मालिकान, ड्राइवरों तथा कण्डक्टरों पर किये गये अत्याचार व जुल्म की घोर निन्दा करती है। सरकार तथा संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये कुछ सही वाकयात का विवेचन करती है।

पब्लिक कैरियर आपरेटर्स सोसाइटी, बदायूं, उझियानी, दातागंज, आंवला, उसांवां बिल्सी, सहसवान, कछला, बिनावर के क्षेत्र में ट्रक आपरेटर्स की एक यूनियन है जिसके द्वारा माल ढोने का काम सुचारु रूप से संचालित किया जाता है।

तारीख १२–८–६४ को उझानी पुलिस ने उपरोक्त सोसाइटी को असफल बनाने के उद्देश्य से एक फरजी मुकदमा, माल जलाने तथा लूट-मार पीट आदि का हायरस तथा उझानी के कुछ लोगों से साजिश करके कायम किया।

और जगदीश लाल, बदरुद्दीन, राम प्रकाश, प्रकाश, अब्दुल रऊफ, बेनीराम, हनीफ खां, अमीरउद्दीन, अफसर, शकर में से कुछ को उझानी कस्बे से व बदायूं-उझानी के रास्ते पर पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर मारपीट की तथा कई बार मारा।

इसके अतिरिक्त एक ट्रक ६२९ यू० पी० ओ० जो कानपुर से बदायूं जा रहा था, उसके ड्राइवर अज्जन व कण्डक्टर अबरार को उझानी पुलिस ने पकड़ा और नाजायज हिरासत में १२–८–६४ से १३–८–६४ को दोपहर तक रखा और ट्रक भी थाने में रखा। साथ ही इन्हें कई बार मारपीट किया।

यही नहीं, उझानी की पुलिस १२ ट्रकों को यूनियन अड्डे से कुछ और लाइसेंस शुदा ड्राइवरों द्वारा पुलिस थाने में ले गई।

इस प्रकार उझानी थाने की पुलिस ने उपरोक्त लोगों को नाजायज तरीके से हिरासत में लेकर मारपीट किया तभी ट्रकों को अवैध रूप से थाने में ले गये और हर प्रकार से पुलिस ने अप्रजातांत्रिक तरीके से बाइज्जत नागरिकों के साथ अत्याचार किया है।

आज की यह सभा सरकार तथा उच्च अधिकारियों से जोरदार शब्दों में मांग करती है क उझानी थाने से संबंधित दरोगा तथा कर्मचारियों को दंडित किया जाय तथा निष्पक्ष जांच कराने के लिये आरोपित पुलिस दारोगाओं को तुरन्त ससपेन्ड किया जाये।

उपरोक्त सोसाइटी की यह सभा यह भी निर्णय करती है कि उझानी पुलिस के इस अत्याचार के विरोध में तरीख १३–८–६४ की भांति ही कल तारीख १४–८–६४ को भी ट्रकों की तथा उनके ड्राइवरों व कण्डक्टरों की हड़ताल रहेगी।

और सभा यह भी फैसला करती है कि पुलिस के इस जुल्म के खिलाफ तारीख १६–८–६४ को बदायूं तथा उझानी नगर में एक शांतिमय जलूस निकाल कर अपना रोष प्रकट करेगी।

रामजी दास

वाइस प्रेसीडेण्ड,

पब्लिक कैरियर आपरेटर्स सोसाइटी, बदायूं।

नत्थी 'ञ'

(देखिये ता० प्र० सं० ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

आवश्यक
सं० ३२६०/इक्कीस–१२ वि० स०/६५

प्रेषक,

श्री श्रीलाल शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में–

समस्त जिला मैजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक ३० जुलाई, १९६५।

विषय––राज-काज में हिन्दी का प्रयोग।

ाषा-विभाग महोदय,

मुझे आप का ध्यान उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या ४८४/इक्कीस–३-१९६५, दिनांक २७ जनवरी, १९६५ की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह निवेदन किया गया था कि अपवाद-स्वरूप कुछ मामलों को छोड़ कर, जैसे महालेखाकार से पत्र-व्यवहार, आडिट सम्बन्धी मामले, कानूनी और अर्द्ध कानूनी, मामले अथवा ऐसे अन्य मामले जिनमें प्रक्रियागत बाध्यता के कारण अंग्रेजी इस्तेमाल करनी पड़े, शेष सभी सरकारी कामों में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग किया जाय।

२––हाल में सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ जिलों में कुछ सूचनाएं, जैसे मंत्रियों के दौरे के कार्यक्रम आदि विधायकों तथा अन्य लोगों को अंग्रेजी में भेजी गयी हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह अनुरोध करना है कि भविष्य में, विधान मण्डल के सदस्यों तथा जनता को भेजे जाने वाले पत्र सूचनाएं, आदि हिन्दी में ही भेजी जायं।

भवदीय,
श्री लाल शुक्ल,
(श्रीलाल शुक्ल)
उपसचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये ता० प्र० सं० ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४५ पर।)

कानपुर जिले व नगर हेतु सरकारी व गैर सरकारी विभागों को विगत पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश राजकीय सीमेंट फैक्ट्री, चुर्क जिला मिर्जापुर द्वारा सखराह किए गए सीमेंट का विवरण तालिका

विवरण	सन् १९६०–६१	मैट्रिक टनेज सन् १९६१–६२	सन् १९६२–६३	सन् १९६३–६४	सन् १९६४–६५–
१	२	३	४	५	६
१–सरकारी विभागः					
अ–कानपुर नगर हेतु	८२२.०००	३,७०८.००	४,३५९.०००	९,६४०.०००	१,४२९.०००
ब–अतिरिक्त (कानपुर नगर को छोड़कर) ..	..	२८७.०००	९०१.०००	१,६१२.०००	१,३४८.०००
योग, कानपुर मंडल सम्पूर्ण ..	८२२.०००	३,९९५.०००	५,२६०.०००	११,२५२.०००	२,७७७.०००
२–स्टाकिस्ट कानपुर शहर	९,१५३.०००	१०,०५४.०००	१२,२७४.०००	६,५९७.२५०	३,०८८.०००
३–प्राइवेट पार्टी	६४९.५००	३,०२५.५००	१,९९४.५००	३,९१९.५००	१,३३२.७५०
योग ..	१०,६२४.५००	१७.०७४,५००	१९,५२८.५००	२१,७६८.७५०	७,१९७.७५०

नत्थी 'ठ'

(देखिये ता० प्र० सं० ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४९ पर)

क्रमांक	अनुदान वितरित किये गये व्यक्तियों के नाम व पते जिनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही हो रही है।
१	श्री सदानन्द, ग्राम मैजना, फूलपुर।

क्रमांक	१९५६-५७ से १९६३-६४ तक ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों के नाम व पते जिनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही हो रही है।
१	श्री शिवपूजन सिंह, निवासी अहरौला, पो० ठेकमा, आजमगढ़
२	सश्री एजूकेशनल कलचरल इन्डस्ट्रीयल सोसाइटी, मोहम्मदपुर, आजमगढ़
३	श्री साधू शरण विश्वकर्मा, आजमगढ़
४	श्री सोनई राम, निवासी मितूपुर, आजमगढ़
५	श्री नर्वदेश्वर प्रसाद गुप्ता, निवासी मुहल्ला पुरानी कोतवाली
६	श्री एम० ए० रहमान, निवासी गौसपुर, मो० माहुल, आजमगढ़
७	श्री जमुना पाण्डे, मुहल्ला एलवल।
८	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पुरानी कोतवाली
९	श्री गिरधारी राम, ग्राम सेठवल, रानी की सरांय
१०	श्री नजीर सैन, ग्राम शेखपुर, बड़ागांव
११	श्री देव नाथ सिंह, ग्राम चितविसांव
१२	श्रीमती अनवरी बेगम, ग्राम मुरादाबाद, पो० मिर्जापुर
१३	श्री एजाज अहमद, आजमगढ़
	श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, अमिला।
१५	श्री मोहन लाल खन्ना, मऊ
१६	श्री अकजल्ला गुरुटोला, आजमगढ़
१७	श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव
१८	श्री मोहम्मद अतीक फाल्की, सराय काजी
१९	श्री संकटा प्रसाद, नैथी
२०	श्री गंगा प्रसाद सिनहा
२१	श्री मुरलीधर विश्वकर्मा
२२	श्री रामचन्द्र सिंह, मऊ
२३	श्री फर्ख आलम
२४	श्री मोहम्मद इसहाक
२५	श्री सिराजुद्दीन अहमद

क्रमांक	१९५६–५७ से १९६३–६४ तक ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों के नाम व पते जिनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही हो रही है।
२६	श्री श्रीनाथ दास खन्ना, मऊ
२७	श्री महेश सेठ, वरहलगंज
२८	श्री विश्वनाथ प्रसाद, सरांय मीर
२९	श्री सतेन्द्र नाथ गुप्ता, लालगंज
३०	श्री शिवनाथ प्रसाद, चौक
३१	श्री बनारसी लाल, चौक
३२	श्री मन्नी सिंह, चौक
३३	श्री नसीम अहमद, चौक
३४	श्री स्वामी नाथ, सिविल लाइन्स
३५	श्री राम पूज्यराम, रानी की सरांय
३६	श्री जमाल मोबीन, चौक
३७	श्री भगवान पाठक, लीलापुर
३८	श्री विजय कुमार कुर्मीटोला
३९	श्री बिरजू प्रसाद सेठ, महनगर
४०	श्री गौरी शंकर
४१	श्री लच्छू राम, लछिरामपुर
४२	श्री पंचम सिंह, मधुवन
४३	श्री मोहम्मद उस्मान, चक मुअज्जम
४४	श्री मुरलीधर, रानी की सरांय
४५	श्री त्रिलोकी नाथ, रानी की सरांय
४६	श्री विक्रमजीत, मोहम्मदाबाद
४७	श्री मु० अफफान, दाउदपुर
४८	श्री अलीरजा खां, दोहरीघाट
४९	श्री जगरनाथ सिंह, थडिया
५०	श्री जगदीश प्रसाद
५१	श्री कृपा शंकर, अमिला
५२	श्री राधेरमन अग्रवाल, मऊ
५३	श्री राजवली, मुंदरासरांय
५४	श्री अशरफ अली, घोसी
५५	श्री ईशार अहमद, घोसी
५६	श्री नूरुल हुदा, घोसी
५७	श्री शिवपूजन, छत्तरपुर
५८	श्री रामसुमेर राम, कोपागंज

अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	१९५६–५७ से १९६३–६४ तक ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों के नाम व पते जिनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही हो रही है।
५९	श्री हरिहर प्रसाद, सिपाह ग्राम
६०	श्री अनवारुल हुदा, फतेहपुर
६१	श्री गंगा प्रसाद, गोंठा
६२	श्री राधेश्याम चौक
६३	श्री हकीम नासिरुल्लाह खां, अलीपुर
६४	श्री राधेश्याम जायसवाल, सरायमीर
६५	श्री मुहम्मद मुस्तफा खां, मु० जालंधरी
६६	श्री मोहनलाल खन्ना, मऊ
६७	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
६८	श्री बैजनाथ प्रसाद, कोपागंज
६९	श्री फूलचन्द्र गुप्ता, अमिला
७०	श्री धीरेन्द्र कुमारी, फलपुर
७१	श्री केदारनाथ मिश्र, आजमगढ़
७२	श्री आशिकअली, सकवा
७३	श्री लालता प्रसाद सिंह, देवखरी
७४	श्री गुरुप्रसाद, ८८/३९, कानपुर
७५	श्री जफरअली, मु० कोट
७६	श्री मुहम्मद अयूब सिद्दीकी, आसिफगंज
७७	श्री नूरअहमद, आसिफगंज
७८	श्री विपिन बिहारी खन्ना, मऊ
७९	श्री राम औतार लाल, मु० दर्लासगार
८०	श्री कृष्ण मुरारी लाल
८१	श्री हनुमान प्रसाद
८२	श्री अब्दुल मुगनी
८३	श्री सदानन्द, ग्राम मंजना, फूलपुर
८४	श्री ज्योतिस्वरूप, पुरानी कोतवाली
८५	श्री राम प्रसाद, अमिला
८६	श्री लालजी मैत्री, गुरुटोला
८७	श्री महबूब अली, लालगंज
८८	श्री सुखदेव प्रसाद गुप्ता, रानी की सरांय
८९	श्री दारुल मोसन्मुफी, शिवली एकेडेमी
९०	श्री मोहनलाल अग्रवाल, मु० दर्लासगार

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	१९५६–५७ से १९६३–६४ तक ऋण वितरित किये गये व्यक्तियों के नाम व पते जिनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही हो रही है।

९१ श्री मन्जूर अहमद

९२ श्री अनन्त प्रसाद, लालगंज

९३ श्री सैयद मुहम्मद काजिम, रानी की सरांय

९४ श्री विश्वनाथ प्रसाद अमिला

९५ श्री देववृत राय, अमिला

९६ श्री कमला कान्त दुबे, मनकाडीह

९७ श्री दयाराम जायसवाल, सरायमीर

९८ फखरे आलम, फरीदी, मातवरगंज

९९ श्री एम० एस० हैन्डलूम कोआपरटिव सोसाइटी, मिसिरपुर

१०० श्री मेसर्स आजाद पुरा हैन्डलूम कोआपरटिव, मुबारकपुर।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ड'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५५ पर)

क्रम-सं०	धन जिसके लिए दिया गया		१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५	योग
१	उन्नतिशील यंत्र	ऋण	..	..	..	..	..	
		अनुदान	६०५१.००	४३२.००	..	..	..	अ० ६,४८३.००
२	हिस्सा पूंजी	ऋण	..	५,५९१.२५	..	..	..	ऋ० ५,५९१.२५
		अनुदान	..	..	..	..	..	..
३	बिक्री केंद्र	ऋण	..	..	..	..	..	..
		अनुदान	..	१,५०१.७३	..	..	..	अ० १,५०१.७३
४	पावरलूम बिल्डिंग	ऋण	..	..	१५,०००.००	..	..	ऋ० १५,०००.००
		अनुदान	..	..	३,०००.००	..	..	अ० ३,०००.००
	योग ..			ऋण	२०,५९१.२५	अनुदान १०,९८४.७३		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ढ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५८ पर।)

बुलन्दशहर जिले में १९६४–६५ में कक्षा ६ से १० तक के छात्रों को पृथक-पृथक निम्नलिखित छात्रवृत्तियां कक्षावार दीं गईं ।

कक्षा	छात्रवृत्तियों की संख्या
६	२२६
७	२४२
८	२२८
९	१९२
१०	१८१
योग ..	१,०६९

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १०९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५९ पर ।)

घटना का विवरण

१०–११-४-६० की दरम्यानी रात्री में जवा के लाला छेदीलाल, पुत्र नन्हूं मल वैश्य, निवासी खैर अपने कपड़े की दूकान में सोये थे । उनको किसी ने कत्ल कर दिया जिसकी रिपोट थाना खैर में ८ बजे प्रातः दिनांक ११–४–६० को द्वारा श्री शंकर लाल साला मृतक की गई जिसमें उन्होंने किसी पर सन्देह प्रकट नहीं किया और न कत्ल का कारण ही लिखा ।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५९ पर ।)

घटना का विवरण (प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार)

श्री बादू, पुत्र श्री सुन्दरलाल, ग्राम विचोला दूधी थाना विलारी, जिला मुरादाबाद ने अपनी पुत्री श्रीमती कस्तूरी की अपहरण रिपोर्ट धारा ३६६ भा० दं० विधान के अन्तर्गत दर्ज कराया था । उक्त मामले के अनुसंधान के लिये थाना विलारी के थानेदार, श्री जियपाल सिंह, श्री बांदू तथा २ सिपाहियों सहित १९-४-६५ को थाना जरीफनगर पर पहुंचे और एक सिपाही को साथ लिया । ग्राम बैरपुर से एस० आई० श्री रिजवान हैदर भी २ सिपहियों सहित जो सरकारी काम से वहां उपस्थित थे, मदद के लिये साथ हो लिये । उन्होंने समीप के गांवों के ४ गवाहों को रास्ते से ले लिया था । पुलिस ने ग्राम देवर कंचन में पहुंच कर अभियुक्त हीरालाल को गिरफ्तार किया किन्तु श्रीमती कस्तूरी का पता न चला । जब वे गांव से जाने लगे तो एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि श्रीमती कस्तूरी अभियुक्त हीरालाल के घर से निकाल कर नेती गड़रिया के घर में कर दी गई है । इस सूचना पर जब पुलिस कर्मचारी नेती के घर की तलाशी लेने पहुंचे तो नेती आदि १० व्यक्ति लाठी बल्लम से लैस होकर गाली देते हुये दौड़ पड़े और तलाशी नहीं लेने दी । उसी बीच लोगों ने श्रीमती कस्तूरी को नेती के घर के पीछे से निकाल दिया ।

उक्त अपराध पर एक मुकदमा धारा १४७/१४८/३५३/५०४ भा० दं० विधान दर्ज किया गया और विवेचना के उपरान्त अभियुक्तों का चालान किया गया । अभियोग-पत्र न्यायालय के विचाराधीन है ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६१ पर ।)

पत्र संख्या १४८९/९-६/१८९४, दिनांक ८ जनवरी, १९६०

प्रेषक,

उप विद्यालय निरीक्षक,
कानपुर ।

सेवा में,

संचालक,
हरिजन कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

महोदय,

आपके पृष्ठांकन संख्या एच० टी०/१६५०/१/अड़तीस-५७/४७, दिनांक ४ दिसम्बर, १९५९ के संदर्भ में निवेदन है कि १७७ रु० का अनुदान अभी तक मैनेजर, हरिजन छात्रावास, पुखरायां को नहीं दिया गया है । उनको इसके लिये तथा हिसाब दिखाने के लिये बुलाया गया तथा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक को भी भेजा गया पर वह नहीं मिले और न कार्यालय में ही आये ।

इस विषय में कई पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर को भी लिखे गये । यहां तक कि इस संस्था की सहायता को निलम्बन करने हेतु भी लिखा गया । इस संस्था का प्रबध बहुत ही शोचनीय दशा में है । ऐसी दशा में संस्था को अनुदान देना सर्वथा सरकार के रुपये का दुरुपयोग है । १७७ रु० अब भी इस कार्यालय में रखा है । उचित आदेश देने की कृपा की जाय । प्रति उप विद्यालय निरीक्षफ की रिपोर्ट की प्रतिलिपि आपकी सेवा में भेजी जा रही है ।

भवदीय,

(ह०) उप विद्यालय निरीक्षक, कानपुर

प्रतिलिपि---

१---जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, कानपुर

२---जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर

३---मैनेजर हरिजन छात्रावास, पुखरायां, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज दिनांक ११-१२-५९ को हरिजन छात्रावास पुखरायां का निरीक्षण किया । छात्रावास में इस समय १४ बालक रह रहे हैं । जिसमें आज ११ छात्र उपस्थित पाये गये हैं । डिप्टी इन्सपेक्टर महोदय का निरीक्षण दिनांक २३ मार्च, १९५९ का देखा उसमें जिन-जिन बातों को ठीक करने के लिये हिदायतें दी गई थीं उनको पूरा नहीं किया गया है तथा

१---२३ मार्च, १९५९ के हरिजन वेलफेयर आफिसर के निरीक्षण की आपत्ति बाबत हिसाब आदि अब तक पूर्ण नहीं की गई ।

२---५८-५९ की आय और व्यय का कोई लेखा अब तक नहीं है ।

३---रसोइया को १ साल ९ माह से वेतन नहीं दिया गया है और उसी प्रकार प्रत्येक छात्र भोजन के साथ साथ ४ आना प्रति के हिसाब से महाराज को दिया जा रहा है ।

४--मैनेजर ने निरीक्षण की आपत्ति के अनुसार अब भी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं किये हैं तथा उपस्थिति का कोई रजिस्टर भी नहीं है क्योंकि नवम्बर, १९५९ के बाद वह रजिस्टर समाप्त हो गया है ।

५--५०० रु० सामान सज्जा के अनुदान का कोई हिसाब देखने को अब तक नहीं मिला है ।

६--मैनेजिंग कमेटी ने कोई नाम अब तक डिप्टी इन्स्पेक्टर के पास सिफारिश के साथ मैनेजर की नियुक्ति के लिये नहीं भेजा है ।

७--प्रकाश व सफाई का अब तक कोई प्रबन्ध नहीं है ।

८--छात्रावासियों के सोने के लिये तख्तों की व्यवस्था के लिये लिखा गया था किन्तु कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

९--एक कोठरी की छत की हालत बहुत खतरनाक है और उसको खाली करने के लिये लिखा गया था किन्तु उस पर कोई अमल नहीं किया गया है । और अब भी उसमें छात्र रह रहे हैं । उक्त बातों के लिये गत निरीक्षण में डिप्टी इंस्पेक्टर महोदय ने लिखा था किन्तु उस पर कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है और छात्रों तथा भवन की व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है । इस सम्बन्ध में मैनेजर साहब को कई बार तलाश कराया गया था, घर भी उनको संदेश भेजा, किन्तु उनका कोई पता नहीं लग रहा है । गत वर्ष की जो जो ग्राण्ट उनको दी गई हैं उसका उन्होंने कोई खर्च नहीं किया है ऐसा विदित होता है । और सारी सहायता का दुरुपयोग होता दिखाई देता है । कागजात भी देखने को नहीं मिल रहे हैं । छात्रावास में जो कुछ सामान देखने को मिला उसका विवरण निम्न प्रकार है । वह केवल १५० रु० से किसी प्रकार भी अधिक नहीं हो सकता है ।

	सामान	संख्या	दर		अनुमानित लागत
१	गिलास	९	१.५०	प्रति	११.२५
२	कटोरी	८	००.७५	,,	६.००
३	थाली	१०	१.२५	,,	१२.५०
४	लोटा कलई	१	२.५०	,,	२.५०
५	थाल	१	१५.००	,,	१५.००
६	तसला	१	३.५०	,,	३.५०
७	भगोना (अलमोनियम) ..	१	४.५०	,,	४.५०
८	बटुवा	१	२५.००	,,	२५.००
९	चम्मचा पीतल ..	१	२.००	,,	२.००
१०	तवा	१	१.००	,,	१.००
११	बाल्टी	२	२.५०	,,	५.००
१२	ड्राम	१	२०.००	,,	२०.००
१३	बक्स टीन छोटे	२	५.००	,,	१०.००
१४	कड़ाही	१	७.००	,,	७.००
१५	रस्सी	१	३.५०	,,	३.५०
१६	मेज टूटी	३	७.००	,,	२१.००
				योग ..	१५०.७५

उक्त १६ आइटमों के अलावा छात्रवास में कोई सामग्री नहीं है । गत वर्ष १७७.०० रु० की (अनावर्तीय) नान रेकरिंग ग्रांट और इस छात्रावास को दी गई । किन्तु वह कहां खर्च की गई, कोई पता नहीं लग रहा है ।

मीटिंग रजिस्टर को देखा । जिसे ११-७-५८ को की गई थी । और जिसमें १३६५ रु० सरकार द्वारा सहायता तथा १३३.५६ न०पै० पिछला बाकी । इस प्रकार कुल १,४९८.५६ की आमदनी तथा १,४९५.०७ की खर्च की रकम दिखाई गई है, किन्तु वह रकम किस मद में खर्च की गई है कोई विवरण नहीं है । क्योंकि छात्रावास में न तो प्रकाश का ही प्रबन्ध है और न रसोइयों को ही वेतन दिया गया है । इमारत का किराया भी अदा नहीं दिया गया है । अतः मैनेजर को अविलम्ब गत निरीक्षण दिनांक २३ मार्च, १९५९ को जिसे डिप्टी इंस्पेक्टर ने किया था, उसकी कमियों को जो उसमें १ लगायत ९ तक बताई गई हैं । पूर्ण करके समस्त कागजात तथा कैशबुक, स्टाम्प रजिस्टर व कमेटी के अनुदान पेपर्स तथा कमेटी कार्यवाही रजिस्टर व कमेटी के होने का प्रमाण-पत्र आदि लेकर दिनांक १५ दिसम्बर, १९६५ तक अवश्य ही कार्यालय में उपस्थित होना चाहिये । अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

श्याम किशोर मिश्र,
एस० डी० आई,
११-१२-५९

डिप्टी इन्स्पेक्टर महोदय,

मैनेजर हरिजन छात्रावास, पुखरायां के आपके निरीक्षण दिनांक २३-३-५९ की हिदायतों में से किसी की पूर्ति नहीं की है । मैंने आज पुनः आपकी आज्ञानुसार छात्रावास का निरीक्षण किया किन्तु मैनेजर का कहीं पता नहीं लगता है । उक्त निरीक्षण रिपोर्ट को अवलोकन करने की कृपा कीजियेगा । जिससे पता लग जायगा कि इस छात्रावास में किस प्रकार सरकारी अनुदान को बर्बाद किया गया है । अतः इस वर्ष इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिये रिपोर्ट सेवा में प्रेषित कर रहा हूं कि उक्त छात्रावास के समस्त कागजात में कार्यालय में जमा करा लिये जायें । और उसकी जांच भली प्रकार कराई जानी चाहिये तथा मैनेजर को अविलम्ब बदल दिया जावे अन्यथा यह संस्था समाप्त हो जायगी ।

श्याम किशोर मिश्र
एस०डी०आई०,
११-१२-५९

नत्थी 'द'

(देखिये अता० प्र० सं० १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६८ पर)

तालिका "क"

१—बरेली चीनी मिल के लिये

रिजवशन-पत्र संख्या व दिनांक	सेंटर का नाम	गन्ना जो सप्लाई हुआ (लाख क्वि० में)	कारण
१	२	३	४
१—१५६०९ २१-९-६५	बिजौरिया	०.९२	गन्ने की स्थिति का पुनरीक्षण करने के उपरान्त निकटवर्ती मिल क्षेत्रों के गन्ने का व्यावर्तन आवश्यक समझा गया। बरेली मिल क्षेत्र के अन्तर्गत सुरक्षित जेल फार्म, सितारगंज, प्राग फार्म पिपलिया तथा बब्बरपुर का कुछ गन्ना मिल के सुरक्षण से निकाल कर बहेड़ी, धामपुर, दौराला एवं मवाना चीनी मिलों को गत सीजन १९६४-६५ में पिराई हेतु सम्बद्ध कर दिया गया था।
२—५२२४ २-२-६५	तिलहर	०.१७	
३—७२३ १-३-६५	भीरा खीरी	०.७८	
४—२०१५ ९-४-६५	फरधाम	०.२२	
५—टी-५५-५८ २३-४-६५	बीरपुर	०.०७	
६—टी० ओ० ११-४-६५	जरावन	०.११	
७—टी० ओ० ११-४-६५	जलालाबाद	०.१७	
८— ,,	काट	०.०२	
९— ,,	बंथरा	०.०५	
१०—एफ० एम० टी० १५-९६, ९-४-६५	फरधाम घोरहरा	०.७५	
(२) रोजा चीनी मिल के लिये			
१—फरवरी, १९६५	गोला गेट के बड़े काश्तकारों का	०.३७ गन्ना रोजा गेट पर ट्रक द्वारा पूर्ति करने हेतु	यह गन्ना गोला मिल की खपत से अधिक होने के कारण रोजा चीनी मिल के गेट पर पूर्ति करने हेतु सम्बद्ध किया गया और इतना ही गन्ना तिलहर सेंटर से बरेली मिल को दे दिया गया। किन्तु ०.१७ लाख क्विटल की पूर्ति हुई फलस्वरूप गोला के गन्ने से इस मिल में रिजर्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

सत्यमेव जयते विधान सभा

तालिका ख

क्र०-संख्या	नाम चीनी मिल	नाम सोसाइटी	गन्ना जो आफर हुआ (लाख क्वि० में)	गन्ना जो पूर्ति हुआ (लाख क्वि० में)
१	बरेली ..	बरेली	०.११	०.१२
		शाहजहांपुर	१.३०	०.९१
		रोजा	६.७५	७.४२
२	रोजा शुगर मिल्स	शाहजहांपुर	५.९६	४.५०
		योग ..	१४.१२	१२.९५

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी ‘घ’

(देखिये अता० प्र० सं० १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६९ पर)

विवरण पत्र “क”

डाकुओं पर घोषित इनामों तथा इनके विरुद्ध दर्ज कत्ल, डकैती, राहजनी और अपहरण के मामलों का विवरण

क्रम-संख्या	नाम डाकू		इनाम उ० प्र० द्वारा घोषित	इनाम म० प्र० द्वारा घोषित	कत्ल	डकैती	राहजनी	अपहरण	विशेष विवरण
१	शंकर सिंह	..	२,०००	—	९	६	३	१०	
२	गोबिन्द सिंह	..	२००	५००	७	३	१	९	२३/२४–३–६५ को मारा गया।
३	मल्ला	..	३००	—	८	५	१	९	
४	अनन्तराम	..	२००	—	४	१	१	४	१५–२–६५ को मारा गया।
५	पूरन सिंह	..	२,०००	५,०००	६	९	१	४	
६	मजराज सिंह	..	५००	२०००	२	२	—	२	
७	गुलाब सिंह	..	१००	५००	१	—	—	२	२९–६–६५ को मारा गया।
८	वलीयारावत	..	१००	१,०००	—	१	१	५	३–११–६४ को मारा गया।
९	लछआ रावत	..	२००	—	—	१	१	५	२४–४–६५ को मारा गया।

नोट:—अपराध जो दिखाये गये हैं वह सब उ० प्र० के हैं। म० प्र० के अपराध शामिल नहीं हैं क्योंकि उनका विवरण प्राप्त नहीं है। मध्य प्रदेश द्वारा घोषित इनामों की भी सूचना जहां तक मिल पाई है, दी गई है।

मध्य प्रदेश विधान सभा

विवरण-पत्र "ख"

क्रम सं०	नाम डाकू	तारीख मारे गये	इनाम उ० प्र० सरकार द्वारा	इनाम म० प्र० सरकार द्वारा	विवरण
			१९६२		
१	हन्नारावत	१४-२-६२	..	..	जाखलौन पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा गया
२	देवीसिंह	२६-३-६२	४०००	१५,०००	पापड़ा जागल थाना मडावरा में पुलिस व
३	विश्वनाथ ..	२६-३-६२	..	..	पी०ए०सी० द्वारा मुठभेड़ में मारे गये।
४	प्रानसिंह ..	२६-३-६२	..	..	" "
			१९६३		
१	बल्दुआ ..	७/८-७-६३	..	..	सोजना पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा गया।
२	ननुआ ..	१६-७-६३	..	..	नारहट " "
३	हब्शी उर्फ सतुआ ..	२९/३०-१२-६३	२००	..	जाखलौन " "

अमर प्रकाश विधान सभा

जनवरी सन् १९६४ १० मई, १९६५ तक प्रति माह मारे गए डाकुओं का विवरण

१	राजधर बहीर	..	२१–१–६४	..	..	मडावरा पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा गया ।
२	हरदास गड़रिया	..	१९–२–६४	..	..	नारहट ,, ,,
३	लछुआ रावत	..	२४–४–६४	२००	..	ताल बेहट ,, ,,
४	मंगलाबहीर	..	२९–५–६४	..	..	मडावर ,, ,,
५	सरजू कुरमी	..	२९–५–६४	..	..	,, ,, ,,
६	दोलता खगांर	..	३१–५–६५	१,०००	..	महावर क्षेत्र में पुलिस द्वारा मारे गये ।
७	उमराव खगांर	..	३१–५–६४	..	..	,, ,, ,,
८	बाबू अहीर	..	३१–५–६४	..	..	,, ,, ,,
९	गोपी खगांर	..	१३–७–६४	..	..	एस०ओ० रौनी द्वारा मारा गया ।
१०	दलीपा रावत	..	१००	..	१,०००	ताल बेहटा पुलिस
११	धुवा काछी	..	८/९–१–६५	..	..	मडावार पुलिस ,, ,,
१२	अनन्तराम ब्रा०	..	१५–२–६५	२००	..	नारहट ,, ,,
१३	गोबिन्द सिंह	..	२००	..	५००	जाखलौल ,, ,,
१४	बद्री ब्रा०	..	१२–४–६५	..	..	मडावार पुलिस ,, ,,
१५	निर्मल सिंह	..	१२–४–६५	..	..	,, ,, ,,

नोट:— मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित इनाम जहां जहां तक मिल सका है अंकित किया गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा